खण्ड-168, अंक-3
बुधवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(14 मार्च, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 168 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १४ मार्च, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२८४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री

जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्दसिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तलाल, श्री
पुन्नराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज

मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा,श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह,राजा
व्रजरानीमिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री

श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सुर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १४ मार्च, १९५६

तारांकित प्रश्न

विकास अन्वेषणालय में ग्राम्य जीवन विश्लेषक के सहकारी के पदों पर नियुक्तियां

*१—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—क्या प्लानिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट में असोसियेट टु रूरल लाइफ अनालिस्ट के स्थान की पूर्ति के लिये विज्ञापन द्वारा प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे? यदि हां, तो उस स्थान के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये थे?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—जी हां, विकास अन्वेषणालय में ग्राम्य जीवन विश्लेषक के सहकारी के दो पदों के लिये प्रार्थना-पत्र राज्य सेवा आयोग ने विज्ञापन द्वारा मांगे थे। इनमें प्रधान सहकारी के पद के लिये ७ और सहायक सहकारी के लिये ११ प्रार्थना-पत्र आये थे।

*२—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस स्थान पर जिनकी नियुक्ति की गई है वह किस देश के हैं और उनको कितना वेतन दिया जा रहा है?

श्री फूलसिंह—राज्य सेवा आयोग ने अभी परीक्षा फल घोषित नहीं किया है परन्तु अंतरिम काल में सहायक सहकारी के पद पर श्री हरवन्त सिंह ढिल्लन कार्य कर रहे हैं। वे भारत के रहने वाले हैं और उनको २५०—८५० रु० के वेतन क्रम में ४०० रु० प्रतिमास वेतन दिया जा रहा है। प्रधान सहकारी का पद इस समय रिक्त है पर पिछले साल १ सितम्बर, १९५४ से २८ फरवरी, १९५५ तक उस पर श्री एम० एल० सिल की नियुक्ति की गई थी, जिनको इस क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान था। श्री सिल अमरीका के निवासी थे और उनको ५०० रु० से १२०० रु० के वेतन क्रम में ९०० रु० प्रति मास वेतन दिया गया था। वे अब अमरीका वापस चले गये हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह विकास अन्वेषणशाला कब स्थापित की गई थी और इसमें कार्यकर्त्ताओं के लिये कितनी जगहें क्रियेट की गई थीं ?

श्री फूलसिंह---इसको स्थापित हुये तो कई साल हो गये हैं। सब कार्यकर्त्ताओं की संख्या तो मैं नहीं बता सकता, मगर उन में से कुछ ऐसी जगहें थीं जो अभी तक भर नहीं सकीं थीं, उनमें से अभी भी कुछ जगहें खाली हैं और यह दोनों जगहों के लिये जो पब्लिक सर्विस कमीशन से दरख्वास्तें मांगी गयी थीं, शायद उनमें नियुक्ति कर दी है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो विज्ञापन दिया गया था उसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि इन पदों के लिये भारतीय होना अनिवार्य है ?

श्री अध्यक्ष---(श्री फूलसिंह से) आप बैठे-बैठे उत्तर दे सकते हैं।

श्री फूलसिंह---यह तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जितनी दरख्वास्तें आई हैं और जो छांटे गये है, वह भारतीय ही हैं।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रधान सहकारी के लिये ७ और दूसरे के लिये ११ प्रार्थना-पत्र आये हैं, इनमें भारतीय कितने हैं ?

श्री फूलसिंह---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अमरीका निवासी सज्जन को नियुक्ति की गई है, उनका कोई प्रार्थना-पत्र आया था ?

श्री फूलसिंह---उनकी नियुक्ति नहीं की गई। उनकी नियुक्ति समाप्त हो गई है। और उनकी जगह एक हिन्दुस्तानी की नियुक्ति हो गई है।

*३---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---[२१ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४-५---**श्रीमती चन्द्रवती** (जिला बिजनौर)---[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

अजमतगढ़ जिला आजमगढ़ में राष्ट्रीय सेवा प्रसार खण्ड खोलने पर विचार

*६---**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि नियोजन मंत्री जब आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ ग्राम में गये थे तब उन्होंने वहां घोषणा की थी कि अजमतगढ़ में राष्ट्रीय सेवा प्रसार खंड १ जनवरी, सन् ५६ से खुल जायेगा ?

श्री फूलसिंह---जनवरी में ब्लाक खुलने के मुताल्लिक कोई घोषणा नहीं की गई थी। जिला नियोजन समिति ने अपनी प्रधानता में अजमतगढ़ को सन् १९५६-५७ में खुलने वाले एन० ई० एस० ब्लाकों में रक्खा है। जब अगले वर्ष ब्लाक खुलेंगे तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी ने, जब वह अजमतगढ़ गये थे तो इस संबंध में वहां कोई वायदा किया था ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—वायदा तो नहीं किया गया था ? यह अवश्य कहा था कि यह एक उपयुक्त स्थान है जहां एन० ई० एस० ब्लाक शीघ्र ही खुलना चाहिये और जैसी कि हमने नीति बरत रखी है कि एन० ई० एस० ब्लाक खुलने के सिलसिले में हम डी० पी० सी० की सिफारिशें मानते हैं, इस विषय में भी वही किया गया है और अब इस वर्ष की समाप्ति में कोई बहुत देर नहीं है। इसलिये वहां जो मांग उपस्थित की गई थी वह स्वतः ही अगले वर्ष में पूरी होने वाली है, जो ४,५ रोज के बाद अपने प्रदेश में प्रारम्भ हो जायगा।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि आजमगढ़ में जो पब्लिक संस्थायें पहले से ही चल रही हैं, वहां के रईस श्री मुकुन्द लाल जी के द्वारा, उनके लड़कों ने उनसे यह प्रार्थना की थी कि यह तमाम संस्थायें आपके सुपुर्द कर देना चाहते ह ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा था किन्तु मैं जरूर जब कभी ऐसे स्थानों पर जाता हूं, जहां अच्छे स्थान देखने को मिलते हैं, मैं स्वयं ऐसी प्रार्थना कर देता हूं कि यदि वह संस्था के संचालन में दिक्कत अनुभव करते हों तो उन्हें ऐसी संस्था को सरकार को दे देना चाहिए और उसी संबंध में मैंने कहा कि एक एन० ई० एस० ब्लाक यहां खुलना चाहिये, क्योंकि यह एक उपयुक्त स्थान है। कदाचित् मैंने उनसे यह कहा होगा कि जब वहां पर एन० ई० एस० ब्लाक खुले तो वे अपनी इमारतें और संस्थायें एन० ई० एस० के काम करने वालों को दे दें।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि जिला नियोजन समिति निश्चय करके भेजती है कि कहां पर और किस समय एन० ई० एस० ब्लाक खोला जाय ?

श्री फूलसिंह—जी हां।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे आजमगढ़ में इस समय कितने ऐसे एन० ई० एस० ब्लाक चल रहे हैं ?

श्री फूलसिंह—मैं ठीक तो नहीं बतला सकता, संभवतः एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है और दो एन० ई० एस० ब्लाक हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन-सी पब्लिक संस्थायें है जो एन० ई० एस० ब्लाक के अन्दर जाना चाहती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वहां आजमतगढ़ में कुछ इमारतें मुझे दिखाई थीं जो काफी अच्छी इमारतें थीं और जिनमें एक लाइब्रेरी चल रही है लेकिन लायब्रेरी जितने स्थान पर रखी हुई है उससे अधिक स्थान वहां पर मौजूद है, जो और कार्यों के लिये इस्तेमाल हो सकता है। इसलिये जब एन० ई० एस० ब्लाक खोलने का प्रश्न वहां रखा गया, तो मैंने अवश्य कहा कि इस इमारत में कुछ एन० ई० एस० ब्लाक के दफ्तर या उस ब्लाक के काम करने वालों के लिये जो स्थान बनाने जरूरी होंगे वह उस खाली जगह के लिये इस्तेमाल किये जा सकते हैं जो लायब्रेरी इत्यादि उन इमारतों में हैं। उस सम्बन्ध में अवश्य यह निवेदन किया था और जैसा मैंने कहा कि अब अगले वर्ष में बड़ा जमाना नहीं है। १५, २० रोज के बाद अगला वर्ष आरम्भ हो जायगा। तो जैसा कि डी० पी० सी० ने तय कर दिया है तो उसके तहत में वहां पर एन० ई० एस० ब्लाक के लिये कार्य प्रारम्भ होगा।

श्री राजनारायण—क्या यह सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब तक वह लायब्रेरी एन० ई० एस० के अन्तर्गत न चली जाय, वह उस लायब्रेरी का कार्य सुचारुरूप से चलाने के लिये कोई सहायता देंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१५, २० रोज के लिये कोई सहायता देने का प्रश्न उठता नहीं है जब एन० ई० एस० ब्लाक का वह हिस्सा बन जायगा तो एन० ई० एस० ब्लाक वाले और उन सब की तरफ से मांग आयेगी तो अवश्य सरकार उसके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिये उद्यत रहेगी ।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि वहां जो लायब्रेरी है और जो खादी बनाने का केन्द्र बनाया गया है वह और छोटी-मोटी संस्थायें जो उनकी तरफ से चल रही हैं वह, सब सरकार उस समय ले लेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं अभी सब चीजों के लिये राय नहीं दे सकता । यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी चीजें एन० ई० एस० ब्लाक के अधिकारी इस्तेमाल करेंगे और जो इस्तेमाल करने के उपयुक्त होंगी तो वे ऐसी चीजों को इस्तेमाल करेंगे । यदि उनसे वहां की जनता का अधिक फायदा हो सकेगा तो अवश्य उन चीजों को एन० ई० एस० के तहत में लेकर सरकार चलाने की चेष्टा करेगी ।

जिला गाजीपुर की सैदपुर तथा मोहम्दपुर तहसीलों में उद्योग-धंधे

*७---**श्री कमलासिंह** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के सैदपुर तथा मोहम्मदाबाद तहसील के बाढ़-क्षेत्र में कौन-कौन सा उद्योग चालू करने के लिये आदेश दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उद्योग विभाग द्वारा गाजीपुर जिले के सैदपुर एवं मोहम्मदाबाद तहसीलों में खादी विकास योजना के अन्तर्गत ५ खादी कताई केन्द्र चल रहे हैं एवं उक्त केन्द्रों द्वारा लगभग ४० गांवों में खादी कार्य हो रहा है ।

इसके अतिरिक्त सामूहिक विकास योजना के अन्तर्गत शिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र, हस्तकर्घा, औद्योगिक शिक्षालय तथा गुड़ विकास योजनायें पहले से ही चल रही हैं ।

*८---**श्री कमलासिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजीपुर जिले में छोटे और बड़े उद्योग-धंधे चालू किये जाने के विषय में सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर अभी तक कोई विस्तृत ढंग की जांच नहीं कराई गई है ।

जिला गाजीपुर की तहसील सैदपुर में अस्पताल की मांग

*९---**श्री कमलासिंह** (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में इमारत इत्यादि सब शर्तों को पूरा करने के बावजूद भी सरकार ने न तो जनाना अस्पताल खोला और न आयुर्वेदिक अस्पताल ही ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह सही नहीं है कि जनाना अस्पताल खोलने के लिये उपयुक्त इमारत उपलब्ध है, अभी तक केवल आउटडोर के लिये सैदपुर खास में भवन मिल रहा है परन्तु एक जनाना अस्पताल में शय्याओं का रखना भी जरूरी है और जब तक शय्याओं के लिये स्थान नहीं मिलता तब तक अस्पताल नहीं खुल सकता ।

२---आयुर्वेदिक अस्पताल इस तहसील में भीमापार नामक स्थान पर खोलने का प्रश्न विचाराधीन है । जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति की राय अब तक नहीं आई है । शीघ्र मंगाने की कोशिश हो रही है ।

*१०-१२---**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)---[८ मार्च, १९५६ को प्रश्न १९-२१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*१३-१५--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोला शुगर मिल्स क्षेत्र, जिला लखीमपुर में गन्ने की उत्पादन

*१६--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बतायेगी कि गोला शुगर मिल्स क्षेत्र (जिला लखीमपुर-खीरी) में गत वर्ष और इस वर्ष कितना-कितना गन्ना बोया गया है ?

श्री फूलसिंह---हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला, के क्षेत्र में गन्ने का क्षेत्रफल १९५४-५५ में ५६,४०७ एकड़ तथा १९५५-५६ में ७०,७९० एकड़ रहा है ।

*१७--**श्री झारखंडेराय**---क्या सरकार को सूचना है कि इस साल जो गन्ना गोला शुगर मिल क्षेत्र में बोया गया है, वह गोला मिल के पेरने की क्षमता से ज्यादा है ?

श्री फूलसिंह---इस साल जो गन्ना बोया गया है उसके बारे में तो इस वक्त नहीं कहा जा सकता कि वह ज्यादा है या नहीं है हाँ, जो पारसाल का बोया हुआ गन्ना इस समय खेतों में है वह अधिक अवश्य है ।

*१८--**श्री झारखंडेराय**---यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के अतिरिक्त गन्ने को अन्यत्र भेजे जाने अथवा स्टेशनों पर अधिक संख्या में काँटे लगाये जाने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री फूलसिंह---गन्ने की स्थिति और खपत को देखते हुए गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश ने अपने आदेश संख्या ४६७/सी० बी०---१/६२ दिनांक २८ जनवरी, १९५६ के द्वारा इस क्षेत्र के परधान नामक केन्द्र का लगभग आठ लाख मन गन्ना अथवा शुगर मिल, हरगांव को फरवरी, १९५६ के आरम्भ से खरीद करने के लिये दे दिया है और उस मिल द्वारा लगभग सवा लाख मन गन्ना खरीदा भी जा चुका है । अधिक संख्या में कांटे लगाये जाने का इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उससे समस्या हल नहीं होती है ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी को यह मालूम है कि गोला शुगर मिल क्षेत्र में कितना गन्ना उसकी क्षमता से अधिक पाया गया, क्या इस बात के कोई आंकड़े उनके पास हैं ?

श्री फूलसिंह---इस बात के आंकड़े अभी नहीं आये हैं ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतायेंगे कि ८ लाख मन गन्ने की खपत के बाद क्या उस क्षेत्र का पूरा गन्ना खप जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---पूरा गन्ना तो कदाचित् नहीं खपेगा, यदि पूरे गन्ने का तात्पर्य यह है कि वह सारा गन्ना जो अब तक गुड़ और खांडसारी बनाने में व्यय होता था । यदि उस गन्ने से मतलब है कि जितना गन्ना अब तक मिलें पेरती रही हैं, उतना ही गन्ना अथवा उससे कुछ अधिक गन्ना अगर उनको पेरने के लिये दिया जायगा तो अवश्य ही उस क्षेत्र की मिलें तथा अन्य मिलें जिनको वह गन्ना पेरने के लिये दिया जायगा, अवश्य पेर लेंगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गोला शुगर फैक्ट्री किस तारीख को प्रारम्भ हुई और इस गन्ने को पेरने के लिये कब तक चालू रहेगी ?

श्री फूलसिंह—तारीख तो मुझे ठीक नहीं मालूम । अब तक ६७ लाख मन गन्ना पेरा जा चुका है । रोजाना की केपेसिटी ६४ हजार मन है । पिछले सीजन में १ करोड़ मन गन्ना पेरा गया था । इस साल भी उतना ही या उससे कुछ अधिक गन्ना वे पेरेंगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि मिल कब चालू हुई ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरा जहां तक अनुमान है ३ या ४ नवम्बर से यह मिल चालू की गयी थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—गत वर्ष जो उत्तर प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास सुझाव भेजा था कि गन्ने की अधिकता को देखते हुए शुगर मिलें १५ अक्टूबर से चालू कर दी जायं, उसका केन्द्रीय सरकार ने क्या उत्तर भेजा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हमने जो सुझाव भेजा था और जिस सुझाव को जब यहां शुगर कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई थी तो केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था लेकिन बाद को २२-२३ अक्टूबर को केन्द्रीय सरकार ने इसको नामंजूर कर दिया । इससे हम भी परेशानी में पड़ गये, क्योंकि हमने कई मिलों को आग्रहपूर्वक निवेदन करके यह कहा था कि वह मिलों को १५-२० अक्तूबर के बीच में चालू कर दें । जब केन्द्रीय सरकार के हमें ऐसे आदेश मिले तो हमने उनको लिखा कि आप हमको १५-२० अक्तूबर के बीच में मिलें चालू करने के लिये कह गये थे परन्तु उनका कहना यह हुआ कि गन्ना अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा, ऐसी उनकी सूचना है । हमने बताया कि उनकी सूचना गलत है ताहम उन्होंने हमारे सुझाव और अपने-अपने वचन की बात के विरुद्ध आदेश जारी किये ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोला शुगर मिल क्षेत्र में जो अतिरिक्त गन्ना है और जो दूसरी मिलों को भेजा जा रहा है, उसकी कीमत १ रुपया ७ आना मन के हिसाब से कम दी जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो ८ लाख मन गन्ने का विवरण दिया गया उसमें तो कम कीमत देने का प्रश्न नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी गन्ने की बहुतायत को देखते हुए इस वर्ष पुनः केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करेंगे कि वह मिलों को १५ से २० अक्टूबर के अन्दर चलवाने का प्रयत्न करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो उसके लिये बहुत जल्दी है लेकिन अगर जैसी मात्रा इस साल हुई वैसी ही अगले साल भी होगी तो अवश्य ही ऐसा सुझाव दिया जायगा और साथ ही मैं एक बात और साफ कर दूं कि इसमें खाद्य मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को भी कुछ दिक्कतें हैं और कभी-कभी वहां का फाइनेंस विभाग उनके सुझावों को नहीं मानता और इसमें ऐसे सुझाव थे जिनका सम्बन्ध फाइनेंस विभाग से था, क्योंकि यह तय हुआ था और सुझाव था कि अगर मिलें १५ अक्टूबर से चालू होंगी तो केन्द्रीय सरकार एक्साइज ड्यूटी और सेस में कुछ कमी करेंगी, हालांकि पूर्व इसके कि हमारा फाइनेन्स विभाग सुझाव देता और विरोध करता, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि केन्द्रीय सरकार के फाइनेन्स विभाग ने खुद उस सुझाव को मंजूर नहीं किया और इसीलिए कदाचित उन्हें विवश होकर कहना पड़ा कि मिलें जिस प्रकार चला करती हैं, वह चलें और कोई छूट आदि के विषय की बात सरकार कदाचित नहीं कर सकती है ।

जिला आजमगढ़ की फूलपुर तहसील में गुड़ उन्नति योजना के अन्तर्गत सुल्ताना कोल्हुओं का वितरण

*१९—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार ने आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के उत्तरी भाग में गुड़ उन्नति योजना लागू कर रखी है ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी हां ।

*२०—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत गत वर्ष किन गांवों में कितने-कितने सुल्ताना कोल्हू वितरित किये गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—गुड़ योजना के अन्तर्गत उपरोक्त क्षेत्र के निम्नलिखित ग्रामों में उनके आगे अंकित कोल्हू गत वर्ष वितरित किये गये:—

ग्राम का नाम	संख्या कोल्हू
१—गोरथानी	१
२—रामपुर	१
३—डड़वा	१
४—सुखदेव पट्टी	१
५—भानीपुर	१
६—पीपरी	३
७—बढ़या	४
८—नरिआंव	१
९—परमेश्वरपुर	१
१०—रानीपुर	१
११—मीरपुर	१
१२—बसहिया	१
१३—लखनडिह	१
१४—गजन्धर पट्टी	४
१५—अचलीपुर	२
१६—बांसगांव	१
१७—रतुवापार	१
१८—लहरपार	१
१९—लालपुर	१
२०—अकबेलपुर	१
२१—विस्टारा	१
२२—कतिकौली	१
२३—खानपुर फतेह	१
योग ..	३२

*२१—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत और कितने कोल्हू इस वर्ष बांटने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—गुड़ योजना के अन्तर्गत उपरोक्त क्षेत्र में सात कोल्हू तकावी पर वितरण करने का लक्ष्य है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा करके बतायेंगे कि यह योजना कितने गांवों में लागू की गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह योजना आजमगढ़ की फूलपुर तहसील के उत्तरी भाग के गांवों में शुरू की गई है, ग्रामों की सूची तो मेरे पास नहीं है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि गत वर्ष जब कि ३२ कोल्हू लगे थे तो इस साल ७ ही कोल्हू क्यों वितरित किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अन्य स्थानों पर अधिक संख्या में कोल्हू देने पड़े और जितना हमारे बजट के अन्दर रुपया था उसके अनुपात में जो आपका हिस्सा पड़ा, वह आपको बांटा गया ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस नये हिस्से के कोल्हू के बटवारे के साथ-साथ फ्यूल एक्नामी के लिये नई प्रकार की कोई भट्टी बनाने की भी योजना क्या वहां पर लागू होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गुड़ विकास योजना में यह भी सम्मिलित है । ऐसा भी विचार है कि नये प्रकार के फर्नेसेज बनाये जायं । दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस ओर अधिक ध्यान दिया जाने वाला है क्योंकि अधिक धनराशि भी हमें इस कार्य के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिलेंगी ।

श्री बलवंतसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह गुड़ योजना प्रांत के और किस जिले में हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वक्त सारे जिलों का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में यह योजना चल रही है और खास कर उन जिलों में जहां कि गन्ना बहुत मात्रा में उत्पन्न होता है ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कोल्हू किसानों को किस रेट पर दिये जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि जिस क्षेत्र में यह योजना लागू की गई है वहां यातायात के अभाव के कारण सारा का सारा गन्ना इन्हीं कोल्हुओं से पेरा जाता है और उसको किसी मिल में जाने की कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—संभवतः ऐसा ही होगा क्योंकि गुड़ की इस विकास योजना का असली मतलब यही है कि इन क्षेत्रों में जहां गुड़ अधिक मात्रा में पैदा होता है और जहां मिल को वह नहीं जा सकता वहां इस योजना को चालू किया जाय जिससे उन क्षेत्रों के रहने वाले किसानों को मदद मिल सके और वे गुड़ की अधिक कीमत प्राप्त कर सकें ।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गुड़ की योजना के अन्तर्गत सुल्ताना कोल्हू ही क्यों वितरित किया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रयोग से ऐसा पता चलता है कि उस कोल्हू के इस्तेमाल से अधिक मात्रा में उस क्वालिटी का गुड़ बन सकता है जो कि किसान को अधिक कीमत प्रदान करा सकता है । उस इम्प्रूव्ड क्लाविटी के गुड़ के बनाने में सहायता प्रदान कर सकता है ।

श्री रमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि आजमगढ़ के दूसरे हिस्सों में भी यह कोल्हू बाटने का इन्तजाम है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, इस वर्ष आजमगढ़ जिले के लिये १९ कोल्हू वितरित किये। उनमें से ७ फूलपुर तहसील में और बाकी जिले के अन्य भागों में बांटे गये।

श्री राजनारायण—क्या सरकार ने इस बात की जानकारी हासिल की है कि सुल्ताना कोल्हू से परसेंटेज क्या पड़ता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सब कोल्हुओं में इस कोल्हू से सबसे ज्यादा एक्सट्रेक्शन होता है। परसंटेज मुझे मालूम नहीं है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सुल्ताना कोल्हू इस नाम क डाकू से तो कोई सम्बन्ध नहीं रखता ?

(हंसी—कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस गुड़ योजना से जो गुड़ तैयार होता है उसको बाहर सूबों में भेजने के लिये क्या सुविधायें सरकार दे रही है ?

श्री अध्यक्ष—आप इस प्रश्न को हजार दास्तां बना रहे हैं।

जिला गोंडा में चौधरी डीह में अस्पताल खोलने की मांग

*२२—**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)—क्या चिकित्सा मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिले में चौधरी डीह का अस्पताल कब खुलेगा और उसके खुलने में क्या अड़चनें हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस गांव में एलोपैथिक औषधालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इसके लिये इमारत का प्रबन्ध अभी नहीं हो सका है। अगले वित्तीय वर्ष में इसका निर्णय होगा।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि चौधरी डीह म अस्पताल खोलने के प्रश्न पर सरकार कब से विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विचार तो साल डेढ़ साल से चल रहा है। उसमें डाइरेक्टर आफ मेडिकल ऐंड हैल्थ सर्विसेज से कुछ जानकारी प्राप्त करने का पहले प्रयत्न किया गया और अब डी० एम० एच० से जानकारी प्राप्त हो चुकी है और परामर्शदात्री समिति ने भी यहां पर अस्पताल खोलने के विषय में अपनी सिफारिश भेज दी है। अगले वर्ष जो अस्पताल खुलेंगे और जब अस्पतालों के खोलने के विषय में निर्णय लेंगे तो इस जगह को अपनी नजर के सामने रखेंगे और उस जानकारी की बुनियाद पर इसके ऊपर विचार करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि १०-१२ साल के पूर्व भूतपूर्व बलरामपुर राज द्वारा एक अस्पताल वहां संचालित किया जा रहा था जिसकी इमारत भी वहां बनी बनायी ठिकाने से मौजूद है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उसी विषय में जब यह प्रश्न उठा तो डाइरेक्टर महोदय से जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि आया उस स्थान पर अस्पताल ही रह सकता है या कर्मचारियों के रहने के लिए भी उपयुक्त स्थान है या नहीं। अब सारी जानकारी इस विषय में प्राप्त हो चुकी है और जैसा कि मैंने निवेदन किया परामर्शदात्री समिति ने भी अपनी सिफारिश लिख कर भेज दी है। अब जब नये अस्पतालों के खोलने के विषय पर निर्णय लेंगे तो इस अस्पताल के विषय को भी सामने रखते हुये हम निर्णय लेंगे और इस प्रश्न को हल करने की चेष्टा करेंगे।

गैंसड़ी (गोंडा) में एलोपैथिक अस्पताल खोलने की मांग

*२३—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि गैंसड़ी (गोंडा) में कोई आयुर्वेदिक चिकित्सालय चल रहा है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वहां एक बड़ा एलोपैथिक अस्पताल खोलने का विचार सरकार रखती है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—एक यूनानी औषधालय चल रहा है कोई एलोपैथिक अस्पताल खोलने का विचार उस स्थान के लिये नहीं है।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिला प्लानिंग कमेटी द्वारा नियुक्त सब कमेटी ने गैंसड़ी के स्थान पर एक एलोपैथिक अस्पताल खोलने की मांग की है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी मेरे पास इसकी इत्तला नहीं है। मगर माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं तो होगा।

*२४—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)—[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

बागपत, जिला मेरठ में चीनी मिल खोलने की योजना

*२५—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बागपत, जिला मेरठ में कोई चीनी मिल खोले जाने की योजना है? यदि हां, तो यह किस स्थिति में आज है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। वहां सहकारिता के आधार पर एक चीनी मिल खोले जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए सरकार ने भारत सरकार को सिफारिश की थी। सम्बन्धित पार्टी ने केन्द्रीय सरकार को लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र दे रक्खा है।

*२६—**श्री रामचन्द्र विकल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इस मिल के लिये भूमि का प्रबन्ध क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी कोआपरेटिव सोसाइटी अथवा मिल की रजिस्ट्री नहीं हुई है और भूमि Acquire करने के लिए अभी कोई प्रस्ताव भी नहीं है। अतः भूमि के प्रबन्ध का अभी कोई प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर के मकरावटगंज, एलनगंज और मेक्सवेलगंज में कंट्रोल आफ रेण्ट ऐंड इविक्शन ऐक्ट की व्यवस्था

*२७—**श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी** (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के मकरावटगंज, एलनगंज और मेक्सवेलगंज में उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ रेण्ट ऐंड इविक्शन ऐक्ट लागू है या नहीं? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, ये बस्तियां ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन तथा एल्गिन मिल्स की हैं जो उनके कर्मचारियों के प्रयोजन के लिए ही हैं। इसलिए इनका एलाटमेंट उक्त कारखानों के प्रबन्धक ही करते हैं।

*२८—**श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी**—क्या सरकार उस विज्ञप्ति को मेज पर रखने की कृपा करेगी, जिसके अनुसार कानपुर के मकरावटगंज, एलनगंज और मेक्सवेलगंज को कंट्रोल आफ रेण्ट इविक्शन ऐक्ट से मुक्त किया गया है।

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मकानों के एलाट करने के लिए मिल मालिकों ने कोई नियम बनाये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे इसकी सूचना नहीं है। मैं समझता हूं कि उनके यहां नियम इत्यादि अवश्य होंगे।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर यहां के मजदूरों को किसके पास अपील करने का अधिकार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं अब इस विषय की सूचना नहीं दे सकता क्योंकि अगर यह मकानात मिल ने खुद बनाये हैं तो उसके विषय में तो लेबर डिपार्टमेंट के तहत में कुछ कार्यवाही होती होगी। जहां तक हमारा सम्बन्ध है इस विषय का प्रश्न हमारे सामने तो उठते नहीं हैं। कभी-कभी जो मिलें मकान अपने मजदूरों को या अपने बीच में काम करने वालों को देती हैं तो उनकी सर्विस कंडीशन का एक हिस्सा ऐग्रीमेंट का हिस्सा होता है और उसके तहत में मकान इत्यादि कदाचित वह देती है।

जालौन के चिकित्सालय में लेडी डाक्टर का अभाव

*२९—**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जालौन के कस्बा जालौन के चिकित्सालय में महिलाओं की देखभाल के लिये कोई लेडी डाक्टर नहीं है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां।

*३०—**श्री बसन्तलाल**—अगर हां, तो उपर्युक्त अस्पताल में महिलाओं की चिकित्सा के लिये सरकार क्या प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वर्तमान जिला बोर्ड जालौन के चिकित्सालय में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की चिकित्सा होती है, महिलाओं की चिकित्सा के लिये अलग प्रबन्ध करने का अभी कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

*३१—**श्री बसन्तलाल**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस चिकित्सालय को राज्य सरकार की तरफ से सन् १९५३ व ५४ और ५५ में कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उपरोक्त जिला बोर्ड अस्पताल को सन् १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में राज्य सरकार की ओर से निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी :—

१९५३–५४— कुछ नहीं,
१९५४–५५—६०० रुपया।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जालौन की लेडी डाक्टर के सिर्फ जिला अस्पताल में होने के कारण जिले की तमाम महिलाओं को ५०,५० मील से चल कर अस्पताल में जाना पड़ता है जिससे काफी कष्ट होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— ऐसा हो सकता है।

श्री बसन्तलाल—क्या मंत्री जी जिला जालौन के केन्द्रीय स्थान कस्बा जालौन में जिले की महिलाओं के गुप्त रोगों की देखभाल की भारी असुविधा को देखते हुए अगले वर्ष लेडी डाक्टर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह अस्पताल तो डिस्ट्रिक बोर्ड का अस्पताल है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के किसी अस्पताल के विषय में, उसके प्रान्तीयकरण के विषय में सरकार कोई कदम नहीं उठाती जब तक जिला बोर्ड ऐसा कोई प्रस्ताव पास करके प्रदेशीय सरकार के पास नहीं भेजता है। और इसलिये जहां तक इस अस्पताल में लेडी डाक्टर की नियुक्ति करने का विषय है, उसमें सरकार कोई आगे कदम उठाने वाली नहीं है क्योंकि जिला बोर्डों के अस्पतालों में प्रदेशीय सरकार ऐसे हस्तक्षेप नहीं करती है।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार इस चिकित्सालय को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अपर्याप्त समझ कर इसको और बढ़ाने की तथा सन् १९५४ में इस चिकित्सालय को कोई भी सरकार से सहायता न मिलने का कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेश में बहुत से जिला बोर्ड हैं जिन्हें सरकार कुछ भी सहायता नहीं देती है। ऐसे जिला बोर्डों के अस्पतालों को जहां कि जिला बोर्डों की तरफ से मांग आती है, अवश्य उनकी मांग पर सरकार विचार करती है और यदि कोई मांग इस जिला बोर्ड के अस्पताल से प्रदेशीय सरकार के समक्ष भेजी जायगी तो सरकार अवश्य उसके ऊपर विचार करेगी।

*३२-३४—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

ब्लाक डेवलपमेंट अफसरों का चुनाव पिछड़ी जाति के उम्मेदवार

*३५—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत चुनाव में पिछड़ी जाति के कितने ब्लाक डेवलपमेंट अफसर चुने गये तथा पिछड़ी जाति के कितने उम्मेदवारों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे ?

श्री फूलसिंह—गत चुनाव में पिछड़ी जाति का कोई ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर नहीं चुना गया।

उक्त चुनाव के लिये पिछड़ी जाति के चार उम्मीदवारों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुल कितने व्यक्ति चुने गये थे ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर ?

श्री फूलसिंह—१०४।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चुनाव के लिये जो योग्यता निर्धारित थी और जो पिछड़ी जाति के ४ उम्मीदवारों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे उनकी योग्यता क्या थी ?

श्री फूलसिंह—कम से कम ग्रेजुएट होना अनिवार्य था। उन चारों में से एक ग्रेजुएट नहीं था। ३ ग्रेजुएट थे, वह एम० ए० थे मगर उनको उचित मार्क्स जो मिलने चाहिये थे वह नहीं मिल सके।

*३६-३७—**श्री तेजासिंह** (जिला मेरठ)— [१८ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

रतनपुरा विकास केन्द्र, जिला बलिया में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहनार्थ उद्योग निरीक्षक की नियुक्ति

*३८—**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)— क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रतनपुरा विकास केन्द्र, जिला बलिया में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के हेतु किसी उद्योग निरीक्षक (Industrial Inspector) की नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो अब तक कौन-कौन उद्योग सम्बन्धी कार्य हुये हैं ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं। इस ब्लाक में एक सहायक अधीक्षक उत्पादन की देखरेख में लोहारी, साबुन बनाना, बढ़ईगीरी, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा रेशम कृषि उद्योग की शिक्षा के शिविर चल रहे हैं।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन शिक्षा शिविरों में जो शिक्षार्थी शिक्षा पा रहे हैं उन्हें शिक्षा काल में और शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकार से क्या सहायता मिलती है?

श्री फूलसिंह—यह कोशिश की जायगी कि वह लोग उस काम को चला सकें।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—यह शिक्षा शिविर इस ब्लाक में कहां-कहां हैं?

श्री फूलसिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में सिंचाई के कुओं के लिये अनुदान

*३९—**श्री रामसुन्दर राम** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के खलीलाबाद तहसील में सिंचाई के कितने कुओं का अनुदान सन् १९५२-५३ व सन् १९५४ तक सामान के रूप में प्रति वर्ष दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बस्ती जिले के खलीलाबाद तहसील में सन् १९५२-५३ में १५४ कुंओं पर और सन् १९५३-५४ में ३१ कुओं पर सामान के रूप में तकावी ऋण दिया गया।

*४०—**श्री रामसुन्दर राम** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सन् के उपर्युक्त दिये हुये अनुदानों में से कितने कुयें तहसील खलीलाबाद के अन्तर्गत अब तक नहीं बने हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त तहसील में उक्त कुओं में से सन् १९५२-५३ में ३२ व सन् १९५३-५४ में २१ कुएं अब तक नहीं बने हैं।

*४१—**श्री रामसुन्दर राम** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त सन् के कितने कुयें ऐसे हैं कि जो बन गये हैं पर उनका छूट का रुपया अभी तक नहीं दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर में उल्लिखित कुओं में से १७ कुएं ऐसे हैं जो बन चुके हैं पर उन पर अभी छूट नहीं दी जा सकी है और जांच हो रही है।

*४२—४३—**श्री उमाशंकर**—[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४-४५—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)— [२ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ३१-३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कारपोरेशन द्वारा औद्योगिक इकाइयों को ऋण

*४६—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कार्पोरेशन ने कब तक कितनी औद्योगिक इकाइयों को ऋण दिया है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कारपोरेशन ने १ मार्च, १९५६ तक ग्यारह औद्योगिक इकाइयों को ऋण दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि यह कौन-कौन सी औद्योगिक इकाइयां हैं और इनको कितना-कितना ऋण दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिन रोजगारों को धनराशि प्रदान की गई है वह यह हैं--साईकिल पार्ट्स के उद्योग धंधे, मशीन और मशीन पार्ट्स के कुछ उद्योग धंधे, पेडलाक्स ऐंड फेटर्स के उद्योग धंधे, शुगर के उद्योग धन्धे, ऐग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के उद्योग धन्धे, आइस ऐंड कोल्ड स्टोरेज के, एलेक्ट्रिक गुड्स के, वुड स्टूल्स के उद्योग धन्धे, पिस्टल्स ऐंड स्टोल लाइनर्स इत्यादि के, रेलवे ट्रैक मैटीरियल का उद्योग धंधा, राइस ऐंड दाल का उद्योग धन्धा और ओपेन टाप कैन्स का उद्योग धन्धा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी उन इकाइयों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन ११ इकाइयों को उन्होंने अभी बताया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वह तो मैंने सूचना मंगाई नहीं है। किन चीजों के लिए दी गई है यह तो है लेकिन किनको दी गई, इसके लिए नोटिस की जरूरत होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--कितना रुपया दिया गया है अलग-अलग?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--रुपया मैं बताता हूं- साइकिल पार्ट्स के लिए ७५ हजार रुपया सैंक्शन हुआ है, जिसमें से ६४,३२८ रुपया लिया जा चुका है। मशीन ऐण्ड मशीम पार्ट्स के लिये ३ व्यक्तियों को दिया गया है। ३ लाख १५ हजार रुपया दिया गया है जिसमें से ८५ हजार ५ सौ रुपया लिया जा चुका है। पेडलाक्स ऐंड फैटर्स के लिए दो व्यक्तियों को दिया गया है। कुल रुपया ३६ हजार मंजूर हुआ है जिसमें से ११ हजार लिया गया है। शुगर के लिए तीन व्यक्तियों को दिया गया है। ७७ हजार रुपया सैंक्शन हुआ है, ५४ हजार उसमें से लिया गया है। ऐग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के लिए १ व्यक्ति को रुपया दिया गया है। ५० हजार सैंक्शन हुआ है और ५० हजार उसने ले लिया है। आइस ऐंड कोल्ड स्टोरेज के लिए दो व्यक्तियों को रुपया दिया गया है। ७४ हजार जिसमें से २४ हजार रुपया लिया जा चुका है। इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए एक व्यक्ति को १ लाख रुपया दिया गया है। उसने अभी रुपया उठाया नहीं है। वुडेन स्टूल्स के लिए २० हजार रुपया है, वह भी अभी उठा नहीं है। पिस्टल्स ऐंड स्टोल्स लाइनर्स के लिए २० हजार रुपया है और वह २० हजार उठा लिया गया है। रेलवे ट्रैक मैटीरिअल के लिए ५ लाख रुपया दिया गया है। वह अभी उठा नहीं है। राइस और दाल के लिए दो व्यक्तियों को रुपया दिया गया है। उसने भी अभी रुपया उठाया नहीं है। ओपेन टाप कैन्स के लिए तीन लाख रुपया मंजूर हुआ है। यह भी अभी उठा नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो औद्योगिक इकाइयों को ऋण दिया जायगा इस ऋण दिये जाने का आधार नियमों के अनुसार क्या निश्चित किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ऐसे सारे उद्योग जो कि प्रदेश में विकसित किये जा सकते हैं, मुनाफे से चलाये जा सकते हैं। जो उद्योग धंधे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को रोजगार में लगा सकते हैं और जिनको कि चला कर इकोनामिक ढंग से सफलता प्राप्त की जा सकती है, ऐसे सारे प्रदेश के उद्योग धंधों को यह फाइनेंशल कारपोरेशन मदद देने के लिए उद्यत है, बशर्ते कि वे व्यक्ति जो कि यह धनराशि लेना चाहते हैं उचित प्रकार की सिक्योरिटी और ऐसी सिक्योरिटी जिसे कि कारपोरेशन मंजूर करे, देने के लिए उद्यत हों।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि फाइनेंशियल कारपोरेशन से छोटे उद्योग धंधों को रुपया मिलने में बहुत कठिनाई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि छोटे उद्योग धंधों के मतलब १०, २० हजार के उद्योग धंधों से है तो उनको रुपया सरकार स्वतः कमेटी की सिफारिशों की बुनियाद पर देती है जोकि वर्षों से इस प्रदेश में स्थापित है, अलावा उन रकमों के जिसे फाइनेंशल कार्पोरेशन देने के लिये उद्यत है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि अब तक कितने प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से कितने अस्वीकार किये गये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—करीब ९१ प्रार्थना-पत्र आये थे। जैसा मैंने अभी बताया २० प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये। जो नियम फाइनेंशल कारपोरेशनस् के हैं उनके हिसाब से जो व्यक्ति धन मांगते हैं यदि कोई उन नियमों की तहत में नहीं आते हैं, यदि वे सिक्योरिटी नहीं दे पाते हैं, उन नियमों में जो नहीं आते हैं, जो निर्धारित किये गये उनके प्रार्थना-पत्र लौटा भी दिये जाते हैं।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस फाइनेंसिंग कार्पोरेशन के जरिये से किसी कोआपरेटिव शुगर मिल को सूद पर रुपया मिल सकेगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोआपरेटिव शुगर मिल तो रुपया बहुत ज्यादा चाहेगा और यह ५ लाख रुपया तक ही दे सकता है। वह ज्यादातर तो ५० हजार या एक लाख तक का ही रकमें देता है और इससे अधिक नहीं देता। लेकिन जो कुछ कोआपरेटिव की शुगर फैक्टरी आज तक हैं उनमें करीब एक करोड़ रुपये के धन व्यय होता है और अगर फाइनेंसिंग कार्पोरेशन से १ लाख रुपया उसे मिल जाय तो उसका कोई कार्य चलता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलायेंगी कि इस कारपोरेशन के पास इस समय ऋण देने के लिये कुल कितनी पूंजी है और उसमें सरकार के कितने रुपये के शेयर्स हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वैसे तो इसका डिक्लेयर्ड कैपिटल तीन करोड़ है। ५० लाख के शेयर पहले जारी किये गये थे जिसमें से सरकार ने १८ लाख के शेयर लिये थे। रिजर्व बैंक ने शेयर्स लिये थे। लगभग २५ लाख रुपये के शेयर्स सरकार ने इस चालू वर्ष में लिये और अगले वर्ष २५ लाख रुपये के शेयर्स लेने जा रही है। तो उत्तरोत्तर उसका कैपिटल बढ़ता जा रहा है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फायनेंसिंग कार्पोरेशन द्वारा देहाती क्षेत्रों में चलने वाले उद्योग धंधों को भी कुछ सहायता दी गई है या देने का विचार है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अगर देहात में कोई व्यक्ति रोजगार चलाये और उसके चलाने के वहां पर साधन हैं तो अवश्य यह फाइनेंनसिंग कार्पोरेशन देहात के उद्योग धंधों को भी मदद देगा लेकिन इस प्रकार के उद्योग दो-दो, तीन-तीन लाख के उन्हीं स्थानों पर आज चलाये जा रहे हैं जहां उन उद्योग धंधों के लिये साधन हैं। जहां एक वस्तु को दूसरे स्थान तक ले जाने के लिये रास्ते बने हुये हैं, क्योंकि कोई भी उद्योग धंधा इसके बगैर इकनामिकली चलाया नहीं जा सकता, जब तक कि जो चीज बनाई जाय उसके ले जाने और ले आने की सुव्यवस्था न हो।

प्रदेश में नये खोले गये औषधालय

*४७—**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन-किन जिलों में ऐलोपैथिक आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालय इस वर्ष खोले गये हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसकी सूची मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३६–२३७ पर)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दो से अधिक और पांच के अन्दर किन-किन जिलों में अस्पताल खोले गये हैं?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपने इसी वर्ष के बारे में पूछा है। आपको फेहरिस्त दे दी गयी है उसे आप देख लें।

वीवर्स यूनियन मगहर द्वारा सहकारी स्तर पर सूत की मिल खोलने का सुझाव

*४८—**श्री धनुषधारी पांडेय**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि वीवर्स यूनियन, मगहर ने कोआपरेटिव स्तर पर मगहर में सूत की मिल बनाने के लिये कोई सुझाव सरकार के पास भेजा है? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि उस पर क्या निर्णय दिया गया है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—(अ) ऐसा कोई सुझाव सरकार को नहीं मिला।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वीवर्स सोसायटी, मगहर से कोआपरेटिव बेसिस पर मिल खोलने के लिये अगर सुझाव आता है तो उसके ऊपर विचार करने को तैयार हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सुझाव आ जाय तब विचार करेंगे। अभी तो किस स्थान पर मिल खोली जाय, इसी पर प्रदेशीय सरकार विचार कर रही है। हैण्डलूम बोर्ड ने एक कमेटी नियुक्त की है जो सारे प्रदेश की हालत को देखकर हमें अपनी सिफारिश देगी कि किस स्थान पर यह कोआपरेटिव फैक्टरी बनायी जाय।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह सूती मिल खोलने के प्रश्न को उस समय तक स्थगित करने पर विचार करेंगे जब तक कि अम्बर चर्खे का प्रयोग न हो जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उस कमेटी के सिपुर्द अम्बर चर्खे से क्या-क्या पासिबिलिटीज हो सकती है यह प्रश्न भी है।

धोरहरा कलां, जिला खीरी में मैटरनिटी सेंटर की व्यवस्था

*४९—**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कस्बा धुरहरा कलां, जिला खीरी में उसने मेटरनिटी सेन्टर खोलने का विचार किया था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, और सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश भी भेजे जा चुके हैं।

*५०—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो अब तक मेटरनिटी सेन्टर क्यों नहीं स्थापित हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब तक दो मिडवाइफ वहां भेजने की व्यवस्था की गई परन्तु वे वहां नहीं गईं। अब तीसरी मिडवाइफ को भेजने की व्यवस्था की गई है।

जिला खीरी में ऐन्टी मलेरिया योजना पर १९५३-५४ में व्यय

*५१—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि जिला खीरी में सन् १९५३-५४ में ऐन्टी मलेरिया योजना के अन्तर्गत कितना व्यय हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार ने जिला खीरी में सन् १९५३-५४ में मलेरिया योजना के अन्तर्गत ४६,२०० रु० व्यय किया।

प्रदेश में मुद्रण कला के विकास व प्रसार के लिये स्कूल खोलने की योजना

*५२—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मुद्रण कला के विकास और प्रसार के लिये सरकार कानपुर और प्रयाग में स्कूल खोलने की योजना पर विचार कर रही है? अगर हां, तो उपर्युक्त योजना कब तक कार्य रूप में परिणत हो सकेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—केवल प्रयाग में स्कूल खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है। यह स्कूल सन् १९५७-५८ से कार्य कर सकेगा।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी इस योजना की प्रमुख बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—योजना तो इस प्रकार से है कि एक प्रिंटिंग टेक्नोलाजी की संस्था स्थापित की जाय। प्रिंटिंग टेक्नोलाजी अपने प्रदेश के एक बड़े व्यवसाय से सम्बन्धत रखने वाली चीज है क्योंकि प्रिंटिंग का कार्य प्रदेश में काफी दिशा में फैला हुआ है और उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य बढ़ता जायगा उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता जायगा। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्ति किसी संस्था की तहत में शिक्षित किये जायं जो प्रिंटिंग इत्यादि की जो कला है उससे भली भांति परिचित रहें। ऐसे ही व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिये यह इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में अगले वर्ष से खुलेगा और उसके लिये सन् १९५७-५८ में विद्यार्थी इत्यादि लिखाई पढ़ाई के लिये भर्ती किये जायंगे।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि इस स्कूल में भर्ती होने के लिये कम से कम योग्यता क्या रखी जायगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी उसके तो नियम नहीं बने हैं। यह तो विचार करके तय किया जायगा। जो व्यक्ति उसके संचालन के लिये नियुक्त होगा उससे कहा जायगा कि वह ऐसी योजन बनावे कि किस प्रकार के व्यक्तियों को उस संस्था में शिक्षा देने के लिये लिया जाय।

श्री व्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संस्था में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को कुछ वजीफा भी दिया जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह तो और भी पोलीटेक्निक इत्यादि में हम कुछ वजीफा वगैरह देते हैं फिर भी कुछ विद्यार्थियों को तो अवश्य हम वजीफा देने का प्रयत्न करेंगे।

प्रदेश के शिक्षित युवकों की बेकारी दूर करने के हेतु टेक्निकल शिक्षा योजना

*५३--श्री रामदुलारे मिश्र--क्या उद्योग मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि प्रदेश के शिक्षित युवकों की बेकारी दूर करने के हेतु राज्य सरकार २ करोड़ ७० लाख रुपये की लागत से टेक्निकल शिक्षा योजना पर विचार कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां। इस योजना पर अब २ करोड़ ५६ लाख रुपया व्यय किया जायगा।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी होनहार युवकों को देश के अन्दर तथा बाहर फैक्टरियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के हेतु आर्थिक सहायता देने की योजना पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह तो जैसा माननीय सदस्यों को पता होगा कि हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये १५ लाख रुपये की धनराशि रखी है।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या यह सही है कि मंत्री जी टेक्निकल शिक्षण के विकास और प्रसार के लिये तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये राष्ट्र का औद्योगीकरण करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह तो जब परसों इस विभाग का बजट सदन में उपस्थित हुआ था उस समय काफी विचार जो सरकार को रखने थे वह प्रस्तुत किये जा चुके हैं और उनका असली मतलब यह है कि किसी तरह से देश का औद्योगीकरण बढ़े जिससे बेरोजगारी की समस्या हल्की हो।

श्री रतनलाल जैन--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन देने के लिये कहां-कहां और किस तरह के शिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी प्रदेश के सारे शिक्षण केन्द्रों के सम्बन्ध में मैं कोई निर्णय नहीं ले चुका हूं लेकिन इस विकास योजना में कई चीजें सम्मिलित हैं जिनके सम्बन्ध में ऐक्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन्स में कौन-कौन चीजों की कमी है। उनको पूरा करने की बात है। हारकोर्ट बटलर टैक्नोलोजीकल एक संस्था है उसके एक्सपेंशन के ऊपर और विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिये बहुत सा रुपया रख रहे हैं। सूबे में और टैक्नोलोजीकल संस्थाओं के लिये रख रहे हैं लखनऊ और गोरखपुर में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स हैं उनमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा कर और कुछ सेक्शन्स बढ़ा कर शिक्षा देने के लिये धनराशि रख रहे हैं। फैजाबाद, फर्रुखाबाद और मुरादाबाद में हायर सेकेंडरी टेक्निकल इंस्टीटयूशन्स की स्थापना करने जा रहे हैं और साथ में ही जो पोलीटेक्निक इंस्टीट्यूशन्स चल रहे हैं उनमें क्या कमियां हैं उनको भी दूर करने के लिये व्यवस्था करने जा रहे हैं और अब जैसा कि मैंने उस दिन बताया था यह पोलीटेक्निक इंस्टीट्यूशन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबर विभाग के अन्तर्गत चलते थे वह अब हमारे तहत में आने वाले हैं लिहाजा उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिये हम रुपया व्यय करने वाले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अब तक इन इंस्टीट्यूशन्स में दो ढाई हजार विद्यार्थी प्रति वर्ष पढ़ते थे, अब इस योजना में कम से कम ३,००० व्यक्तियों के शिक्षण का प्रबन्ध किया जायगा।

जिला बस्ती के इटवा कोढ़ अस्पताल को सरकारी सहायता की आवश्यकता

*५४--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--क्या सरकार जनता द्वारा स्थापित इटवा कोढ़ अस्पताल को कोई सहायता देती है ? यदि हां, तो किस रूप में और कितनी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी नहीं।

श्री रामलखन मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी को इस अस्पताल के बारे में कोई जानकारी है कि कितने दिनों से वहां चल रह है और उसका प्रभाव क्षेत्र क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हमने सिविल सर्जन से पूछा है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार के पास अस्पताल के प्रबन्धकों की ओर से कोई सहायता की मांग आई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---नहीं, कोई मांग नहीं आई है।

*५५---श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)---[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

शाहगंज चीनी मिल द्वारा गन्ने की कीमत से गन्ना सोसाइटी के लिये कटौती

*५६---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि शाहगंज गन्ना मिल ने सन् १९५४-५५ और १९५५-५६ की गन्ना फसल में गन्ने की कीमत से कितना रुपया किस दर से कटौती कर के वहां की गन्ना सोसाइटी को दिया है?

श्री फूलसिंह---शाहगंज चीनी मिल ने सन् १९५४-५५ और १९५५-५६ की गन्ना फसल में गन्ने की कीमत में कोई कटौती नहीं की है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सोसाइटी का पैसा किस आधार पर दिया जाता है? गन्ना की कीमत से नहीं दिया जाता है तो चन्दे से या किस तरह से?

श्री फूलसिंह---सोसाइटी को कमीशन मिलता है।

श्री शिवनारायण---क्या यह सही है कि हर साल किसानों से सोसाइटी चन्दे के रूप में कुछ पैसा काट लेती है?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कमीशन किस दर से काटा जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कमीशन ६ पाई प्रति मन की दर से काटा जाता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---कुल कितना रुपया मिला?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो कमीशन बना था वह ७७,५७४ रुपया ६ आना ९ पाई था और जो दिया गया वह ७७,५७४ रुपया ६ आना ९ पाई था। कुछ भी बाकी नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि शाहगंज शुगर मिल्स से केन की कीमत का रुपया किसानों का बाकी है या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इतनी मिल्स हैं, मैं बता नहीं सकता कि है या नहीं।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि जिन फैक्टरियों में वारफंड के रूप में किसानों से रुपया लेकर जमा किया गया था, उसके लिये वह कोई आदेश देकर उस रुपये को दिलवाने का विचार रखती है?

श्री फूलसिंह---फैक्टरियों में कोई रुपया इकट्ठा ही नहीं हुआ।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहगंज रत्ना शुगर मिल्स, जो गन्ने का कमीशन काटती है वह किसी संस्था को भी दिया जाता है?

श्री फूलसिंह---यह तो केन यूनियन को दिया जाता है।

*५७---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---[हटा दिया गया।]

*५८---५९---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[२१ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रदेश में जिन्दा अजायबघर

*६०---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में जिन्दा अजायबघरों की कितनी संख्या है?

श्री बलदेव सिंह आर्य---इस प्रदेश में केवल एक ही जिन्दा अजायबघर लखनऊ में बनारसीबाग में है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश के और किन्हीं शहरों में से अजायबघर बनाने की मांग उनके पास आई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी तो कहीं से मांग आई नहीं है।

इलाहाबाद में अस्पताल तथा मेडिकल कालेज बनाने पर विचार

*६१---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सितम्बर, १९५५ में जब हेल्थ मिनिस्टर इलाहाबाद पधारे थे तो उन्होंने इलाहाबाद में अस्पताल तथा मेडिकल कालेज बनाने का आश्वासन वहां की जनता को दिया था?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी हां। इलाहाबाद में एक नया तथा विशाल अस्पताल बनाने का काम शुरू होने वाला है। अस्पताल बन जाने पर मेडिकल कालेज बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अस्पताल में कितने बेड हैं और कितना धन व्यय होगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी जो नया अस्पताल बन रहा है वह २०० या २५० बेड्स का होगा, जहां तक मुझे याद है। लेकिन अस्पताल में अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इलाहाबाद में कमलानेहरू अस्पताल और छोटे बच्चों का अस्पताल बनने वाला है। इन तमाम अस्पतालों के बेड्स को मिला कर कम से कम इतने बेड्स तो हो हीं जायंगे कि वहां एक मेडिकल कालेज यदि कभी बने तो उसमें ५० या ६० विद्यार्थियों को प्रति वर्ष दाखिल किया जा सके और उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सके।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस अस्पताल के बन जाने के बाद और जो सरकारी अस्पताल हैं वह तोड़ दिये जायंगे?

नोट---तारांकित प्रश्न ६१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक इस मोतीलाल अस्पताल का संबंध है, जो कि आज जिले का अस्पताल समझा जाता है, उसको रखने की तब कोई आवश्यकता न होगी। क्योंकि मोतीलाल अस्पताल ही आज जिले का अस्पताल है और जिले का जब एक नया और बड़ा अस्पताल बन जायगा तो वहां इसको रखने की आवश्यकता नहीं। यही मोतीलाल अस्पताल दूसरी जगह जो जिले का अस्पताल बन रहा है मोतीलाल अस्पताल के नाम से ख्यात होगा और इसको रखने की वहां आवश्यकता न होगी।

जिला इलाहाबाद में सिंचाई के हेतु तालाबों और पक्के कुओं का निर्माण

*६२--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद में सिंचाई हेतु जिन तालाबों पथा पक्के कुओं के बनाने हेतु १९५३-५४ व १९५४-५५ में सहायता दी गई है उनमें से कितनों का निर्माण हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त जिले में जहां तक सिंचाई हेतु तालाबों के निर्माण का प्रश्न है १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में न तो कोई प्रार्थना-पत्र ही प्राप्त हुए और न किसी नए तालाब के निर्माण के लिए सहायता ही दी गई। पक्के कुओं के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है:--

	पक्के कुओं की संख्या जिनके लिए सहायता (तकावी) प्रदान की गई	पक्के कुओं की संख्या जिनका निर्माण हो चुका
१९५३-५४ ..	.. १५०	११३
१९५४-५५ ..	.. १०२	---

असहाय वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

*६३--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार कृपया बतायेगी को प्रदेश में जो असहाय वृद्ध पुरुषों की अर्थिक व्यवस्था के लिये पिछले बजट में धनराशि मंजूर की गयी थी उसके द्वारा कैसे सहायता प्रदान की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सन् १९५५-५६ के बजट में केवल ३० हजार रुपये की धनराशि इस कार्य के लिये स्वीकृत की गई थी। यह राशि दो समान भागों में विभाजित करके नगर पालिका लखनऊ द्वारा संचालित सेवा सदन, लखनऊ में असहाय पंगुओं की सहायता के लिये नगर पालिका, लखनऊ को ही अनुदान के रुप में दी जा रही है।

*६४--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**--अब तक इस धनराशि में से कितना खर्च किया गया और कितने लोगों को सहायता दी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब तक इस तीस हजार की राशि में से १५ हजार रुपया नगर पालिका लखनऊ को दिया जा चुका है। सेवा सदन में इस समय ५० पंगु रह रहे हैं और उनके भोजन, निवास तथा उपचार की व्यवस्था हो रही है।

*६५--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**--क्या सरकार इस योजना को सम्पूर्ण प्रदेश में प्रसारित करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

तहसील जसराना, जिला मैनपुरी में श्रमदान द्वारा सड़कों का निर्माण

*६६--श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)--क्या यह सही है कि जिला मैनपुरी की जसराना तहसील में बीस-बीस मील से अधिक लम्बी दो सड़कें श्रमदान द्वारा तैयार की जा रही हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। किन्तु दो लम्बी सड़कें जिनकी लम्बाई क्रमशः २० तथा १८ मील है, श्रमदान द्वारा बनाई जा रही है।

*६७--श्री विष्णुदयाल वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन दोनों सड़कों पर अब तक कितने रुपये का अलग-अलग काम हो चुका है और सरकार ने उसमें क्या सहायता की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इन सड़कों पर एक हजार रुपया प्रति मील की लागत का काम श्रमदान द्वारा हो चुका है। (सेल्फ हेल्प) स्वावलम्बी आधार पर पुलियों तथा पुलों के निर्माण के लिये एक तिहाई ग्रान्ट-इन-एड दी जायगी।

बनारस जिले में पेपर मिल के लिए प्राप्त भूमि

*६८--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार को पता है कि बनारस जिले में पेपर मिल खोलने के लिय किसी व्यक्ति को बनारस स्टेट से प्राप्त हुई कोई भूमि किसानों से लेकर दी गई थी ? यदि हां, तो कब और कितनी भूमि तथा अभी तक वह मिल क्यों नहीं खोली गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

बनारस जिले के किंग एडवर्ड अस्पताल के डाक्टर के खिलाफ शिकायत

*६९--श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि बनारस जिले के मुगलसराय के किसी व्यक्ति ने प्रार्थना-पत्र देकर किंग एडवर्ड अस्पताल के डाक्टर के व्यवहार की शिकायत की है कि उक्त व्यक्ति जिस मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने को ले गया था उसको डाक्टर ने भर्ती नहीं किया और वह मर गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जब श्री वी० जी० प्रसाद महोदय अपनी रोगी स्त्री को दिनांक ६ जुलाई, १९५५ की रात में ११ बजे अस्पताल में ले गये थे उस समय कोई शय्या खाली नहीं थी यहां तक कि १६ शय्या की तादाद के स्त्रियों के वार्ड में ४५ मरीज उस समय भर्ती थे और संख्या अधिक होने के कारण वहां काफी भीड़ थी। जगह न होने के कारण जो डाक्टर ड्यूटी पर था उसे कहना पड़ा कि जगह नहीं है मरीज केवल आउट डोर के बरांडे में ही रखा जा सकता है और उचित चिकित्सा वहां पर की जायगी। मरीज के परिवार वाले इस बात से सहमत न होकर मरीज को एकदम वापिस ले गये। यह मरीज अस्पताल में नहीं मरा था मालूम करने पर ज्ञात हुआ है यह मरीज किसी प्राइवेट जगह पर इलाज कराने के बाद मर गया।

*७०--श्री उमाशंकर--क्या सरकार ने किसी उच्च अधिकारी से उस डाक्टर के व्यवहार की जांच कराई है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस सम्बन्ध में दो उच्च श्रेणी के सिविल सर्जन यानी जो उस समय सिविल सर्जन थे तथा जो मौजूदा सिविल सर्जन हैं, द्वारा जांच कराई गई है और ज्ञात हुआ है कि उस समय जब मरीज अस्पताल लाया गया था तो डाक्टर वहां ड्यूटी पर थे। उस मरीज को भर्ती न कराने में डाक्टर अथवा किसी और अधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है क्योंकि मरीज अस्पताल में जगह न होने के कारण वार्ड में भर्ती नहीं किया

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जा सका और उसके रिश्तेदारों ने उसको आउट डोर के बरांडे में रह कर मुई या और किसी प्रकार की औषधि लेन पसन्द नहीं किया, इसलिये उन्होंने प्राइवेट डाक्टर से इलाज कराना आरम्भ कर दिया और वहीं मरीज की मृत्यु हो गई । औरतों के वार्ड में जिस दिन मरीज लाया गया १६ मरीज की जगह पर ४५ मरीज पहले से भर्ती थे । दोनों सिविल सर्जन ने उपरोक्त बयान की सहमति की है ।

बनारस में विश्वनाथ जी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन में हुई गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, बनारस में हरिजन मंदिर प्रवेश का आंदोलन कई महीनों से चल रहा है । स्थानीय अधिकारियों का बराबर यह प्रयत्न रहा है कि हरिजनों की उन अधिकारों की रक्षा में सहायता करें जो उनको कानून के द्वारा प्राप्त हैं और जहां कहीं किसी ने हरिजनों को मंदिर प्रवेश से रोका है वहां उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी परन्तु विश्वनाथ जी और अन्नपूर्णा जी के मंदिरों की अवस्था कुछ भिन्न है । धर्म संघ के कुछ लोगों ने दीवानी अदालत से इंजेक्शन हासिल कर लिया है और अधिकारियों को यह कानूनी सलाह दी गयी है कि यदि उन्होंने इस हुक्म इम्तनाई के विरुद्ध कुछ किया तो उनके ऊपर कंटेम्पट आफ कोर्ट का अभियोग लग सकता है । इसलिये इन दोनों मंदिरों के सम्बन्ध में उनका यह प्रयत्न रहता है कि शांति भंग न होने पावे । वह खुद कोई सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करते ।

पिछली शिवरात्रि के दिन जो १० तारीख को पड़ी थी मुसलमानों का रज्जबशरीफ का त्यौहार भी आ पड़ा था और उस दिन ज्ञानवापी के मैदान में उनका बड़ा जल्सा होने वाला था । इसलिये सिटी मैजिस्ट्रेट ने एक सप्ताह के लिये दफा १४४ फौ० प्रो० को० की आज्ञा निकाल दी थी । शिवरात्रि के दूसरे दिन अर्थात् ११ तारीख को हरिजन सत्याग्रहियों का एक बड़ा जत्था मंदिर के पास आया और गली में सारा यातायात काफी देर तक बन्द रहा । उनको बतला दिया गया था कि दफा १४४ शहर में लागू है फिर भी वह नहीं हटे और अन्दर जाने का प्रयत्न करते रहे । उधर अन्दर से कुछ लोग उनके रोकने का प्रयत्न कर रहे थे । फिर भी दफा १८८ यानी दफा १४४ तोड़ने के सम्बन्ध में दफा १८८ की कार्यवाही न करके दफा १५१ सी०आर०पी० सी० के मातहत तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें २ हरिजन और १ धर्मसंघी था । दूसरे दिन यानी १२ तारीख को हरिजनों का और भी बड़ा जत्था आया जिसमें बनारस के अतिरिक्त बाहर के भी काफी व्यक्ति थे । यह जत्था बहुत देर तक गली में यातायात रोक कर खड़ा रहा और मंदिर के अन्दर जाने का तीव्र प्रयत्न करता रहा । अन्दर से विरोध भी अधिक तीव्र हुआ । फलतः सब मिलाकर २७ व्यक्तियों को शांति रक्षा के लिये गिरफ्तार करना पड़ा जिनमें १६ हरिजन और ११ धर्मसंघी थे । यह कार्यवाही भी दफा १५१ में हुयी । फलतः कल यानी १३ तारीख को पूर्ण शांति रही ।

इतना और मैं सूचित कर देना चाहता हूं कि होली के सिलसिले में एक महीने के लिये नगर में दफा १४४ की कार्यवाही होगी ।

श्री अध्यक्ष---जो सूचना अभी सदन को दी गयी है उससे यह स्पष्ट है कि यह स्थानीय शासन की साधारण शासन की कार्यवाही का ही कार्य रहा । जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है उसने कोई हस्तक्षेप इस सम्बन्ध में नहीं किया बल्कि यह कहा गया है कि अदालत के हुक्म इम्तनाई के खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर सकती है, ऐसी अवस्था में शासन का साधारण प्रबंध का ही सम्बन्ध इस विषय में होने से, मैं इस प्रस्ताव को अवैध करार देता हूं और यह कामरोको प्रस्ताव यहां पर पेश नहीं हो सकता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बदायूं जिले के बाढ़पीड़ित क्षेत्र मे लगान वसूली सम्बन्धी दमनात्मक कार्यवाहियों से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री टीकाराम जी ने दिया है और मैंने उसको यहां माल विभाग के उपमंत्री जी के पास भेज दिया है। अगर इस सम्बन्ध में चूंकि यह आज ही आया है, उन्हें कोई बात मालूम हो तो उसकी जानकारी सदन को दें और तब मैं इसके ऊपर निर्णय करूंगा।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बदायूं जिले में बाढ़ से ८ आना या ८ आने से ऊपर ४४७ गांवों में नुकसान हुआ था। उसके सम्बन्ध में सितम्बर के पहले सप्ताह में यहां गवर्नमेंट से एक आर्डर गया कि मालगुजारी की वसूली में कोई कोअर्सिव प्रोसेस न लिया जाय और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बदायूं से एक खत ३० दिसम्बर, ५५ को भेजा। उन्होंने उसमें लिखा है कि उन्होंने यह लैन्ड रेवेन्यू ३,२८,८०७ रुपया मुल्तवी कर दिया है।

जहां तक कोअर्सिव प्रोसेस के लिये इसमें लिखा था कि लिया जा रहा है उसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह हिदायत दी गयी है कि वह कोई कोअर्सिव प्रोसेस अमल में न लायें।

दूसरी चीज यह कही गयी है कि बहुत सी अर्जियां और रिजोल्यूशन आये तो मैंने अभी सेक्रेटेरियट से दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि किसी तरह की कोई दरख्वास्त मुल्तवी के बारे में या और किसी तरह की सेक्रेटेरियट में नहीं आयी और न मेरे पास ही आयी। गवर्नमेंट की तरफ से जो कार्यवाही हो सकती थी वह की गयी है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मालगुजारी की मुल्तवी के लिये लिखा गया है। पुरानी मालगुजारी की जो वसूली होने को है वह उन्हीं लोगों से हो रही है जो उसको देना चाहते हैं। किसी तरह का कोअर्सिव प्रोसेस अमल में लाने की उन लोगों को मनाही है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि उन्होंने खुद वहां जाकर देखा कि कुर्की और गिरफ्तारी वहां हो रही है। ऐसी अवस्था में प्रश्न निश्चित है और उसे मैं वैध करार देता हूं और माननीय सदस्य सदन से इस बात की अनुमति प्राप्त करने के लिये दरख्वास्त करें कि वह कामरोको प्रस्ताव के लिये इजाजत दे।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—मैं सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि यह बातें मैं वहां स्वयं देखकर आया हूं और यह बातें बिलकुल सही हैं। मैंने सब बातों को मालूम करने की कोशिश की और मैं सबसे मिला लेकिन वहां पर वाकयात अभी तक इसी सूरत से हो रहे हैं। यह वाकयात उस इलाके में हो रहे हैं जो कि बाढ़ग्रस्त इलाका है। बदायूं जिले की जिन तहसीलों में बाढ़ आयी है यानी उझाव, दातागंज वगैरा में, उनके लिये रिपोर्ट में यह बताया गया है ४४७ गांवों में बाढ़ आयी लेकिन गांवों की संख्या इससे भी ज्यादा है.....

श्री अध्यक्ष—यह चीज बहस में आ जायगी। सवाल गिरफ्तारियां और कुर्कियां होने का है। आप खुद देखकर आये हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, सख्ती हो रही है। सरकार ने इसके खिलाफ हिदायत भी कर दी है लेकिन आप यह सब सख्तियां वहां खुद देखकर आये हैं। इस कारण अब आप सदन से इसकी अनुमति मांगते हैं?

श्री टीकाराम—जी हां।

श्री अध्यक्ष—क्या इस पर किसी को कोई आपत्ति है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति यह है कि इसमें सदस्य महोदय ने व्यक्तिगत जांच की है। ऐसा कहा गया है लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें लिखा है कि उन्होंने डी० एम० से बातें कीं लेकिन क्या बात की और जांच किस तरह से की ऐसा कुछ नहीं लिखा है। न जांच करने के बारे में इस प्रस्ताव में लिखा हुआ है। इसलिये यह बात उनकी जानकारी की नहीं है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उनकी शिकायत की जो बिना है वह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष---तो आप अनुमति देने पर आपत्ति करते हैं। मैं इस प्रस्ताव को पढ़ कर सुनाये देता हूं। और इस पर सदन की राय लिये लेता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है---

"बदायूं जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जनता अन्न की कमी से परेशान है। किसी प्रकार कुछ लोग आलू शकरकंद खाकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी लगान वसूल करने के तरीके में दमनात्मक कार्यवाही करके जनता को मुसीबत में डाल रहे हैं। जनता की ओर से सरकार के पास, स्थानीय कर्मचारियों के पास प्रार्थनापत्र दिये गये, जुलूस तथा सभाओं द्वारा लगान की वसूली स्थगित करने की मांग की गयी, तिस पर भी कोई सुनवाई न हुयी और लगातार गिरफ्तारियां तथा कुर्कियां जारी हैं। मैं स्वयं जिलाधीश तथा हाकिम परगना से ११ मार्च को मिला मगर सारा प्रयत्न बेकार गया।

इस प्रकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध लगान वसूल करने में जो जोर जुल्म तथा दमानात्मक कार्यवाही की जा रही है, उससे आम जनता में असन्तोष तथा आंतक पैदा हो गया है, और सारा जिला विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। अतः यह सदन इस विषय तथा आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों वह कृपया खड़े हो जायं।

(केवल २४ सदस्य खड़े हुये)

श्री अध्यक्ष---२४ की संख्या अनुमति देने के पक्ष में है लेकिन वह कम से कम ३६ होनी चाहिये और इसलिये इसके लिये सदन की अनुमति नहीं है।

समाचार-पत्र में छपी सूचना पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---आज के समाचार पत्र में, अध्यक्ष महोदय, आपने पढ़ा होगा, कल जो मैंने नियमावली से संबंधित प्रश्न सदन में उठाया था उस को समाचार पत्रों ने इस तरह से छाप दिया है कि.....

श्री अध्यक्ष---समाचार पत्रों के सम्बन्ध में अगर किसी को शिकायत हो तो मेरे कमरे में वह मुझे दिखा दिया करें। एक दम से यहां समाचार पत्र को उठाकर कहने लगना ठीक नहीं है

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष---मैं इस चीज को इस वक्त नहीं लूंगा। क्योंकि यह समय अनुदानों का है, इस वक्त और बात नहीं हो सकती। आपको इसके लिये मेरे कमरे में आना चाहिये।

१९५६-५७ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५६-५७ ई० के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव आयेंगे और उन पर विचार होगा। समय विभाजन के सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ मल्ल जी बतायें।

श्री जगनाथ मल्ल (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, आज अनुदान संख्या १४--गांव सभायें और पंचायतें लिया जाय और उसी पर दिन भर बहस चले। सदन की सुविधा के लिये मैं एक सूचना और दे दूं कि जितने भी माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के अनुदान हैं वह कल लिये जायेंगे क्योंकि वह परसों बाहर जाना चाहते थे, इसके लिये कांग्रेस पार्टी व्हिप मेरे पास आये थे, तो उनके अनुदान कल लिये जायेंगे.....

श्री अध्यक्ष---आप यह कहिये कि अमुक अनुदान पहिले लिये जांय। आप कैसे कह सकते हैं कि कितने लिये जावेंगे जबतक सदन की राय न हो। मैं समझता हूं इसमें किसी को आपत्ति नहीं है।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

तो यही रहा कि आज केवल अनुदान संख्या १४ लिया जायगा और कल अनुदान संख्या ३०, ३१, ३२ और ४६ लिये जायेंगे और परसों १५ और ३३। इसी हिसाब से मैं कार्यक्रम में कल छपवा दूंगा।

१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २५--गांव सभायें और पंचायतें

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४--गांव सभायें और पंचायतें (लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत १,०१,५३,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस १ करोड़ १ लाख ५३ हजार ८०० की रकम का सवाल है यह करीब-करीब वही है जो पारसाल थी और कुछ लाख रुपया इसमें ज्यादा है और वह महज इस वजह से कि जो जरूरी इखराजात बढ़ जाते हैं उनके सिलसिले में वह रकम बढ़ गयी है। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताना है कि पंचायतों में इस साल जिस साल में हम बहस कर रहे हैं काफी तब्दीलियां हुयी हैं। पहले हमारे यहां ३६,१३९ गांव सभायें थीं जो अब बढ़कर ७२,४२८ की तादाद में पहुंच गयी हैं। इसी तरह से थोड़ी सी तब्दीली न्याय पंचायतों में भी हुयी है जो पहले ८,५४३ थीं अब वह ८,५८३ हैं। जहां तक इन पंचायतों का ताल्लुक है अबके साल हमने इनमें चुनाव कराया और यह चुनाव जो हुये यह एक बहुत बड़ा आपरेशन था जिसमें हजारहा आदमियों ने हिस्सा लिया और लाखों की तादाद में मेम्बर चुने गये। इससे यह मालूम होगा कि इस वक्त तक गांव सभाओं में जो चुनाव हुये हैं उनमें से प्रधानों की तादाद-तकरीबन ढाई लाख कैन्डीडेट्स खड़े हुये थे, जिनमें से चुन करके जितनी गांव सभायें हैं यानी ७२,४२८ प्रधान चुने गये और जो मेम्बरों की तादाद है उसमें अगर हम हिसाब लगायें तो मालूम होता है की करीब करीब १४ लाख या १५ लाख ग्राम पंचायतों के मेम्बर भी चुने गये हैं। इतने बड़े आपरेशन के लिये सरकार को गैर मामूली इन्तजाम करना पड़ा। तो जितनी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वह सब इसमें लगायी गयी। सिर्फ यह जरूर हुआ कि यह चुनाव तीन हिस्से में किया गया और उसकी वजह यह हुयी कि जहां तक पहाड़ी इलाके का सम्बन्ध है वहां तो यह समझा जाता था कि नवम्बर और दिसम्बर में वहां की हालत ऐसी होती है कि वहां पर चुनाव उस जमाने में नहीं हो सकेंगे जो तारीख कि और जिलों के लिये मुकर्रर की गयी थी। लिहाजा वहां के चुनाव सन् ५५ के सितम्बर और अक्तूबर में किये गये जिनमें ५,१४२ गांव सभायें थीं और १२,५८० उनमें कांस्टीट्यूएंसीज थीं जिनमें यह चुनाव किये गये लेकिन इसके बाद जो हम चाहते थे कि पूरा चुनाव एक किया सूबे में हो जाय वह न हो सका। इस वजह से कि जुलाई और अगस्त में बारिश बहुत ज्यादा हुयी, जगह जगह पर सैलाब आ गया और बहिया आयी जिसकी वजह से हमें कुछ जगहों पर चुनाव स्थगित करना पड़ा। इसकी वजह से ४१ जिलों में चुनाव किये गये और उन जिलों में ५४,३५५ गांव सभाओं में चुनाव हुए और इसके बाद जो ५ जिले बाकी रह गये थे जहां पर हालत बहुत ज्यादा खराब थी। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, बलिया और जौनपुर में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं और गालिबन थोड़े दिनों में वहां चुनाव खत्म हो जायेंगे।

[श्री सैयद अली जहीर]

माननीय सदस्य यह समझेंगे कि कितना बड़ा यह काम था जिसको हमने किया और इसमें कुछ जगह से शिकायतें हमारे पास आयीं लेकिन यह देखते हुये कि इतना बड़ा काम करना था और किस तरह से करना था यह समझना चाहिये कि जो शिकायतें आयी हैं वे बहुत ज्यादा नहीं हैं। मसलन जहां तक कि इलेक्शन पिटीशंस का सवाल है जहां जहां इलेक्शंस चैलेन्ज किये गये हैं मालूम यह होता है कि जितने चुनाव अब तक हो चुके हैं उनमें से सिर्फ ८ हजार में कुछ ऊपर इलेक्शन पिटीशंस फाइल हुयी हैं जिनका अगर हिसाब लगाया जाय तो वह, १ परसेंट से ज्यादा नहीं पड़ता है। जो और चुनाव होते हैं और उनमें जो इलेक्शन पिटीशंस का प्रेशर होता है उसको देखते हुये यह कहना पड़ेगा कि यह तादाद बहुत ही कम है और काबिले इत्मीनान है।

जहां तक पंचायतों का ताल्लुक है उनकी अहमियत मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। मेरा ऐसा खयाल है कि पंचायतों की तरक्की के ऊपर, हमारे देहातों में जो बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है उनकी आयन्दा की तरक्की, फलाह व बहबूदी सब कुछ उन्हीं के ऊपर मुनहसिर है। अगर ये पंचायतें तरक्की कर सकेंगे तो हमारी प्लानिंग और डेवलपमेंट के प्लान्स हैं हमारी जो पंचवर्षीय योजनायें हैं, चाहे पहली हो या दूसरी, उसकी सारी कामयाबी का दारोमदार इसी पर है कि हमारे गांव के रहने वाले लोग खुशहाल हों, उनकी हालत दुरुस्त हो, उनमें जिम्मेदारी का एहसास हो और वह अपने फर्ज को सही तौर से अन्जाम दे सकें। इस काम में न तो किसी पार्टी का ताल्लुक है और न किसी गिरोह या जमात का। इसमें हम सबको मिल कर ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि किसी न किसी तरह से हमारे देहात के रहने वालों की हालत रोज ब रोज बेहतर होती चली जाय। यह खुशी की बात है कि अक्सर जगहों पर जहां जहां चुनाव हुये हैं जो राजनीतिक पार्टियां थीं उन्होंने बहैसियत पार्टी के उनमें हिस्सा नहीं लिया और इस किस्म की बातें नहीं हुयीं। मुमकिन है कि १०, २० जगह या बहुत सी जगह हों जहां पर इसके खिलाफ बातें हुयी हों। लेकिन आन दि होल यह काबिल मुबारकबाद बात है कि इसकी अहमियत को महसूस किया गया कि देहातों में सब लोग मिल कर ऐसे ही लोगों को चुनें जो सबसे बेहतरीन हों। इसकी जिम्मेदारी यहां के लोगों ने, यहां के अफसरों ने महसूस की और अपने फर्ज को सही तरीके पर अंजाम दिया। उसके लिये वह सब काबिल मुबारकबाद हैं।

अब मैं यह बतलाना चाहता हूं कि पंचायतों ने गुजिश्ता साल में या अब तक जो कुछ काम किये हैं वह क्या क्या हैं। यह तो आप जानते हैं कि पहला जो चुनाव हुआ था वह १९४९ में हुआ था और दूसरा चुनाव अब जाकर १९५५-५६ में हुआ और उसकी वजह यही थी कि कानून में तरमीम हो रही थी और इस दौरान में इन गुजिश्ता सालों में जो उन्हों ने काम किये हैं उसका छोटा सा ब्योरा मैं यहां पर पेश कर रहा हूं। मसलन पंचायतघर और गांधी चबूतरे बहुत सी पंचायतों ने बनाये। उनकी तादाद इस तरह है। ६७६ पक्के पंचायत घर और ११३ कच्चे पंचायतघर प्रदेश में साल भर के अन्दर तैयार हुए। चालीस पंचायतघर ऐसे हैं जो कि जनता ने बहैसियत ग्रांट के अपनी तरफ से दे दिया पंचायतों को कि उसमें पंचायतघर चलाया जाय। इसी तरह से ८८० पक्के चबूतरे और ३२९ कच्चे गांधी चबूतरे प्रदेश में तैयार हुए। एक काम जो बहुत ज्यादा हमारी पंचायतें कर रही हैं वह खेल कूद का इंतजाम और इस किस्म की चीजें हैं। उस सिलसिले में कुछ अखाड़े कायम करने के लिए सरकार की तरफ से इनकरेज किया जाता है। चुनांचे १ लाख ११ हजार ५४ अखाड़े मुख्तलिफ जगहों पर कायम कराये गये ताकि उनमें लोग कसरत कर सकें और अपनी सेहत का इंतजाम कर सकें। इसी तरह से उनकी सेहत के लिए मेडिसिन के चेस्ट, आयुर्वेदिक के बक्स होते हैं जो बांटे जाते हैं, जिनसे अगर छोटी मोटी बीमारी हो तो वह उसकी मदद से लोगों की तकलीफें रफा कर सकें। तकरीबन दो हजार इस किस्म के बक्स तकसीम हुए। दाइयों को भी ट्रेंड किया गया और इसलिए कि वहां वे देहात में काम कर सकें और जिन स्त्रियों को जरूरत हो दाइयां उनकी खिदमत कर सकें और ७८६ मेटर्निटी बाक्स इनको मुहैया किये गये। इसके अलावा उनका बहुत बड़ा काम था शिक्षा फैलाने का। शिक्षा फैलाने

में बहुत से प्राइमरी स्कूल लड़के और लड़कियों के लिए खोले गये और उसी तरह से जो ज्यादा सिन के लोग थे उनके लिए नाइट स्कूल खोलने का बहुत सा पंचायतों ने प्रबन्ध किया। इसके अलावा ६१८ रेडियो सेट्स लगे इस साल में और ८३९ नयी लाइब्रेरियां खोली गयीं जिसमें कि लोग आ करके तालीम हासिल कर सकें। इस वक्त कुल तादाद जो कि देहातों में रेडियो की है वह ३ हजार २२७ है और १२,७०८ पंचायत लाइब्रेरियां अब तक तमाम हमारे प्रान्त में कायम हो चुकी हैं। सबसे बड़ा काम और जिसमें कि पंचायतों को दिलचस्पी है वह सड़कों के बनाने का है, अपने गांवों को सुधारने का है। वहां का जो कच्चा गलियां हैं उनको ठीक करने का, इसमें उनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। चुनांचे इस साल २२४ मील पक्की सड़कें देहातों में बनीं और कोई ३२ मील पुरानी जो पक्की सड़कें थीं उनकी मरम्मत की गई और इसी के साथ साथ २०० मील की गलियां जो कच्ची हालत में थीं उनके ऊपर पेवमेंट्स लगाये गये। इस तरह से यह काम किया गया।

अब तक १,४६५ मील पक्की सड़कें बन चुकी हैं और कोई ५९२ मील जो गलियां हैं मुख्तलिफ कस्बों का उनमें खरंजे लगाये जा चुके हैं। इसी के साथ देहातों में अंधेरी रातों में और खासकर बरसात में जब कि आफताब दिखाई भी नहीं पड़ता काफी अंधेरा रहता है जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो वहां रोशनी का इंतजाम करना होता है। जहां बिजली है वहां पंचायतों से कहा जाता है कि बिजली की मदद से वह अपने यहां रोशनी कर लें। लेकिन बिजली बहुत कम जगह है। चुनांचे इस सिलसिले में ११,०७४ लालटेनें मुख्तलिफ गांवों में लगाई गईं और तमाम तादाद इस वक्त लालटेनों की जो देहातों में लग चुकी हैं वह कोई ८० हजार के करीब है। अब यह तो अपने काम हैं जिनको पंचायतें खुद करती हैं। लेकिन बाकी और जो विभाग काम करते हैं उसमें भी हमारी पंचायतें बहुत काफी हिस्सा लेती हैं। मसलन वन महोत्सव में पेड़ लगाना। तो इस सिलसिले में बहुत कुछ काम हुआ है। चुनांचे ८,४०२ एकड़ में बाग लगाये जा चुके हैं जिसमें फलदार दरख्त लगे हुए हैं और ५,८८८ एकड़ अब तक ऐसे जंगल लगाये गये हैं कि जिसमें जो लकड़ी जलायी जाती है उसकी पैदावार हो सके। और इसके साथ २ मथुरा में १,१२१ एकड़ के करीब में कम्यूनिटी फारेस्ट तैयार किये गये हैं जिसका मतलब महज लकड़ी पैदा करना ही नहीं है बल्कि जो राजपूताना का रेगिस्तान बढ़ रहा है उसको भी रोकने का खयाल है।

कोआपरेटिव का जहां तक ताल्लुक है, उसकी कार्यवाहियों में जो कुछ काम होता है, कोआपरेटिव सोसाइटीज कायम करने में हमारी पंचायतें खूब हिस्सा ले रही हैं। २,९०६ कोआपरेटिव सोसाइटियां इस साल के अन्दर मुख्तलिफ पंचायतों ने कायम की हैं। और उसके बाद कृषि विभाग और खेती विभाग के सिलसिले में भी खूब दिलचस्पी पंचायतों ने ली है। नये २ तरीके के बीजों को, उनके बोने के जो नये तरीके हैं, जो कृषि विभाग ने रायज किये उनको अपनाया और उसके ऊपर बहुत से ऐक्सपेरीमेंट्स किये और काफी फायदा हुआ और वह बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ साथ पशु-पालन विभाग की तरफ से जो बैल दिये जाते हैं उनको पंचायतों की तरफ से पाला जाता है, इसमें पंचायतों ने काफी दिलचस्पी ली, और इन बैलों से नस्लें पशुओं की जो बिगड़ रही थीं उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इससे ज्यादा जो दिलचस्पी उनको हो रही है वह गोसंवर्धन के काम में है जिसमें ऐग्जबीशन वगैरह होती है, उसमें हिस्सा लेती हैं और अपने पास से इनाम देती हैं ताकि लोगों में दिलचस्पी पैदा हो और वह उसी के मुताबिक काम करें।

इसी के साथ पंचायतों के जिम्मे अब यह काम भी है कि अपने यहां बर्थ और डैथ का रजिस्टर रखें। यानी वह रजिस्टर कि जिसमें बच्चा जब पैदा होता है तब वह लिखा जाता है और कोई जब मरता है तब वह लिखा जाता है। इसी के साथ साथ टी० बी० सील्स

[श्री सैयद अली जहीर]

और वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन की सील्स भी बेचने में यह काफी हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा जब हमारे यहां कोई जो बड़े बड़े त्यौहार हमारे देश के हैं, दीवाली, रामनौमी, इंडिपेंडेन्स डे वगैरह इन सब में हमारी पंचायतों ने बहुत काफी हिस्सा लिया और इससे भी उनकी दिलचस्पी तमाम मुल्क की भलाई में बढ़ रही है। इससे यह मालूम होता है कि सेविंग बैंक डिपाजिट, नेशनल प्लान लोन के लिए उनसे कहा गया तो इसमें अभी तक पंचायतों की तरफ से १ करोड़ ४ लाख ३० हजार १८ रुपया और चीफ मिनिस्टर के एजुकेशन फंड मे १ लाख ९०हजार के करीब रुपया उन लोगों ने दिया है। इससे भी मालूम होता है कि तमाम जो नयी जागृति मुल्क में पैदा हो रही है उसमें हमारी पंचायतों के लोग काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। पंचायतों की आर्थिक हालत कुछ बहुत अच्छी अभी नहीं है। यह तो मालूम है, माननीय सदस्य जानते होंगे कि तकरीबन ६१ लाख या ६१ १/४लाख के करीब रुपया जो सेक्रेटरीज हैं पंचायतों के उनकी तनख्वाहों के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है। लेकिन खुद पंचायतों की आमदनी इस वक्त तक सिर्फ ८५ लाख के करीब है जिसमें से उन्होंने ६८ लाख के करीब साल भर में खर्च किया जो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है और यह खयाल किया जाता है कि उनको ज्यादा आमदनी के जरिये मुहैया किये जायं। आप सबकी इत्तिला के लिए यह मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो जुर्माना न्याय पंचायतों से वसूल हुए हैं उनका आधा हिस्सा यह तय पाया है कि न्याय पंचायतों को सरकार वापस कर देगी ताकि वह अपने अखराजात जो जरूरी हों वह उससे चला सकें। यह इस साल में नया फैसला हुआ है। अब इन पंचायतों को चलाने के लिए और इनके काम को ज्यादा तरक्की देने के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीजें की जाती हैं। मसलन सम्मेलन और प्रदर्शनियां यह चीजें बार बार होती हैं जिसमें गालिबन मेम्बरान जो लेजिस्लेटिव असेम्बली के हैं ये लोग भी शरीक होते हैं, कभी कभी डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर और जो और अफसरान हैं वह भी शरीक होते हैं और उसमें बतलाते हैं कि किस तरह से वह अपने काम को चलायें और उसमें क्या-क्या तरक्की वह दें। यह सब उनके मुताल्लिक बातें की जाती हैं और उसकी वजह से काफी उनमें जागृति पैदा हो रही है। उसी के साथ साथ दो अखबार एक तो विलेज पंचायतराज पत्रिका और दूसरा पंचायत और प्लानिंग मैगजीन ये तो जिले से निकलती हैं और तमाम पंचायतों को बटती हैं। यहां से जो पंचायतराज डाइरेक्टरेक्ट है यहां से पंचायत समाचार के नाम से एक अखबार निकलता है जिसमें उनको हिदायतें दी जाती हैं और उनको तमाम इत्तिलायें दी जाती हैं। तो इस तरह से ये सब बातें उनके पास तक पहुंचायी जाती हैं।

अब मैं थोड़ा सा जिक्र न्याय पंचायतों का भी करता हूं। न्याय पंचायत एक बहुत जरूरी चीज है, आज की हमारी गांव पंचायतों का एक बहुत बड़ा जुज है। इसके जरिये से बहुत बड़ी तादाद उन झगड़ों की जो आपस मे गांवों में उठते हैं, और जिसके ऊपर कि अगर ये न होतीं, ये तराके उनके फैसले के न होते तो लखूखा और करोड़हा रुपया उनका खर्च हो जाता क्योंकि उनको शहर जाना पड़ता और वहां जा करके अदालतों में अपनी दरख्वास्त देनी पड़ती, दौड़ना पड़ता और काफी पैसा खर्च होता। तो ये सब मामले वहां पर तय होते हैं और इसकी वजह सिर्फ यह है कि अगर यह चीज कामयाब न हो तो इसके माने यह हैं कि हमारी जो पहली ईंट है जो हमने कायम की है अपनी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, उसमें कमजोरी बाकी रह जायगी। यह खुशी की बात है कि यह न्याय पंचायतें न सिर्फ इन मामलों का फैसला करती हैं बल्कि इनके जरिये से सुलह से बहुत से मामले तय हो जाते हैं और इससे जाहिर होता है कि कितनी कामयाबी के साथ यह चल रही है। और ऐसे मामलात जो वे सुलह से तय करा देते हैं वह तकरीबन ३५ फीसदी मामलात होते हैं। उसके अलावा यह भी खुशी की बात है कि जिनमें यह फैसला करते हैं उनमें अपीलें भी होती हैं, रिट ऐप्लीकेशंस भी हाईकोर्ट में जाती हैं लेकिन बहुत थोड़ी तादाद ऐसी है और वह बहुत नेग्लीजिबिल है जिनमें उनके

फैसले गलत पाये जाते हों और ज्यादातर ऐसा होता है कि जो फैसलें पंचायतें करती हैं वही रिट ऐप्लीकेशंस में हाईकोर्ट में भी बहाल होते हैं। मेरे ख्याल से दो तीन फीसदी से ज्यादा तादाद नहीं है जिनमें उनके फैसले पल्टे जाते है और इससे यह मालूम होता है कि उनके फैसले बहुत ज्यादा तादाद में ऐसे होते हैं जो कानून के हिसाब से फैसले होते हैं और उनमें हाई कोर्ट और अदालतों को दखल देने की जरूरत नहीं मालूम होती है।

जहां तक कि श्रमदान का ताल्लुक है यह एक नई चीज हमारे देश में शुरू हुई और इसकी वजह से लोगों में जितना उत्साह पैदा हो रहा है और जितनी दिलचस्पी लोगों ने अपने देहातों में जहां वे रहते है श्रमदान से कार्य करने में दिखाई है वह बहुत काबिले तारीफ है। अब तक जो हिसाब लगाया गया है उससे मालूम होता है कि तकरीबन ५ करोड़ ३४ लाख रुपये की मालियत का काम श्रमदान के जरिये से हमारे प्रान्त में हो चुका है और इस साल दिसम्बर तक का जो हिसाब लगाया गया है उससे मालूम होता है कि ८० लाख ८१ हजार का काम इतने अर्से में हुआ है। इसमें खास तौर से एक श्रमदान का काम काबिले जिक्र है जो अल्मोड़े में हुआ है जिसमें ज्यादा औरतों ने काम किया है क्योंकि मर्द लोग ज्यादातर नौकरी में बाहर होते हैं सिर्फ बूढ़े रह जाते हैं, तो वहां इन लोगों ने मिल कर इमसाल सिर्फ अपनी मेहनत से पी० डब्ल्यू० डी० के रुपये से जो थोड़ी सी मदद मिली उससे उन्होंने ११२ मील मोटर रोड तैयार की और वह ऐसी मोटर रोड है जिस पर माननीय सदस्य हो आये होंगे, उन्होंने देखा होगा और जानते होंगे और मेरे खयाल में यह इतना बड़ा काम हुआ है जिसके लिये जितनी उनकी सराहना हो कम है। दूसरी और पंचायतें यकीनन इससे सबक लेंगी और इसकी नकल करके इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। माननीय सदस्यों को जाहिर होगा कि जो मैंने थोड़ी सी तस्वीर रखी है जिस तरह से हमारी पंचायतें चल रही हैं और जैसा कि खयाल है कि जितना काम इस वक्त तक हुआ है और जितना आइन्दा करेंगी उनसे काफी उम्मीद होती है कि यह काम बढ़ता ही जायगा और हमारे देहातों की जो हालत है वह यकीनन बहुत जल्द सुधरेगी।

इसी सिलसिले में मैं इसका भी जिक्र कर दूं कि जिलों में बहुत से अलग अलग विभाग हुआ करते थे प्लानिंग डिपार्टमेंट का और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वगैरह। लेकिन अब सब पंचायतों से मिला कर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के मातहत एक विभाग कर दिया गया है और आइन्दा हमारा यह खयाल है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो आफिसरान होंगे, जो कार्यकर्त्ता होंगे उनको, पंचायतों के अफसरों को भी हम मिला देंगे ताकि यह काम सब एक साथ चल सके और जो आपस में कश मकश हो जाती थी और बाजवक्त काम अलग अलग होने की वजह से देर होती थी यह सब तकलीफें अब रफा हो जायेंगी।

जहां तक न्याय पंचायतों का ताल्लुक है माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने उसमें पारसाल तब्दीली की थी और उसकी वजह से जो पहले तरीका होता था कि न्याय पंचायतों के मेम्बर चुने जाते थे और एलेक्शन से होते थे वह तरीका सही नहीं समझा गया। चुनांचे यह करार पाया था कि ग्राम सभा के मेम्बर जो चुने जायं उनमें से कुछ तादाद ज्यादा चुनी जाय और उन्हीं लोगों में से जो ज्यादा तादाद चुनी जायगी उनमें से प्रेस्काइब्ड अथारिटी नामजद कर दे कि कौन लोग न्याय पंचायत का काम करेंगे। तो इस तरह से एक चुनाव और सेलेक्शन को मिला कर एक रास्ता निकाला गया था। इस तरह से चुनाव और सेलेक्शन को मिला कर एक रास्ता निकाला गया था कि इस तरीके से न्याय पंचायतें बनें। इसकी तफसील में मुझे जाने की जरूरत नहीं है लेकिन इसमें शक नहीं कि यह बड़ा अच्छा इन्तजाम था। बहरहाल, वे चुनी जा चुकी हैं और गवर्नमेंट अनकरीब एक रूल बनायेगी कि प्रेस्काइब्ड अथारिटी किस तरह से नामजदगी करे।

जो नया कानून बना है जिसके जरिये से कुछ छोटी मोटी तरमीमें की गयी है वे सब यहां दोहराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो तीन बातें मैं अर्ज कर दूं। मसलन् एक यह कि जो माल के मुकदमे पहले पंचायतों के जिम्मे किये गये थे वे उनके अख्तियार से अब अलग कर

[श्री सैयद अली जहीर]

लिये गये हैं और जैसे पहले अदालत में होते थे उसी तरह से अब होंगे। दूसरी तरमीम यह की गयी है कि पहले पंचायत के फैसले के खिलाफ अगर अदालत में अपील होती थी और अदालत यह मुनासिब समझती थी कि मुकदमें में कोई प्रोसीजर वगैरह की गलती हुई तो उसको वापस करने की पावर नहीं थी। तो वह रेमांड की पावर अब दे दी गयी है। तो यह मोटी मोटी चीजें मैंने अर्ज कर दीं। बहरहाल, मैं समझता हूं कि अब तक जो काम पंचायतों में हुआ है और जिस तरह से वह तरक्की कर रही हैं वह बहुत हद तक सराहनीय है। इसके बाद माननीय सदस्य जो बातें सामने रखेंगे उनका जबाव मैं बाद में दे दूंगा और उनको इत्मिनान हो जायगा कि यह डिपार्टमेंट निहायत कायदाबी के साथ चल रहा है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या १४--गांव सभायें और पंचायतें, लेखा शीर्षक : २५--सामान्य प्रशासन के तहत में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, गांव पंचायतों का उद्देश्य जैसा कि मंत्री जी ने बताया वह है, तो सचमुच शासन को देहात की सेवा करने में बहुत आसानी होगी, गांव वालों को अपनी बात शासन तक पहुंचाने में भी बहुत आसानी होगी और जो सुविधायें शासन देहाती जनता को देना चाहता है वे उन्हें मिलने में बहुत आसानी होगी। लेकिन अफसोस है कि शुरू में ही रास्ता बदल गया है। शुरू में ही जहां चलने वाले थे वहां न जाकर दूसरा रास्ता पकड़ लिया गया। जब गांव पंचायतों की खुशहाली का सवाल सामने था तो इस बात का ख्याल रखना चाहिये था कि ईमानदार लोग पंचायतों में आयें। ऐसे-ऐसे नियम, शिकन्जे वाले बना दिये गये हैं, कि कोई सीधा, ईमानदार आदमी आज उसके करीब नहीं जा रहा है। श्रीमन्, हम एसेम्बली के मेम्बर हैं। हमको वहां से आने के लिये फर्स्ट क्लास के पहले तीन टिकट थे, लेकिन अब शायद चार टिकट आपने कर दिये हैं, यहां रहने के दस रुपये रोज, और उसके बाद २०० रुपये महीने भत्ता, इसलिये कि हम ईमानदार बने रहें, हमें कोई पथभ्रष्ट न कर सके। हम लोगों का नामीनेशन पर्चा दाखिल होता है, उसके साथ २५० रुपये जमानत के जमा होते हैं, और चुनाव के बाद वह वापस हो जाते हैं यानी हमको मिल जाते हैं। हमारे नामीनेशन पर्चे की एक रुपये भी फीस नहीं है मगर गांव पंचायतों के सेवक लोग जिनको एक पैसे की आमदनी नहीं है और जो अपना वक्त गांव की सेवा में खर्च करने वाले हैं उनसे ६ रुपये तथा १२ रुपये नामीनेशन पर्चे की कीमत वसूल की जाती है। यह नहीं है कि किसी ने पर्चा ले लिया है और बाद में उसकी तबियत बदल गई, वह चाहता है खड़ा न हो तो उसको रुपया वापस कर दिया जाय। नहीं, मेरी स्वयं जानकारी है कि उनसे कहा जाता है कि यह तो पर्चे की कीमत है। अब आप ही बताइये कि कोई ईमानदार सेवक जिसको कोई फायदा नहीं लेना है वह १२ रुपये तथा ६ रुपये देकर क्यों गांव सभा का पदाधिकारी होगा। वहां जाकर क्या होता है। वहां जाने के बाद कोई मीटिंग हुई सभापतियों की, जो अक्सर हुआ करती है क्योंकि मैं भी सभापति हूं, सभापति लोग एक ओर जमीन पर बिठा दिये जाते हैं और इधर तहसीलदार साहब और कलेक्टर साहब के लिये कुर्सियां पड़ जाती हैं। अपने जिले की पहली मीटिंग में मैं बुलाया गया था। मैंने कहा कि यह अजीब हालत है कि हम लोग जो चुनकर आये हैं और जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं और हमारे पैसे से जिनकी गुजर होती है, उनके लिये कुर्सियां हैं और हम जमीन पर बैठे हैं। उठो भागो यहां से। इसके बाद मुझे नोटिस नहीं मिली कि उमाशंकर जी आइये, मीटिंग है।

यह हालत है, अपना पैसा लगा कर उनके चपरासी बनिये और जब यही इन सभापति लोगों का काम है तो कोई इज्जतदार, ईमानदार सेवक जो सच्ची भावना से सेवा करना चाहता है वह पंचायत में शरीक होना नहीं चाहता है इन्हीं कारणों से।

एक सदस्य---आप फिर क्यों सभापति हो गये ?

श्री उमाशंकर---मैं तो सेवक हूं और पहाड़ों से टकराता हूं। इसीलिये मैं वहां गया और टकराया भी और आज भी टक्कर ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में एक बात बतला दूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करें। मैं जवाहरलाल जी का नाम लूंगा, अंग्रेज जब गये तो यदि वे यह कहते, पंडित जी से नहीं, कांग्रेस लीडरों से कहते कि "जनाबआली हम अपना बिस्तरा लेकर जा रहे हैं, हिन्दुस्तान का कार्यभार आपको देखना है, आप सब इन्तजाम देखें, पुलिस का और फौज का इन्तजाम देखें लेकिन मालगुजारी का पैसा अंग्रेजी खजाने में जमा होगा" तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सूरत में वह कारबार देख सकते थे ? गांव सभाओं को गांवों की खुशहाली के लिये बना दें, वह सड़क बनायेंगी, गांव का इन्तजाम करेंगी, बीज गोदाम खोलेंगी यानी दुनिया भर का काम करेंगी, लेकिन मालगुजारी आपके खजाने में आयेगी। ऐसा इन्तजाम-कार मैंने कहीं नहीं देखा। आपने ही यह नियम बनाया है और उनसे उम्मीद करते हैं कि वह ठीक ढंग से काम कर सकें। आपने जो गुण गाया है उसे सुनकर जो यह सब गांव के लोग हैं तफरीह ले रहे हैं। सब जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। गांव के आदमी जो पहले जमींदार थे वे अब सभापति हो गये हैं। कुछ अपना पैसा लगा कर और कुछ आप से लेकर रेडियो खड़ा कर लिया अपने घर पर। तो मैं आप से कहता हूं कि पहले आप व्यावहारिकता में आइये। नीयत साफ हो। हम सब चाहते हैं कि गांव को ठीक से बनाया जाय। इसके लिये हमें गौर से सोचना चाहिये और जो हम यह १२ रुपया और ६ रुपया लगा रहे हैं यह नहीं लगना चाहिये। गांव पंचायत से मांगना चाहिये कि तुम्हारे गांव की क्या समस्यायें हैं और वह कैसे हल हो सकती हैं। उल्टे आप अपनी परेशानी उनको बताते हैं अपने पटवारी के जरिये। आप उनको लेक्चर दे आते हैं कि किसान के घर में नोट सड़ रहा है, उसको झींगुर खा जायेंगे इसलिये उसको लाकर जमा करो दसगुने के रूप में। हमारे गांव का सभापति अगर ईमानदार है तो मैं नहीं समझ पाता कि वह हमारी ही तरह से क्यों नहीं करता। जैसे हमने डंका लेकर बजाया है राजनारायण जी के साथ, कि दसगुना देना हराम है, इससे तुम्हारी हालत खराब हो जायगी, तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो वह तुम्हारे काम आयेगा। ऐसा क्यों नहीं करता। यह न करके आज सारे सभापति जैसे 'घोड़ा नाचे घोड़ी नाचे, साथ साथ बछेड़ा नाचे' कर रहे हैं। पटवारी कहता है कि दसगुना दो इसलिये कि आप उसको तनख्वाह देते हैं, कानूनगो कहता है कि दसगुना दो तो आप उसको तनख्वाह देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सभापति ऐसा क्यों कहते हैं। उनको क्या परेशानी है। जब इस तरह की बातों पर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज गांव की क्या हालत है। तो मैं चाहता हूं कि अब इस प्रथा को मिटाया जाय। आप गांव पंचायत को पंचायत बनाइये।

एक मेरा आरोप इसी सरकार पर है। मेरे पास एक फेहरिस्त है। हिन्दुस्तान भर के करीब-करीब हर सूबे में गांव पंचायतें हैं और उनके लिये हर सरकार ने उदारता से काम लिया है। मेरी समझ से मालगुजारी का २५ परसेंट गांव पंचायत को मिलना चाहिये, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट १० परसेंट देती है, पेप्सू १० परसेंट, मैसूर साढ़े १२ परसेंट, कच्छ १५ परसेंट, हैदराबाद १५ परसेंट, सौराष्ट्र २० से ३३ परसेंट और बम्बई ३० परसेंट देती है, हमारी सरकार कुछ नहीं देती। यह ज्यादती क्यों इस सूबे के साथ हो रही है ? आखिर और सूबे भी तो हैं। जब तक इस तरह की ज्यादतियां आप करते रहेंगे जब तक आप चाहेंगे कि यह पंचायतें सरकारी अधिकारियों के पीछे घूमने वाली पंचायतें रहें तब तक गांव के लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। मैं तो आम तौर से गांवों में कहा करता हूं कि आज पंचायतों में

[श्री उमाशंकर]

ऐसे अधिकारियों की जरूरत है जो सरकारी अधिकारियों और सरकार से लड़ने के लिये, अपने हक मांगने के लिये तैयार हों, तभी सरकार का भी कल्याण है और गांव पंचायत का भी। केवल दृष्टिकोणों का फर्क है हम लोगों के और सरकार के। फर्क यह है कि हम चाहते हैं और हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे गांव के लोगों के पास, उनके नवयुवकों के बाहुओं में जो बल है वही इस राष्ट्र का बल है, जो उनके घरों में सम्पत्ति है यानी गेहूं, लोहा, पशु भैंस, गाय बैल आदि वही राष्ट्र की सम्पत्ति है। जितनी भरपूर यह चीज उनके घरों में होगी उतनी मिकदार में हमारी सरकार धनवान है। मगर हमारी सरकार तो विश्वास करती है पुलिस-लाइन पर, कि जितने सिपाही हैं वही हमारा बल है। सरकारी खजाने में जो कागज के टुकड़े नोट के रूप में रखे हुये हैं वही सरकार का धन है। जब तक इस दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इस देश का कल्याण आपके द्वारा नहीं हो सकता है। वही आदमी इस देश का कल्याण कर सकता है जो हिन्दुस्तान की सारी जनता को समझता है कि यह राष्ट्र का बल है, और हिन्दुस्तान के घरों में जो धनराशि है, वह यह समझता है कि यह इस सरकार का धन है। वही सरकार देश की है, और राज्य की है और जनता की है। जब इस तरह से दोनों का सम्बन्ध होगा तब चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इन पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब आप इस दृष्टि से काम शुरू करेंगे तो आप सही रास्ते पर चलते जायंगे और आपको रास्ता सड़क की तरह मिल जायगा। आपने अभी बताया —मैंने इसको अभी सुना है—कि न्याय पंचायत का जब चुनाव होगा तो सरकार एक कोई नया तरीका अख्तियार करने जा रही है। वहां के एस० एल० ए० परगना हाकिम और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन यह लोग मिलकर न्याय पंचायत का चुनाव करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा के बहुत से सदस्य यहां पर बैठे हुये हैं, जो गांव सभा के प्रेसीडेंट के लिये खड़े हुये थे और हार गये तो फिर आप उनके ही हाथों न्याय पंचायत का चुनाव कराने जा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि इस तरह का जो चुनाव हो उसमें जो आदमी हार गये हों उन आदमियों को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वे न्याय पंचायत का चुनाव करें। पिछले साल सरकार ने एलान किया था कि कुछ ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं को स्थायी किया जायगा। वह काम आज तक खटाई में पड़ा हुआ है। वह इसलिये खटाई में पड़ा हुआ है कि सरकार का ध्यान गांव पंचायतों को ऊंचे उठाने की तरफ नहीं है। यह बात साफ-साफ इसके कारनामों से मालूम होती है। उनका ध्यान गांव पंचायतों की आमदनी बढ़ाने की तरफ नहीं है। वहां के जो शासन के कार्यकर्ता हैं उनकी मदद से चाहे गलती करा के या सही करा के अपने मतलब के लिये उनको साधन बनाना चाहते हैं। इसलिये उनको स्थायी नहीं बनाया जाता है ताकि उनके सिर पर लटकती हुई तलवार मौजूद रहे। हर आदमी अपनी जगह पर अपने अफसर का गुलाम बना हुआ रहता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने परसाल के वायदे को आप पूरा कीजिये। पारसाल वायदा किया था लेकिन वह काम आज तक आपने नहीं किया है। अब मैं आपको बतलाऊं कि आपके चुनाव का तरीका इस प्रकार का है कि उसमें सही आदमी नहीं आ सकते हैं। एक तो उसके उद्देश्यों में गड़बड़ करते हैं। आपने उनका इस्तेमाल गलत करना शुरू कर दिया है, दूसरे चुनाव के तरीके आपके ऐसे हैं जिनमें कोई भी अच्छा आदमी नहीं आ सकता। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि कोई भी कितना ही ईमानदार आदमी क्यों न हो लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर उसके पास १० गुन्डे नहीं हैं तो जनता कभी भी उसको ईमानदार मानने के लिये तैयार नहीं होगी। इतना हमारा नैतिक ह्रास हो चुका है। गांवों में तो लोग कहते हैं कि फलाने बाबू के पास तो इतना बड़ा मकान है, अब उनके बजाय और कोई कैसे चुना जा सकता है। इस प्रकार से

चुनाव उन्हीं का होता है जो जनता पर जुल्म करते हैं। उनके खिलाफ वोट देने की जनता को हिम्मत नहीं होती। मैंने इस बारे में माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा था कि जनता की यहां यह राय है कि हम हाथ उठा कर चुनाव नहीं चाहते क्योंकि जो आदमी पारसाल सभापति रहा है और इस साल भी सभापति होने वाला है वह बड़ा जालिम आदमी है, कई डकैतियों में वह मुल्जिम रह चुका है, इसलिये उसके मुकाबले में हाथ उठाकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। मैंने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की कि वहां के लिये कोई ऐसा चुनाव का तरीका निकाल दें जिससे लोगों को ईमानदारी से वोट देने का अवसर मिल जाय लेकिन माननीय मंत्री जी ने वैसा करने में असमर्थता प्रकट की और कहा कि यह नियमों में नहीं है।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)––मान्यवर, यदि पंचायतों को किसी दलबन्दी के दृष्टिकोण से न देखा जाय और इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय तो यह एक ऐसा अनुदान है जिस पर हमें खास तौर से यह देखना है कि हमें भारत का नवनिर्माण किस रूप से करना है। मान्यवर, गांव सभायें जो आज तक रही हैं उनके सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वे मृतक थीं। गांव सभायें हों या गांव पंचायतें हो उन्होंने आज तक इस देश में कोई काम नहीं किया है। केवल यह दिखाने के लिये लेखपाल जो पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं जिसके लिये यह लाजिमी और जरूरी था कि वह सरकारी मुलाजिम रहे, उसके लिये एक ही चारा था कि वह कागजात का पेट भरे और जैसा होता था फार्म भर दिये जाते थे लेकिन यह नहीं मालूम कि गांव सभा के सदस्यों के कर्तव्य क्या हैं और न वे अभी तक कोई कार्य ही कर पाये हैं। जहां तक अदालत पंचायतों का संबंध है, उनमें से कुछ ने अच्छा काम किया और कुछ उनमें ऐसी भी थीं जिनमें घूस और भ्रष्टाचार हमेशा चलता रहा। आप ने श्रमदान के जरिये से बहुत से काम कराये। जब से यह श्रमदान सप्ताह चला उसके द्वारा, किसी रूप में और किसी तरह से सही, लेकिन कुछ काम अवश्य हुआ, यह मैं मानता हूं। बहुत सी जगह लोगों में यह लगन और उत्साह था कि वह सेवा करें और ऐसी चीजें बनायें जिनसे उनका हित हो। इसके साथ ही साथ श्रमदान का एक दूसरा रूप भी था जो सीधी साधी बेगार थी, जिसको कहने से बहुत से लोग हिचकेंगे, भागेंगे। लेकिन मैं आप के द्वारा यह अनुरोध करता हूं कि वह सोचें और देखें और इस बात पर विचार करें कि यह गांव पंचायतें और गांव सभायें जो बनायी गई हैं उनको सही रूप से भी चलाया जा सकता है? इसमें सन्देह नहीं कि उस पक्ष के लोग भी यह जानते हैं कि ऐसी बात है और इसीलिये मैंने अनुरोध किया था कि दलबन्दी के कारण जो हालत है उस पर पर्दा डालने की कोशिश न करें। मैं जानता हूं कि पंचायतों का चुनाव एक महान् काम था और सरकार के लिये भी यह कोई साधारण चीज नहीं थी, न उसके पास इतने कर्मचारी थे, और न उनके पास इतने साधन थे कि वह हर जगह सीक्रेट बैलट से चुनाव करा सकती। न जनता को अधिकार था और न गांवों के लोगों को बल्कि हर जगह लेखपाल सम्मिलित हो गए और अनधिकृत परिवर्तन किये गए, गिनती में और तमाम बातों में गलतियां की गईं और जानबूझ कर की गईं और मैं कहता हूं कि बहुत सी जगह तो यह चुनाव केवल फार्स थे और यह कहना ही अनुचित होगा कि वहां एलेक्शन हुए। मैं हर जगह के लिये तो ऐसा नहीं कहता, बहुत सी जगह चुनाव ठीक भी हुए। श्री उमाशंकर जी का यह कहना कि केवल जमींदार ही आ सकते थे, उनको सोचना चाहिये कि जहां वह उनकी बुराइयां ही देखते हैं वहां उनमें अब भी बहुत सी अच्छाइयां हैं जिनकी वजह से वह आ सके।

जहां तक कि अदालती पंचायतों के निर्माण का विषय है और उस के मेम्बरों के बनने का प्रश्न है मैं श्री उमाशंकर जी से कहूंगा कि उनको आपत्ति अवश्य थी लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

उनको तो स्वयं ही विश्वास नहीं है कि वह एम० एल० ए० या एम० एल० सी० या प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उनको चुनें तो क्या यह उससे बेजा है कि लेखपाल या पंचायत के सेक्रेटरी उसको चुनें ? वहां वास्तविकता क्या है, न तो लेखपाल ही समझ सकते हैं और न पंचायत इंस्पेक्टर ही अपने सर्किल की बात समझते हैं और न कानूनगो हलका ही समझ सकते हैं और नतीजा यह होता है कि होता वही है जो लेखपाल या पंचायत सेक्रेटरी चाहते हैं। तो अगर हम यह नहीं समझ सकेंगे कि प्लानिंग आफिसर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस दर्जे तक वह भी नहीं पहुंच सकते या वह दलबन्दी के कारण अन्याय कर सकते हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि यह हमारे लिये कहां तक शोभा की चीज होगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा एम० एल० एज० और एम एल० सीज को जरूर मौका होना चाहिये कि वह देखें और समझें कि अदालती पंचायतें किस तरह से बन रही हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी जगह पर रहें इससे हम भागते नहीं लेकिन साथ ही हमारा भी यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि हम देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वही प्रशंसनीय लेखपाल और सेक्रेटरी पंचायत हों तो अदालती पंचायतों का निर्माण नहीं कर रहे हैं और वह उद्देश्य और लक्ष्य जिसको सामने रख कर यह पंचायत राज का काम शुरू हुआ है वह खत्म तो नहीं हो जाता है।

इसके अलावा मुझे यह कहना है कि पंचायतों के सम्बन्ध में जो यह कह कर लगाया गया है इस प्रकार का कर--- कर के किसी सिद्धान्त में नहीं पाया जायगा कि जिसमें करदाता को इस बात की इत्तला भी न दी जाय, नोटिस भी न दिया जाय कि उसके ऊपर इतना कर लगाया गया है या लगाया जा रहा है और २ साल के या ३ साल के उपरान्त यह देखा जाता है कि किसी गांव सभा ने उस के ऊपर ३०० रुपये का कर बांध दिया है। यह कौन सा सिद्धान्त है और किस नियम के आधार पर और किस ढंग पर इस कर को सरकार या पंचायत वसूल कर सकती है। अगर वह यह समझे कि वह इस कर को वसूल कर सकती है। तो मैं आपके द्वारा बतलाऊंगा कि यह उनको एक भ्रम है। माननीय उपमंत्री महोदय यह न भूलें कि अगर आप उसको सूचना या नोटिस न देंगे तो वह आपत्ति न करेगा, अगर आप अपने कागजों में कर लिख लेते हैं और अगर उसकी वसूली के लिये आप आगे कदम बढ़ाते हैं तो समझ लीजिए कि वह बात तो दूसरी है कि जो निर्बल हो असहाय हो उससे आप वसूल कर लें। लेकिन वे अदालत की शरण ले सकते हैं और किसी भी अदालत में वे न्याय के हेतु जा सकते हैं। तो आप को याद रखना चाहिये कि वह कर आप वसूल नहीं कर सकते हैं। फिर जो आप के एक्जिक्यूटिव आर्डर्स हों उसी से वसूल कर सकते हों तो वसूल कर लें और जिनसे वसूल न हो सके तो उनको छोड़ दिया जाय। तो मैं यह बतलाना चाहूंगा तो यह भी कोई बहुत अच्छा चीज नहीं है। आप एक सिद्धांत को मान लीजिए और यह देख लीजिये कि जहां पर कर अनुचित रूप से लगाया गया है, जहां पर नियमों का पालन ही नहीं किया गया है और जहां पर अधिनियम के विरुद्ध काम किया गया है वैसी परिस्थिति में यह परमावश्यक है कि आप करदाताओं से किसी तरह का मतालबा वसूल न करें और यह करते हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि किसी भी मुकदमेबाजी में आप टिक नहीं सकेंगे। श्रीमन्, यही नहीं, मैं कोई पंचायतों को अधिकार न देने के पक्ष में नहीं लेकिन साथ ही साथ माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो अधिकार आप देते हैं उनका दुरुपयोग न हो। यह भी आप अच्छी तरह से समझ लें कि इस सदन में जो इस तरह के प्रश्न उठते हैं इसमें काफी तादाद ऐसे लोगों की है जो देहात से आते हैं। वे संभवतः इस दलबन्दी के कारण या उस तरफ बैठने के नाते आज मुझसे सहमत न हो सकते हों लेकिन उनके दिल में यह अवश्य है कि पंचायतें जो हैं वे भलीभांति नहीं चल रही हैं और यह ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर आप पर्दा डालें बल्कि कमजोरियों का अहसास करते हुये, गलतियों को मानते हुये आपको उनमें सुधार करने की कोशिश करना चाहिये।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय स्पीकर साहब, पंचायतों के सिलसिले में एक दो ऐसी तकरीरें हुईं जिससे यह अन्दाजा हुआ कि हमारे बहुत से भाइयों के दिमाग में इसके मुताल्लिक एक बहुत ही काली तस्वीर रही है। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि पंचायतें इतनी बुरी नहीं, उनकी तस्वीर इतनी काली नहीं हो सकती जितनी कि यहां खींची गयी है लेकिन इससे इन्कार नहीं हो सकता कि हमारी पंचायतों में अभी बहुत सी खामियां हैं और बहुत सी कमियां हैं और उन्हें हमें दूर करना है मैं यह नहीं समझता हूं कि पंचायतों में खामियां ज्यादा होने की यह हैं कि इब्तिदा में जो पंचायत राज ऐक्ट बनाया गया उसमें इतने अख्तियारात पंचायतों को दे दिये गये जितने अख्तियारात कि वे बरतने के काबिल नहीं थीं। मुझे याद है, मैं भी उस कमेटी का मेम्बर था। सन् ३७ में जिस समय पंचायतों के बनाने के लिये एक बिल रक्खा गया था, एक खाका तैयार किया गया था। मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि पंचायतों को सिर्फ सिविक पावर्स देना चाहिये और इससे ज्यादा कुछ नहीं और दस साल के बाद या कुछ और अर्से के बाद हम उन पावर्स को रेव्यु कर सकते हैं और उसके बाद उस रोशनी में हम ऐक्ट को अमेंड कर सकते हैं लेकिन हुआ यह कि पावर्स इतनी ज्यादा दी गईं, इतने अख्तियारात दिये गये कि पंचायतें उन्हें बरत नहीं सकतीं। आज हालत यह है कि बजाय इसके कि पंचायतों के अख्तियार बढ़ाये जायं रफ्ता-रफ्ता उनके अधिकारों में कमी करनी पड़ी जैसे कि माल के मुकदमें वहां जाते थे वे वापस ले लिये गये और वे अदालतों को रेफर किये जायेंगे। इस चीज से मैं नाराज नहीं हूं, खुश हूं। पंचायतें जैसा कि हमारे कांस्टीट्यूशन में दिया गया है वे हमारी सब से बेसिक यूनिट्स होंगी। अगर उस तरीके पर चलना है तो हमें यह देखना होगा कि वे मजबूत किस तरह से बनाई जा सकती हैं। उनका एक्सपेरामेंट जो है आहिस्ता-आहिस्ता किया जाय और जल्दी न किया जाय। मिसाल के तौर पर एक सब से बड़ी चीज यह है कि अब तक पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अख्तियारात को डिफाइन नहीं किया गया है जिसका नतीजा यह होता है कि बहुत सी जगहों पर दोनों तरफ से काम होता है खास कर जहां टैक्सेशन का मामला हो.....

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे। आपके दो मिनट हुए हैं। आठ मिनट बाकी हैं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सुल्तान आलम खां--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, एक घंटा पहले जब हम उठे थे तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों की पावर्स डिफाइन नहीं हुई हैं, बिलखसूस टैक्सेशन के मामले में। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी टैक्स लेता है, पंचायतें भी टैक्स लेती हैं और लोगों की जो टैक्स देने की कैपेसिटी है वह हम सभी जानते हैं। नतीजा यह हुआ कि पंचायतों का टैक्स बहुत काफी मिकदार में एरियर्स में रह गया और जो अब अमीनों के जरिये से वसूल किया जा रहा है और उस टैक्स में गवर्नमेंट ने शायद सही किया कि उन्हें यह हिदायत दे दी कि अगर टैक्स वसूल नहीं हो सकता है तो रेमीशन दे दें, कम से कम वसूल किया जाय ताकि लोगों को तकलीफ न हो, यह ठीक है। लेकिन अगर टैक्स का एक पूल हो लोकल बोडीज का उसके जरिये से टैक्स वसूल किया जाय तो मैं समझता हूं लोगों की दिक्कतें कम हो जायं। पंचायत टैक्स हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स हो, म्युनिसिपल बोर्ड टैक्स हो, टाउन एरिया टैक्स हो, नोटीफाइड एरिया का टैक्स, कई जगह वसूल होते हैं टैक्स और नतीजा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

यह होता है कि उस टैक्स की उज्रदारी, उसके मुकदमें में लोगों को जाना पड़ता है तारीखों पर जिससे कि उनके अखराजात ज्यादा होते हैं और दिक्कतें और दुश्वारियां होती हैं। इसलिये लोकल बाडीज का कम से कम, एक पूल टैक्स का हो उसमें से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों को उनकी जरूरत के मुताबिक तकसीम किया जाय तो मैं समझता हूं अच्छी बात होगी।

जनाबवाला, मुझे इस बात की बड़ी मुसर्रत और खुशी है कि पिछले पंचायतों के चुनाव अगले चुनाव की तरह पार्टियों के आधार पर नहीं लड़े गये और कुछ पंचायतों में, इसमें शक नहीं, दिक्कत हुई इलेक्शन में, लेकिन फिर भी औन दी होल उनका इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से गुजर गया। अगर पार्टी बन्दी की बिना पर यह इलेक्शन होते तो शायद उसमें दिक्कतें और दुश्वारियां और ज्यादा बढ़ जातीं।

मैं न्याय पंचायतों के मुताल्लिक चन्द बातें अर्ज करना चाहता हूं। उसूलन तो मैं इस बात का हामी हूं कि कोई भी अदालत पंचायत हो या कोई अदालत हो वह चुनाव के जरिये मुन्तखिब नहीं होनी चाहिये। उसूल बुनियादी यही होना चाहिये जितनी अदालतें हों नामजदशुदा हों। इसलिये कि यह तजुर्बा एक मर्तबा अमेरिका में किया जा चुका है कि वहां की न्याय अदालतें चुनाव के जरिये से लाई गईं लेकिन वह नाकामयाब हुईं। और हमारे ऐक्ट में भी पहले यही था। लेकिन इस मर्तबा हमने यह तय किया। उसमें चुनाव और नामजदगी दोनों तरीके हमने शामिल कर दिये हैं। लेकिन इस में एक दिक्कत यह महसूस हुई है कि अगर इस तरीके पर चुनाव किया गया, कमेटियां बनाई गयीं तहसीलवार क्षेत्रों में, और जिले में तो उसमें बहुत सी इख्तलाफ राय हो सकती हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बड़ी दिक्कत और दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा इसलिये कि अगर कमेटी का कोई फैसला मुत्तफिक़ नहीं हुआ किसी शख्स के मुताल्लिक तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? या तो वह यह करेगा कि मेजारिटी के फैसले की पाबन्दी हो, या कोई और तरीका मालूम नहीं होता। अगर मेजारिटी से चुनाव किया गया तो मुनासिब और अच्छा नहीं होगा। इसलिये बावजूद इसके मैं बुनियादी तौर पर सही नहीं समझता कि चुनाव के जरिये से पंचायतें बनाई जायं। लेकिन जो मौजूदा सेट अप है आप अगर उसको पूरा नहीं बदलते तो सिर्फ एक चीज के मुताल्लिक चुनाव को दूर कर दिया जाय यह ठीक नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में मेरे खयाल से बजाय इसके कि कमेटियां बनाई जायं और कमेटियां नाम चुन करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दें, यह होना चाहिये कि ग्राम पंचायतें अपनी जगह पर अदालती पंचों का चुनाव कर लें और वे सब मिल कर अपने सरपंच का चुनाव कर लें, तो ज्यादा बेहतर तरीका होगा। लेकिन जो सेट अप और कायदे कानून हैं उनमें यह मकसद मालूम होता है कि बजाय इसके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कमेटी बना करके उसके जरिये से मेम्बर चुनें तो इसके बजाय मेम्बरान पंचायत अपने मेम्बर चुन लें और वे मेम्बर अपने में से सरपंच चुन लें, ऐसा मुनासिब मालूम होता है। और अगर इस प्रकार काम किया गया तो ज्यादा सहूलियत होगी।

इलेक्शन के सम्बन्ध में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जिस वक्त पंचायत राज बिल जेरे गौर था तो इस बात पर काफी विचार किया गया था कि किसी सूरत से मुनासिब हो गांवों के अन्दर हम पौलिटिक्स न घुसने दें और कम से कम इस बात की इजाजत दें कि वहां पोलिटिकल तरीके पर इलेक्शन हो और पोलिटिकल पार्टीज चुनाव में हिस्सा लें। और उसकी वजह यह थी कि हमारी पंचायतों में कोई पोलिटिकल इश्यूज तो होते नहीं जिसकी बिना पर इलेक्शन लड़ा जाय, वहां तो मुकामी बातों के ऊपर इलेक्शन होता है। लेकिन फिर भी इलेक्शन काफी की न होने शुरू हो गये हैं यह अच्छी बात है। इस मर्तबा इलेक्शन में जैसा मैंने अर्ज किया कि

औनरेबल हौल चुनाव अच्छे और मुनासिब तरीके से गुजर गये। लेकिन इन इलेक्शनों के बाद जो तादाद इलेक्शन पेटीशनों की आयी है वह बहुत काफी है। इसका मतलब यह होता है कि जिन लोगों का चुनाव हुआ है वह उससे मुतमईन नहीं हैं और वह यह चाहते हैं कि इलेक्शन पेटीशन के जरिये से यह चुनाव बदल दिए जायं। मैं जाती तौर पर यह भी समझता हूं कि म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या और समितियों में जितनी खराबियां मौजूदा डेमोक्रेसी के जमाने में हैं वह हमारी पंचायतों में न आने पावें और उनके अन्दर इलेक्शन पेटीशन भी कम से कम हो। लेकिन बहरहाल इलेक्शन पेटीशन हमने प्रोवाइड किया है और उसके अन्दर वकील भी होंगे, हाकिम परगना के यहां वह पेटीशन जायेंगे और वहां वह फैसले करेंगे। यह कुछ डेमोक्रेटिक इंस्टीटचूशन जो पंचायतें पेश करती हैं, इसकी तरक्की के लिए कुछ अच्छी बात नहीं मालूम होती। इसलिये मैं जाती तौर पर यह मुनासिब समझता हूं कि पंचायतों के इलेक्शन में यह तरीका रखा जाय कि यह इलेक्शन बजाय इसके कि हाथ उठा कर हो, अगर कोई दूसरा ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाय कि जिसके जरिये से लोगों को सीक्रेट तरीके से बैलट करने का मौका मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह के इलेक्शन का तरीका यह होगा कि इलेक्शन पेटीशंस कम से कम हो जायंगे। बल्कि मैं तो यह चाहूंगा कि इलेक्शन पेटीशन पंचायतों से बिल्कुल ही निकाल दिया जाय। इस बात का मौका न दिया जाय एक इलेक्शन हो और उसके बाद पेटीशंस हों और उन पेटीशंस के बाद एक चेयरमैन या मेम्बर निकाला जाय और फिर दूसरा चुनाव हो। इससे झगड़े और बढ़ते जायेंगे और नतीजा यह होगा कि काम में गड़बड़ी होगी और दिक्कतें पैदा होंगी।

गांव समाज के मुताल्लिक मैं दो चार बातें अर्ज करना चाहता हूं। मेरा अपना खयाल है कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर करने का मौका दिया जाय। श्रमदान करने का मौका दिया जाय, गांव की तरक्की करने का मौका दिया जाय तो बहुत बेहतर है, ज्यादा से ज्यादा सिविक पावर्स उनको हों, यह भी बहुत अच्छा है लेकिन मेरा अपना यह खयाल था कि पंचायतों को अगर गांवों की दलबन्दी से बचाना हो तो उनके पास जमीनों का इन्तजाम नहीं रहना चाहिए। जिस वक्त पंचायत राज बिल बन रहा था उस वक्त भी मैंने अपनी इस राय को पेश किया था कि गांव समाज का गांव पंचायत से ताल्लुक न रहे तो ज्यादा अच्छा है। मेरी नोटिस में ऐसे बहुत से केसेज हैं जिनमें कि गांव पंचायत के प्रधानों ने जमीनें अपनी शहादत देकर ऐसे लोगों को उठा दीं जो बिल्कुल उसके पाने के मुस्तहक़ नहीं थे, जिनको जरूरत नहीं थी और जिनको जरूरत थी जो उसके मुस्तहक थे उनको नहीं मिल सकी। इसलिए कि प्रधानों की राय सब से अधिक वकत रखती है जो गैर मजरुआ जमीन पड़ी हुई है उसको उठाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। वह लोग इस फेर में रहते हैं कि लोग हमसे नाराज न हों, या ऐसे लोगों को हम जमीनें दें जो हमारी आइन्दा मदद करें। तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि जैसे माल के मुकदमे पंचायती अदालतों से निकाल लिए, अगर हम इस बात पर गौर करें कि गांव समाज के पास से भूमि का इन्तजाम करने की जो बात है वह उससे निकालकर और मुकामी रेवेन्यू आफिसर्स को वह दे दें तो ज्यादा बेहतर और मुनासिब होगा। मेरा वक्त खत्म हो रहा है और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। इसलिए मैं यह समझता हूं कि जो कुछ यहां प्रोपोजल्स आयेंगे उन पर गौर होना चाहिए और पंचायत राज बिल को जल्द से जल्द एक कमेटी के सुपुर्द करके इस पर अजसरे नौ गौर करना चाहिए क्योंकि सात साल हो गए जब पंचायतें कायम हुई थीं, इन सात सालों के अर्से में बहुत तजुर्बा हुआ, बहुत सा पानी, दरिया का, पुल के नीचे से बह गया, इसलिए इस बात का मौका है कि हम इस पर गौर करें और इस बिल को और ज्यादा बेहतर बनायें।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)— उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। जो अनुदान माननीय मंत्री महोदय ने उपस्थित किया है मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं कि इतना उपयोगी अनुदान उन्होंने इस सदन के सामने रखा है। पंचायतों का मसला इस बात का प्रमाण है कि हमारा यह प्रदेश गणतन्त्र की ओर जा रहा है। जमींदारी उन्मूलन के बाद अपने गांवों में वहां का तन्त्र चलाने के लिए, वहां की व्यवस्था चलाने के लिए आवश्यक था कि एक ऐसी एजेंसी कायम होती कि जो काम जमींदार करते थे उनको करने के लिए और हमारी भारी व्यवस्था को एक गणतन्त्र के तरीके पर चलाने के लिए एक एजेंसी होती और वह एजेंसी यही पंचायतें हैं जिनका चुनाव अभी हाल में हुआ है। जिस बड़े पैमाने पर हमारे प्रदेश में चुनाव हुए और जिस तरह से शान्तिपूर्वक चुनाव हुए उनमें कम से कम झगड़े झंझट हुए यह इस बात का सबूत है कि ये पंचायतें बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं और उनके काम से लोगों को संतोष है और इसके लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। जो चुनाव इस बार हुये हैं वे इस बात का भी प्रमाण हैं कि ये पंचायतें लोकप्रिय हैं क्योंकि अधिकतर वे लोग ही चुनकर आये हैं जो जनसेवा करना चाहते हैं। अपने जिले के बारे में मैं कह सकता हूं कि अनेकों तरह के लोग खड़े हुये कुछ ऐसे लोग भी थे जो डंडे और धौंस के बल पर चुनाव में कामयाबी चाहते थे लेकिन जनता जनार्दन ने उन्हें नहीं आने दिया और जो लोग चुनकर आये हैं वे अधिकतर शरीफ आदमी हैं और सेवा के भाव से पंचायतों में आये हैं।

अब मैं न्याय पंचायतों के बारे में कहना चाहता हूं। न्याय पंचायतों के बारे में हमने पिछले साल पंचायतों के बिल पर विचार किया और यह तय किया था कि उन न्याय पंचायतों में चुने हुये आदमी न आ करके नामजदगी का तरीका रहे। वैसे गणतन्त्र के रूप में यह बात ठीक नहीं मालूम होती लेकिन ठीक भी मालूम होती है क्योंकि यदि हर रूप में चुने हुये आदमी को लावें तो यह आशंका मालूम होती है कि अपना प्रभाव कायम रखने के लिये लोग ऐसी चीजें करें जो नामुनासिब हों तो हमने तय किया कि हम न्याय पंचायतों में नामजदगी करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप नामजदगी करने के लिये थोड़ी सी छूट दें उस क्षेत्र के लोगों को कि वह अपनी राय दें और उन्हीं की राय के मुताबिक अमल करने की आप हमारे आफिसरान को हिदायत दें। पिछली बार सरकार ने एक सूचना भेजी थी तमाम जिलों में कि इस काम के लिए जिला कमेटियां और तहसील कमेटियां बनायें। मैं समझता हूं कि जो नियम हैं उनमें थोड़े से संशोधन करने के लिये सरकार गौर करेगी और जल्द से जल्द इन न्याय पंचायतों को बनाने की व्यवस्था करेगी। न्याय पंचायतें बनाना इसलिये जरूरी मालूम होता है क्योंकि एक अर्से से वह रुकी हुई है। लोगों को शिकायत है और इसलिये उस शिकायत को दूर करने के लिये न्याय पंचायतों की व्यवस्था शीघ्र की जायगी तो वे ज्यादा सफल साबित होंगी।

गांव सभा के टैक्स के बारे में मुझे आपसे अर्ज करना है काफी टैक्स बाकी पड़ा हुआ है और उसकी अदायगी लोगों की सामर्थ्य के बाहर है और सारा एरियर देने में वे अपने को असमर्थ पाते हैं। आपने उस टैक्स में रेमिशन देने के लिये हिदायत की है। सचमुच बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो एरियर नहीं दे सकते। दूसरी समस्या है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स और पंचायतों का टैक्स, डबल टैक्स लोगों के चलाये नहीं चलता। तो आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में शीघ्र से शीघ्र ऐसा संशोधन आना चाहिये जिससे लोकल बाडीज के टैक्सों में इनका बटवारा हो सके और आदमी को अपने सामर्थ्य से बाहर टैक्स देने के लिये मजबूर न होना पड़े। मैं अपने क्षेत्र के एक मसले की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में कुछ बालू की खदानें हैं। कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां खेतों में बालू निकलती

है। अकसर औकात ऐसे खेतों में जो काश्तकारों के नाम हैं बालू निकलती है और जब बालू निकलने लगती है तो सरकारी अफसरान उसकी खदान को नीलाम करते हैं और उस खदान से बजाय उस किसान को मुनाफा होने के उस पर एक तरह से जुर्माना लगता है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी बालू की खदानें फट पड़ती हैं और लोग दब कर मर जाते हैं। एक स्थान दौलतपुर है जहां बालू खेतों की खदानों में काफी मात्रा में निकलती है और उस बालू का नीलाम होता है। उन खदानों के नीलाम का रुपया मालूम नहीं किस खाते में जमा है। कभी कहा जाता है कि गांव समाज के खाते में जमा है और कभी कहा जाता है कि गांव समाज के खाते में जमा है। हमने नियोजन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि हमारे उस ग्राम के नियोजन के काम जो हैं वे रुके पड़े हुये हैं। जो सड़कें निकली हुई हैं, जो स्कूल बने हुए हैं वह वैसे ही अधूरे पड़े हुये हैं, पुलिया, पंचायतघर आधी बनी पड़ी हुई हैं। बड़ी संख्या में रुपया है जिसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो रुपया बालू की बिक्री से जमा है वह जल्द से जल्द दौलतपुर की गांव सभा को मिलना चाहिये ताकि गांव सभा उस रुपये को नियोजन के काम में लगा सके।

इसके अलावा गांव सभा और गांव समाज को अलग करके मैं समझता हूं कि एक भ्रम सा पैदा कर दिया है। ये दोनों चीजें एक ही हो जायं तो ठीक होगा। गांव समाज उस जमीन की व्यवस्था करता है जो आमदनी का एक जरिया है। वह आमदनी गांव सभा के हाथ में अगर रहे तो गांव के सुधार की बहुत सी योजनायें गांव सभा बना सकती है। अभी हमारे मित्र श्री सुल्तान आलम खां ने यह कहा कि गांव सभा के सभापति कुछ जमीनें दे दिया करते हैं। जहां तक मैं समझता हूं उनको किसी को जमीन एलाट करने का अधिकार नहीं है। जमीन गांव सभायें ही एलाट करती हैं। टेनेन्सी ऐक्ट के मुताबिक भी भूमिहीन को ही अधिकार है कि पहले उसको जमीन मिले। मैं समझता हूं कि गांव समाज और गांव सभा को एक कर दें और गांव सभा ही उसका इन्तजाम करे तो जमीन का इन्तजाम ठीक-ठीक चल सकता है।

नियोजन के सम्बन्ध में आपने जिक्र किया कि गांव पंचायतों में रेडियो सेट्स लगे हुए हैं, लायब्रेरीज हैं और गांधी चबूतरे बने हुये हैं। लेकिन यह चीजें जो नियोजन की तरफ से हो रही हैं आप उनका जिक्र करके यश लें तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप देखें कि गांधी चबूतरा, जिससे लोगों में उत्साह पैदा होता है, जिससे लोगों में स्पिरिट आती है उसके बनाने के लिये नियोजन विभाग की तरफ से मना ही हो गयी है। इनके बनाने के लिये सरकार के मंत्री कहते हैं कि रुपया न दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह गलत तरीका है। इसी तरह से आपकी जो लाइब्रेरीज और रेडियो सेट्स हैं ये सूचना विभाग की तरफ से दिये हुये हैं। आप सब लोग इसका यश तो लेते हैं लेकिन इन्तजाम ठीक नहीं चल पाता है।

इसके अलावा आपने गांव समाज और गांव सभा के तीन अधिकारी कर दिये हैं, लेखपाल, सेक्रेटरी और वी० एल० डब्ल्यू। लेकिन एक ही तरह के हुक्म तीनों आदमियों के पास पहुंचते हैं। अगर गांव समाज और गांव सभा एक कर दिये जायं तो इनके कामों में ठीक ठीक बटवारा हो सकता है और काम ज्यादा कामयाबी और खूबसूरती के साथ हो सकता है।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय का ध्यान इन जरूरी बातों की ओर आकर्षित करते हुये आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उमाशंकर जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यदि सही माने में पूछा जाय कि गांव पंचायतराज की योजना किस लिये बनायी गयी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गांव पंचायतराज तो हुआ नहीं गांव पंचायत प्रजा जरूर हो गयी। राजा के नाम पर प्रजा बना दिया गया। अब अगर माननीय मंत्री जी इसका अच्छी तरह से विवेचन करेंगे तो मैं अभी जो चुनाव हुये हैं उन्हीं के बारे में पहले चर्चा कर देना चाहता हूं और इधर-उधर की बात नहीं, सारे सूबे से जितने प्रमाणित पत्र मेरे पास आये हुये हैं उन्हीं का हवाला दूंगा। प्रथम पत्र है श्रीमन्, जिला आजमगढ़ का। मुनईराम इस अपने पत्र में लिखते हैं, माननीय परिपूर्णानन्द जी जो बुद्धि विभ्रम जन्य भ्रान्ति में सर्वथा विचरण किया करते हैं उसको मैं बाद में थोड़े में दूर कर दूंगा। श्रीमन्, यह समय काट कर मुझे दे दिया जाय। वह लिखते हैं कि जब वहां पर देखा कि जमींदार पक्ष हार रहा है तो तहसीलदार, दरोगा मय सिपाहियों के काफी तादाद में वहां आ गये और एक पुलिस के सिपाही ने मुनईराम को स्वतः पकड़ लिया और किस तरह से उन्हें परेशान किया और धक्का देकर वहां से हटा दिया गया जिससे उनके समर्थक आतंकित हुये और भाग गये। श्रीमन्, यह प्रधान पद के लिये खड़े हुये हैं दीदारगंज थाना सरावमीर, जिला आजमगढ़। इसके अलावा जिला गोरखपुर में एक जगह जंगल गौरी है वहां १४६ आदमियों के हस्ताक्षर से एक प्रार्थना-पत्र आया है। उनका कहना यह है कि वहां ४०० हरिजन थे। वहां पर तमाम वोटर्स को पुलिस ने डंडा मार कर भगा दिया क्योंकि वहां हरिजन सभापति के पद के लिये खड़ा हुआ था। इसके बाद एक आवेदनपत्र है जंगरौली परगना हवेली, तहसील सदर, गोरखपुर। इसके बाद श्रीमन्, आप बनारस के सकलडीहा के बारे में सुनिये कि जब कांग्रेस पार्टी यानी रूलिंग पार्टी का समर्थन हार रहा था तो पुलिस वालों ने घोड़ा दौड़ा दिया और रिटर्निंग अफसर ने कह दिया कि अब चुनाव नहीं होगा और जब लोग चले गये तो रिजल्ट घोषित कर दिया।

इसी प्रकार से कानपुर में, सब जगह से यही रिपोर्ट आई है कि जिस दिन चुनाव हो रहा था उसी दिन वह लिस्ट संशोधित कर दी गई और कांग्रेस वालों ने जिन नामों के लिये कहा वह बढ़ा दिये गये। माननीय मंत्री जी देखेंगे कि यह सारे प्रदेश में जो चुनाव हुये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि यह सारे के सारे चुनाव अवैधानिक हुए हैं। इसमें जहां कई हजार पिटीशन्स हुई हैं उनकी बुनियाद यही है कि जितने सरकारी कर्मचारी या पंचायतों के कर्मचारी रहे हैं और जिन्होंने रिटर्निंग आफिसर वगैरह के पद पर कार्य किया है उन्होंने पक्षपातपूर्ण कार्य किया है। सरकार की ओर से सफाई दी जा सकती है कि क्या सब सरकारी कर्मचारी बेईमान हैं। मैं उनके ईमानदार या बेईमान होने की बात नहीं करता हूं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां इतनी शिकायतें हैं वहां ऐसा तरीका अख्तियार किया जाय जिससे लोगों के साथ आम तौर पर जस्टिस (न्याय) हो।

अब जो इलेक्शन पिटीशन की मशीनरी सरकार की है उसके बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं लेकिन इतना है कि इससे न्याय मिलने की सम्भावना बहुत कम है। श्रीमन्, जब यह ऐक्ट अमेंड (संशोधन) हो रहा था, उस समय गौतम जी मंत्री थे। हमने उस समय निवेदन किया था कि जिस तरीके से हाथ उठा कर चुनाव का तरीका है इसमें बड़ी धांधली होगी, इसलिये इसको बदल दिया जाय। यदि उस समय के डिबेट (वाद-विवाद) को देखा जाय तो जितने विरोधी दल के सदस्य बोले थे सब ने कहा था कि यह चुनाव का तरीका निहायत ही गलत है और इसको न रखा जाय। लेकिन सरकार ने वही तरीका रखा जिसमें मनमानी करने का अफसरों को अवसर मिलता रहे।

इसके बाद मैं श्रीमन्, आना चाहता हूं इस पर जो न्याय पंचायतों का संगठन किया जा रहा है। जिस तरह से उसको बनाया जा रहा है मैं मौलिक तरीके से उसके विरुद्ध हूं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, चाहे वह कितना ही ईमानदार क्यों न हो, मैं उसकी ईमानदारी को क्वेश्चन किये बिना ही इसके मूल में जाना चाहता हूं कि जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या उसके द्वारा और कोई नियुक्त अधिकारी छांटेगा, सेलेक्ट करेगा ३० में से ५ को या ३५ में से ५ को, तो उसके पास क्या क्राइटेरियन रहेगा। सरकार ने बताया कि उसको वहां के एम० एल० एज०, एस० डी० ओ० और डिस्टिक्ट बोर्ड का चेयरमैन, सब मिल कर सलाह देंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस सलाह को मानने के लिये बाध्य न होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वह लोग सलाह देंगे और उसके बाद वह छांटेगा लोगों को हमारा कहना है कि यह तरीका बन्द होना चाहिये। पंचायतों का चुनाव जिस रूप में हुआ यह अधिकांश नाजायज है, मगर जो हुआ है उसको भी देखा जाय कि जो पंचायतें चुन गई हैं और सरकार समझती है कि चुनी गई हैं तो इसका अधिकार उन्हीं पंचायतों को क्यों न दे दिया जाय कि न्याय पंचायत के पंचों के लिये एक सर्वसम्मति होनी चाहिये। जहां के पंच सर्वसम्मति से अपनी न्याय पंचायत के पंचों को चुन लें, हमारा कहना है कि हर हालत में वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उन्हें मान लेना चाहिये। ऐसा भी हो सकता है कि पांच पंचों में से केवल तीन के लिये सर्वसम्मति हुई, तो वह तो चुन लिये जायं और बाकी दो के लिये चार नाम और मांग लीजिये और उन चार में से मैजिस्ट्रेट किन्हीं दो को चुन दे, लेकिन बिल्कुल एक नियम यह मत कर दीजिये कि जिसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहेगा वही अंतिम रूप से न्याय पंचायत का पंच बनेगा। यह तरीका घातक होगा और इतना घातक होगा कि गांव पंचायत में खूनखराबी पैदा हो जायगी और एक आफत आ जायगी और मैं अभी समझ सकने में असमर्थ हूं कि आखिर सरकार उसका क्या समाधान निकालेगी। रोज आये दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि आज वह सभापति पद के लिये चुना गया या खड़ा होने वाला था और उसका कत्ल हो गया, उसको चारपाई से बांध कर पेड़ में टांग दिया गया। सरकार का ध्यान इस ओर जरूर आकर्षित हुआ होगा और होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि पंचायतों का कार्य सही मानों में हमें सजीव और सजग बनाना है तो सरकार को बुनियादी तौर पर अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा। सही अधिकार गांव पंचायतों के हाथों में देने होंगे। गांव समाज की जो जमीनें हैं, जो उसको मिली हैं वह सही मानों में श्रीमन्, उन गरीब लोगों को मिलनी चाहिये थीं कि जो ऐसी खेती करते थे और जिनके पास जमीन नहीं थी, लेकिन वह सारी की सारी जमीन बड़े-बड़े आदमियों को उठा दी गई और जहां पंचायतराज के अधिकारी हैं या जहां सरकारी कर्मचारी गये हैं, बराबर उनसे यह निवेदन किया गया है कि यह जमीनें जो थीं वह गांव समाज की थीं और इनको दूसरे लोगों को मिलना चाहिये था, मगर वहां के प्रतिभासम्पन्न लोगों के पक्ष में वह जमीनें छोड़ दी गई हैं। एक नहीं ५०सों सबूत इस प्रकार के मेरे पास हैं कि जहां बड़े-बड़े लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया है और स्थानीय अधिकारी उनको कब्जे से वंचित नहीं कर पाये हैं। गरीब लोगों के पक्ष में वह जमीनें नहीं जा पाई हैं।

टैक्स लगाने की प्रथा है। अब सरकार ने यह कर दिया है कि यदि गांव पंचायत टैक्स नहर लगायेगी तो भी सरकारी कर्मचारी टैक्स लगा सकेंगे। क्यों लगा देंगे सरकारी कर्मचारी? मैं माननीय मंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहता हूं--निवेदन शब्द का प्रयोग जानबूझ कर कर रहा हूं,--मगर इसके साथ-साथ वह सेक्शन भी हमारे साथ है कि ऐसा करने से एक बहुत बड़ा बलवा खड़ा हो जायगा। यदि वहां के एस० डी० ओ० और जिलाधीश मनमाने टैक्स लगा देंगे तो नहीं मालूम

[श्री राजनारायण]

कितनी जगह पंचायतों के फिर से चुनाव होंगे और जबरदस्ती सरकार उनमें करना चाहेगी अगर, तो उसका जवाब भी जनता देने के लिये तैयार रहेगी तो इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी भी सुन लें और सरकार को बता दें कि यदि कहीं गांव पंचायतें टैक्स नहीं लगातीं और वहां के सरकारी कर्मचारी टैक्स लगाने की बात करते हैं और इस बात की हिम्मत करते हैं कि वहां टैक्स गांव पंचायत की मर्जी के खिलाफ लगाया जाय तो उसका बड़ा बुरा और घातक प्रभाव पड़ेगा।

श्रीमन्, माननीय परिपूर्णानन्द जी ने गांव पंचायतों के बारे में एक बार कहा था मैं उनसे बताना चाहता हूं कि मैं किसी गांव पंचायत के चुनाव में खड़ा नहीं हुआ और मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं है। इस वक्त हमारे पास, हमारी पार्टी के पास ऐसे बहुत से बड़े-बड़े व्यक्ति हैं और समझदार व्यक्ति हैं, जो श्री परिपूर्णानन्द जी से अधिक बुद्धिमान तथा समझदार हैं, सब जगह मुझे ही रहने की आवश्यकता नहीं है। और समझदार व्यक्ति हैं, गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं जिनकी बुद्धि माननीय परिपूर्णानन्द जी से कई गुणा अच्छी है और जिन्होंने अपने जीवन में जनता के हित में काम किये हैं। जिन्होंने चाटुकारिता अपने जीवन में नहीं की है। और जिन्होंने मिलमालिकों की खुशामद करके अपनी प्रभुता बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। मैं परिपूर्णानन्द जी को चैलेन्ज करता हूं कि वह कहीं से भी उत्तर प्रदेश में खड़े हों उसमें उनकी करारी हार होगी।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—माननीय, माननीय मंत्री महोदय ने जो अनुदान उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं आपकी सेवा में यह निवेदन करूंगा कि मैं यह अनुमान लगाता था कि जिस दिन यह अनुदान इस सदन में आयेगा उस दिन हमारे माननीय राजनारायण जी अपना बहुत सा गुस्सा इस सदन में निकालने की चेष्टा करेंगे। यह अवश्य निश्चित है और मैं मानता हूं और आप भी मानते हैं कि इस विशाल देश में और इस विशाल उत्तर प्रदेश में ऐसे लाखों और करोड़ों व्यक्ति होंगे जिनकी बुद्धि मुझसे कहीं अधिक अच्छी होगी। किन्तु श्रीमन्, अन्तर केवल इतना ही है कि जिनकी बुद्धि अच्छी है उनको मैं पहचानता हूं और जिनकी बुद्धि अच्छी नहीं है उनको हमारे मित्र पहचानते नहीं हैं। यह भी मैं जानता हूं कि इस प्रदेश में जिसमें १ लाख १० हजार गांव हैं और जिनमें लगभग ७२ हजार गांव सभायें हैं उनके चुनाव में कहीं कुछ कमियां या खराबियां हुयी होंगी। पर उन गांव सभाओं में चुनाव के सम्बन्ध में इतनी कटु आलोचना ३,४ पत्र सुनाकर कर दी जाय, समूचे चुनाव की बदनामी कर दी जाय और पुलिस की धांधली कर दी जाय तो यह ठीक नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव साफ तौर पर नहीं हुआ। यह उनका हृदय जानता होगा और उनके मित्र जानते होंगे उन्हीं के गांव सभा के चुनाव में उनकी कितनी हार हुयी। सकलडीहा के चुनाव की बात कही गयी पर गंगापुर की बात क्यों नहीं कही गयी कि वहां पर धांधली हुयी। पर नहीं यह तो निश्चित ही है कि जहां पर कोई व्यक्ति जीतता है तो वहां हारनेवाला जो व्यक्ति होता है वह जीतनेवाले को यही कहा करता है कि वहां पर धांधली हुयी लेकिन प्रजातंत्र के सिद्धांतों में जो जरा भी विश्वास रखता है और जो अनायास ही किसी दूसरे के मिल की गद्दी पर बैठने के गलत स्वप्न नहीं देखा करता, जिनके करने की बात में और कहने की बात में कोई अन्तर नहीं होता वे ऐसी गलत धांधली की बात और ऐसी छोटी बात सदन के सम्मुख नहीं रखते। माननीय राजनारायण जी को मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि वे कृपा कर इस सदन की मर्यादा का ध्यान रखते हुये ऐसी बातें किया करें। मैं उनसे बहुत कुछ परिचित हूं और उनकी जमींदारी की कार्यवाहियों को भी जानता हूं लेकिन मैं इन बातों को यहां न कहकर केवल आपके सम्मुख आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि इतना बड़ा प्रयोग, इतना बड़ा पंचायतों का चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायतों का इतना बड़ा नियोजन जो यहां पर किया गया वह वाकई बहुत ही अच्छा है। अन्य प्रदेशों में जहां पर कि पंचायतों का कार्य हुआ है जैसे मध्य-

प्रदेशों में वहां पर बहुत कुछ कार्य सरकार ने अपने हाथ में रखा है लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार जनता के हाथ में पंचायत शासन दिया है वह बहुत ही सराहनीय है। प्रयोग में पहले बहुत सी भूलें होती हैं, गलतियां होती हैं किन्तु यह प्रयोग धीरे-धीरे आगे चलकर सफल होगा। लेकिन माननीय मंत्री जी के शासन काल में जितनी शांति के साथ यह चुनाव हुआ उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। यह कह देना और खासकर उन लोगों को जो लोग समाजवाद के विषय में बहुत बातें करते हैं, कुछ अच्छा नहीं मालूम होता है। वे लोग यह कहते हैं कि जिलाधीश को कोई अख्तयार न दिया जाय तो यह कहां तक उचित मालूम होता है। चीन की पंचायतों की यहां से तुलना की गयी। जो लोग चीन के पंचायत नियोजन को जानते होंगे उनको यह भी सूचना होगी कि चीन में उनका यह परम्परागत नियम चला आया है कि फी १० आदमियों का एक गुट होता है उसको पाई कहते हैं और दस पाई के पीछे एक और गुट होता है जिसको वह 'चिया' कहते हैं। इसी प्रकार से १० चिया को मिलाकर एक गुट बनता है जिसको वह 'पाओ' कहते हैं। इस प्रकार से १० के गुटके ऊपर एक 'पाओ' होता है और उस 'पाओ' का प्रधान, गवर्नमेंट द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा चुना जाता है न कि जनता द्वारा इस प्रकार से उन्होंने यह 'पाई' 'चिया' और 'पाओ' का जो संगठन किया है और वह उन्होंने इसीलिये किया है कि ऐसा करने में किसी प्रकार की दलगत राजनीति पैदा न हो। राजनीति का स्थान तो गांव शहर ही नहीं यह सदन भी है और उसमें कुछ माननीय सदस्य ऐसे नीचे स्तर पर उतर आते हैं कि अपने साथियों की बुद्धि और नीयत पर भी हमला करने में संकोच नहीं करते।

हमारी ऐब जोई करने वाले भी अजब शय हैं,
हमें तो देखते हैं और खुद को भूल जाते हैं।

इसलिये केवल हमें देखने के बजाय वे अपनी ओर भी देखें केवल यहां सदन में ऊंचे-ऊंचे सिद्धांतों को बखान करने से देश और समाज का कल्याण नहीं हो सकता।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पंचायत राज ऐक्ट में उन्हें ऐसे सुधार अवश्य कर देने चाहिये जिससे पंचायतों और उससे सम्बन्ध रखने वाले दूसरे महकमे जैसे जंगलात का महकमा है, जिसके अन्दर पेड़ लगाना वगैरा के काम हैं, उनमें कोआपरेशन हो सके। जिससे पंचायत राज और दूसरे विभागों के बीच तारतम्य स्थापित हो सके और जिन कारणों से ऐसा नहीं हो सकता उनको दूर करने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त हम सदस्यों को भी इस पर गौर करना चाहिये कि यह एक बड़ा भारी प्रयोग हो रहा है। इस प्रयोग को सफल करने में उनको हर प्रकार का सहयोग देना चाहिये। लेकिन आज यह देखने में आता है कि ग्राम सभाओं में जो दलबंदी है वह हमारे जैसे एम० एल० एज० के कारण से भी है। ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों में जो झगड़े होते हैं वे एम० एल०एज० के कारण भी होते होंगे। कांग्रेस दल ने इस विषय में यह बहुत ही अच्छा किया कि उसने यह घोषणा की कि उसके दल के उम्मीदवार उसके लिये खड़े नहीं करेंगे। दूसरे दलों की ओर से इतना तो वहीं किया जाना चाहिये कि एक तरफ तो ग्राम के लोग यह कहें कि हम श्रमदान करना चाहते हैं और दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं कि न करो, यह श्रमदान नहीं शरमदान है। मेरे खयाल से गांवों में इस प्रकार की कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिये जो उसकी उन्नति में बाधक हो, जिससे लोगों के बीच में दुर्भावना पैदा होती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस बात को रोकने के लिये कोई प्रबंध अवश्य होना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसी न किसी प्रकार से गांव सभा के सभापतियों की ट्रेनिंग होनी चाहिये। उनकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिये। इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर्स में यह बताया जाना चाहिये कि गांव सभाओं का काम कैसे चलाया जाना चाहिये। इस प्रकार का प्रयोग बहुत से प्रदेशों में किया गया है। स्विट्जर लैन्ड में कंट्री कौंसिल्स को कैसे रन किया जाय इस बारे में पंचायतों का नया तरीका निकाला गया है। अगर उनको किसी स्थान की सफाई करनी होती है या नालियां बनानी होती हैं तो वे सब लोग एक चौरास्ते पर खड़े हो जाते हैं। उसमें खड़े होने का स्त्रियों को अधिकार नहीं है और लोग

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

हाथ उठाकर कह देते हैं कि ऐसा करो। इस तरह का हमारे यहां प्रबंध नहीं है। लेकिन हमें ऐसी योजना बना लेनी चाहिये कि हमारे जो यह सभापति और सरपंच हैं वे अपने काम की जिम्मेदारी समझ सकें और उनमें दलगत राजनीति को कोई स्थान न हो, जिससे हमारे गांवों का सुधार हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि यदि मैंने माननीय राजनारायण जी के बारे में कुछ अनुचित कह दिया हो। लेकिन आपके द्वारा मैं इतना अवश्य उनसे कहूंगा कि किसी एक गांव की हार जीत का गुस्सा उनको इतना नहीं होना चाहिये कि समूचे प्रदेश के ऊपर वे उसका दोष लाद दें और उसको बुरा बतायें।

श्री रामभजन (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किये गये अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यों तो हमारे प्रदेश ने बहुत से गौरवमय काम किये हैं परन्तु उन गौरवमय कामों में पंचायत राज की स्थापना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारी पंचायतों ने हमारे सारे देश के लिये अगुआ बन कर यह साबित कर दिया कि हमारा प्रदेश सारे देश में कितना प्रगतिशील है। आज जबकि हर तरफ डिसेंट्रेलाइजेशन की बात उठायी जा रही है तो इस से बढ़ कर और कोई चीज नहीं हो सकती कि हमारे वह ग्रामीण भाई जो छोटी-छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं उनको यह एक अवसर मिला कि वह अपने गांवों को स्वयं सुधारें और अपने न्याय के लिये पंचायतें बनायें और उनके द्वारा सारे अपने कार्य करें। यह हमारा बहुत बड़ा कार्य है क्योंकि यह ७२ हजार पंचायतों का काम है और छोटे से लेकर बड़ों तक सबने उन में हिस्सा लिया है।

यह मानी हुयी बात है कि हम अभी एक अनुभव के जमाने से गुजर रहे हैं, ज्यों-ज्यों उन में प्रगति होती जायगी और देश शिक्षा और राजनीति के मामलों में आगे बढ़ता जायगा त्यों-त्यों हमारी पंचायतों में भी काफी परिवर्तन और संशोधन होते जायेंगे लेकिन हमें अफसोस है कि हमारे विरोधी दल के सदस्यगण जो कि पंचायतों के बारे में वैसे तो इन्कार नहीं करते लेकिन पंचायतों के कामों के बारे में और उन के महत्वपूर्ण कामों के बारे में जैसे वह श्रमदान और टैक्स आदि के बारे में एक ही आवाज में मुखालफत करते हैं। हमारे देश में श्रमदान ने कितनी जनप्रियता प्राप्त की है और उसके द्वारा किस तरह से सड़कें कुयें, पंचायतघर आदि बनाये गये हैं और किस तरह से अनेक उपयोगी चीजों का निर्माण हुआ है और जो जागृति और उत्साह उस से पैदा हुआ है वह किसी से छिपी नहीं है। बल्कि विदेशी भी हमारे श्रमदान के उत्साह को देखकर आश्चर्य चकित होते हैं। पता नहीं कैसे इसके लिये हमारे विरोधी दल के भाई कहते हैं कि यह बेगार की चीज है। हमें यह समझना चाहिये कि हमें अपने देश का निर्माण करना है, देश को आगे बढ़ाना है तो यह कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देशवासी लोगों ने ग्राम पंचायतों के महत्व को समझा और जाना कि हमारे देश में इतनी शक्ति नहीं है और जब कि हम पिछड़े हुये हैं और देश को आगे बढ़ा सकने में असमर्थ हैं तो ऐसी दशा में श्रम ही हमारे यहां ऐसी चीज है जो बहुतायत में उपलब्ध है। जिस का उपयोग किया जाय तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं अभी हमारे उधर के माननीय सदस्य पंचायत टैक्स के बारे में विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि टैक्स नहीं लगना चाहिये, तो मैं उनको बता दूं कि पंचायतों का टैक्स क्या सरकारी खजाने में जाता है, जब ५ पैसा इकट्ठा होते हैं तो प्लानिंग विभाग और दूसरे लोगों से सहायता लेकर उससे वहां खरंजे, सड़कें, कुंए और रोशनी आदि का प्रबंध किया जाता है और उस से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बतला सकता हूं कि हमारे यहां गोमती के पुल के बनने का सवाल था जिस के लिये ६० हजार रुपये का तखमीना था, उसके लिये पंचायतों का टैक्स बाकी पड़ा था और हमने जनता से आग्रह किया और मांग की कि अगर टैक्स दिया जाय तो गोमती का पुल बन सकता है, तो जनता ने बड़ी तेजी से १२-१३ हजार रुपया

दिया और प्लानिंग और बोर्ड की सहायता से वह पुल ६० हजार रुपये की लागत से बनने जा रहा है। तो हमारे क्षेत्र का तो छोटा सा काम था इसी तरह से हमारे प्रदेश में बहुत बड़े-बड़े कार्य हो रहे हैं यह हमें नहीं भूलना चाहिये और यह मानी हुयी बात है कि पंचायतों में अभी बहुत त्रुटियां और कमजोरियां हैं लेकिन अभी वह हैं। क्या किया जाय ?

कहा जाता है कि हाथ उठाकर वोट देकर पंचायतें शुद्ध पंचायतें नहीं हो सकतीं। जिस वक्त यह संशोधन बिल आया था तो इस पर काफी वादविवाद हुआ था और सोचा गया था कि कोई हल निकल जाय लेकिन आप समझ सकते हैं कि बैलट बाक्स के लिये इतना पैसा सरकार नहीं ला सकती थी हालांकि हम समझते थे कि बैलट बाक्स के द्वारा ही कामयाबी से चुनाव हो सकते हैं लेकिन मजबूर होकर पैसे की कमी से यह फैसला हुआ वर्ना यह हाथ उठाकर पंचायतों का चुनाव न हुआ होता और पंचायतों में उस से शुद्धता आती और पार्टीबाजी आदि की नौबत न आती। हमें और हमारी सरकार को कोई रास्ता इस तरह का निकालना है जिससे हम पंचायतों का इलेक्शन निहायत खूबी के साथ कर सकें।

इसके बाद न्याय पंचायतों का प्रश्न है। जिस तरह से यह बात बहुत प्रसंशा के योग्य है कि किसी पार्टी ने खास कर हमारे दल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। हम जहां गये यह कहा कि सच्चे और न्याय प्रिय व्यक्तियों का चुनाव किया जाय, इस चीज का अच्छा प्रभाव पड़ा लेकिन जो न्याय पंचायतों के चुनाव के लिये कमेटी बनाई जा रही है जिसमें एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० को रक्खा जा रहा है यह ज्यादा अच्छी चीज नहीं होगी। जिस चीज को खत्म करने की कोशिश की थी ताकि वातावरण न बिगड़े और पक्षपात का दोषारोपण न लगे वह चीज हमारे ऊपर आयी जा रही है। इसके ऊपर भी बहुत कुछ सोचा गया है लेकिन उसका हल ढूंढने में नहीं आता। लेकिन यह मानी हुयी बात है कि एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० का हिस्सा लेना अच्छा नहीं होगा। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को मुकर्रर किया गया था। इसमें निष्पक्ष रहना चाहिये था क्योंकि एक-एक जगह के लिये ५-५ उम्मीदवार खड़े हुये। अगर एक कामयाब होता है और चार कामयाब नहीं होते हैं तो विषैला वातावरण पैदा होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई कोशिश होनी चाहिये जिससे कि हमारी पंचायतों का शुद्ध तरीके से इन्तजाम हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ हमें इस पर भी ध्यान देना है कि गांव समाज और गांव सभायें उनमें भी कमियां और त्रुटियां हैं। लेखपाल जो कि हमारी भूमि प्रबंधक कमेटी का सेक्रेटरी बना दिया गया है उससे हमारे गांव समाज की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं चल रही है और हमें यह दावे के साथ कहना होगा कि अक्सर लेखपाल बहुत सी मीटिंग्स में आकर शामिल नहीं होते। लेखपाल इस तरह की चीज है जो गांव समाज के भोले भाले सभापतियों को चकमा दे कर अपना उल्लू सीधा करता है। इस तरह की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा गांव समाजों के जरिये परती भूमि के इंतजाम का सवाल पैदा होता है। इस बात से तो मैं खुश हूं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में गांव समाजों ने काफी परती जमीनें तोड़ कर और काफी दिलचस्पी लेकर खाद्य समस्या को हल किया लेकिन एक चरागाह की समस्या है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिये। गांव समाज की परती जमीन जो बड़ी तेजी से तोड़ी जा रही है। अगर सरकार उसकी रक्षा नहीं कर पाती तो हम पशुधन का अच्छी तरह से बन्दोबस्त नहीं कर सकते। ये ऐसी बातें हैं जिन पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिये। मैं अपने विरोधी दल के सदस्यों से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वे जनहित के कार्यों में अपनी जो राय दें, व्यवस्था दें, वह ठीक तरीके से दें। खास कर मुझे राजनारायण जी से यह कहना है कि जिस वक्त वे विरोधी दल के नेता थे उस वक्त में वे इस किस्म की बातें करते थे तो वे बड़ी भद्दी मालूम होती थीं लेकिन वहां से हट जाने के बाद हम अब उसकी ज्यादा परवा नहीं करते। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि हमें अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है, तो सच्चाई और ईमानदारी का वातावरण पैदा करना है उनसे—जिससे पंचायतें अच्छी तरह से अपना काम कर सकें।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उमाशंकर जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रक्खा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज जो पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं जिस तरह से वे हो रहे हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो लोग इलेक्शन में आ रहे हैं वे वही आ रहे हैं जिनके पास लाठी है, जिनके पास बल है। एक-एक जगह पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ के पक्ष वाले जितने सदस्य खड़े होने वाले हैं एक-एक तरफ के पर्चे खरीद लेते हैं। एक साहब ने २८ सदस्य के पर्चे अपने लिये खरीद लिये। एक साहब जो प्रधान के पद के लिये खड़े होने वाले थे एक पक्ष के पर्चे उसने खरीदे दोनों तरफ से आपस में बड़ी सरगर्मी चल रही है और हुल्लड़बाजी चल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पंचायतें जिस मंशा से बनायी गयी थीं वह मंशा बुरी नहीं। पंचायतें गांव का उत्थान करेंगी, गांव की तरक्की करेंगी, भलाई करेंगी, लेकिन वह हुआ नहीं। बिलकुल उसके उल्टा हुआ। न्याय पंचायतें गांव में इसलिये स्थापित की गयीं कि गांवों के लोगों को जो वहां के बसने वाले हैं, उनको सच्चा और सस्ता न्याय मिले लेकिन वह भी उल्टा हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सामने यह बतलाना चाहता हूं कि गांवों में जो आठ वर्ष पहले गांव सभायें बनी थीं, उनसे सारे गांव के लोग ऊब गये उनका परिवर्तन बहुत पहले चाहते थे गांव पंचायतों ने दुरुपयोग किया वहां के गांव के प्रधान थे, जो कि भूतपूर्व जमींदार थे, उन्होंने गांव की जो लावारिस जमीन थी उसको अपने खानदान में किसी न किसी के नाम से, या सभापतियों ने अपने खानदान के नाम से या लेखपालों ने अपने खानदान के नाम में करा लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने के एक बात उदाहरण स्वरूप रखता हूं। एक शाहपुर उच्च की पट्टी गांव है। उस गांव का जो प्रधान है उसने उस गांव में जो लावारिस जमीन थी करीब-करीब आठ-दस एकड़ उस जर्मन को उसने क्या किया। उसके एक लड़का था। उसके यहां एक बार डाका पड़ा और वह लड़का उसमें मारा गया। उसकी औरत जो मुसम्मात है, उसको कुछ रुपया पेंशन मिलता है। उसके नाम से उसने पांच एकड़ जमीन उस जमीन में से करा दिया, और औरत ने दूसरा शौहर कर लिया है। फिर भी उसी के नाम से वह जमीन है और लेखपाल ने अपने साले के लड़के के नाम जमीन करा ली। उप सभापति ने अपने भानजे के नाम से कुछ जमीन उसमें से करा ली। इस तरह से गांव समाज की सम्पत्ति हड़प ली जा रही है।

इसी तरह से एक लाला छपरा ग्राम सभा है। वहां के सभापति के पास ३६ सौ रुपया कई वर्षों का गांव के बाजार के नीलाम का था। वह उस ३६ सौ रुपये से अपना रोजगार करता था। उस पर गांव के लोगों ने एतराज किया। मैं भी वहां गया और और उस मामले में लिखा-पढ़ी हुयी। उसने १८ सौ रुपये ले आकर के तहसील में जमा किया और अठारह सौ रुपये का उसने एक कच्चा चिट्ठा बनाकर के दे दिया कि मैंने इतना खर्चा किया है। उसमें ऊपर से डाइरेक्टर साहब के यहां इन्क्वायरी गयी। इन्सपेक्टर ने जो इंक्वायरी की उसमें १५ आइटमों में गलती पायी गयी। उसने ३६ रु० का पाल खरीद दिखाया जो कि बिलकुल गलत था। उसने उसकी रसीद अपने लड़के के नाम से बनवा दी थी। फिर ४५ रु० ६ आने का माल उसी साल में खरीद दिखाया जो कि गलत था। ६३ रु० खजाने में दाखिल करने की रसीद दी वह बिलकुल जाली थी। इस तरह से १५ आइटम गलत मिले। तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि गांव समाज का संगठन जिस मंशा से माननीय मंत्री जी ने किया था और गांवों में जो पंचायतें बनायी थीं वह मंशा पूरी नहीं हो रही है। माननीय मंत्री जी ने गांव पंचायतों को जो टैक्स लगाने का अधिकार दिया है। वह टैक्स गांव के लोगों को इकट्ठा करके, गांव के लोगों की राय लेकर, कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया। बल्कि सेक्रेटरी ने अपने कागज में, अपने रजिस्टर प्रस्ताव में टैक्स दर्ज दिया। इस प्रकार जो टैक्स लगाया जाता है उससे गांव में एक प्रकार का विद्रोह फैल जाता है। तो माननीय मंत्री जी ने जो टैक्स लगाने का उनको अधिकार दिया है अगर वह न होता और माननीय मंत्री जी यह करते कि गांव का जो लगान है वह गांव पंचायतों को वसूल करने के लिये दे देते और उस वसूली का एक-बटे चार हिस्सा उस गांव को देते तो वह अपना हिस्सा पा करके अपने गांव की हर तरह से तरक्की कर सकते

लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टैक्स लगाने से गांव में नाना प्रकार के कलह हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहता हूं आपके द्वारा कि उन न्याय पंचायतों को जो अधिकार दिये गये उन अधिकारों द्वारा न्याय पंचायतों की क्या हालत हुयी। पक्षपात पूर्ण निर्णय हुये जिसकी निगरानी होती है। उसमें भी उनको सही-सही न्याय नहीं मिलते। वह भी आगे जा करके अपने रजिस्टर में बदल देते हैं और दाखिल भी कर देते हैं। इस तरह के कई मामले पाये गये, लोगों को बदलते हुये जिसमें सजा हुई है तो मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि गांव का जो संगठन है वह सही तरीके से नहीं हो रहा है। चुनाव सही तरीके से होना चाहिये वह नहीं हो रहा है उसमें वही लोग आ रहे हैं जो बड़े-बड़े जमींदार थे, लठैत हैं, जो जोरदार हैं, वही प्रधान बनने पर उतारू हैं और बन भी जाते हैं।

श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्वायत्त शासन मंत्री जी ने ग्रान्ट पेश की है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं वह एक बहुत बड़ा काम था और उसको सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिये सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को यह भी समझना पड़ेगा कि जगह ब जगह चुनाव में इर्रेगुलेरीटीज़ अवश्य हुयी हैं और उनकी ओर सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिये जिससे कि आइन्दा ऐसी चीजें न हों। मैं अपने जिले की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के सम्बन्ध में ऐसा हुआ कि जो मतदाताओं की सूची थी कहीं कहीं पर उनके पृष्ठों को गायब कर दिया जिससे जो व्यक्ति पंचायत का इलेक्शन कन्टेस्ट करना चाहते थे उनको अवसर नहीं मिला। कहीं-कहीं पर यह शिकायतें हुयीं कि कुछ संख्या थी जिन्होंने वोट दिया था लेकिन उनको काट करके कुछ कर दिया गया और इस प्रकार से गलत तरीके से जो उम्मीदवार हार चुके थे उनको जिताया गया। कहीं-कहीं ऐसी शिकायतें हुयीं कि उम्मीदवारों को यह बताया गया कि अभी पर्चा दाखिल करने के लिये समय बाकी है ४ बजे तक पर्चे लिये जायेंगे, लेकिन जब ४ बजे का समय आया तो यह कह दिया कि समय समाप्त हो चुका। तो यह शिकायतें हमारे जिले में रहीं। व्यक्तिगत मामलों में लोगों ने इलेक्शन पेटीशन फाइल कर दी है लेकिन फिर भी मैं सरकार का ध्यान अवश्य दिलाऊंगा कि यह चीजें नहीं होनी चाहिये। और जहां-जहां के चुनाव अधिकरियों ने इस प्रकार की चीजें की हैं उनके खिलाफ कम से कम विभागीय ऐक्शन लिया जाना चाहिये।

दूसरी चीज़ प्रधानों के चुनाव के बारे में यह कहनी है कि जहां पर जो व्यक्ति प्रभावशाली था उसने अपने प्रभाव से गलत तरीके से वोटों को डलवाया, लोगों को स्वतंत्र राय देने से रोका गया। तो भविष्य के लिये यह एक बात सोचनी पड़ेगी, जिससे हर एक मतदाता को अपने मत स्वतंत्र रूप से देने का अधिकार हो। ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी।

अब मैं सरकार का ध्यान अदालती पंचायतों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल में ही सरकार की ओर से आदेश गये थे उसमें अदालती पंचायतों के पंचों की योग्यता के लिये यह रखा गया था कि जो व्यक्ति हिन्दी पढ़ा लिखा हो और जिनकी उम्र ३० साल या अधिक हो वही अदालती पंच हो सकेगा। तो इस सम्बन्ध में मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो देहात की रहनेवाली जनता है उनमें अभी तक शिक्षा का प्रचार बहुत कम है जिसकी वजह से हमारे जो नये-नये जवान हैं वही पढ़े-लिखे अधिकतर मिलेंगे और जो उम्र रखी गयी है उस उम्र के अथवा उससे अधिक उम्र के मनुष्यों का उचित संख्या में मिलना कुछ दुर्लभ सा होगा। विशेष तौर पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की तरफ दिलाऊंगा कि यदि ३० साल की उम्र रहती है तो शायद अनुसूचित जातियों में से कोई भी आदमी अदालत पंचायतों के लिये उचित न मिलेगा और यदि कुछ मिल भी जायेंगे तो बहुत कम संख्या में। तो इस तरफ अवश्य सरकार का ध्यान जाना चाहिये। उसमें कोई भी उम्र का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये और इस नियम में संशोधन होना चाहिये। साथ ही साथ जो अदालतीं पंचायतों का चुनाव होने जा रहा है। तो उस सम्बन्ध में वैसे तो

[श्री पुत्तूलाल]

मैं भी इस राय का हूं कि जहां तक हो हम लोगों को उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिये, लेकिन अगर हम लोगों को हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम जिले के हरिजन मेम्बर को हरएक सेलेक्शन बोर्ड में रहने का मौका दिया जाय जिससे कि वह हरिजनों के अधिकारों का खयाल रख सके। तीसरी चीज जब कि पंचायत राज ऐक्ट का संशोधन हो रहा था उस समय सरकार की ओर से कुछ हमें आश्वासन दिये गये थे, सरकार का ध्यान उस तरफ मैं आकर्षित करना चाहता हूं। उस समय जो माननीय मुख्य मंत्री थे, जो स्वायत्त शासन मंत्री थे, तो अदालती पंचायतों में संरक्षण की बात हुयी थी उस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय की तरफ से यह आश्वासन दिलाया गया था कि फी पांच व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हरिजन होगा लेकिन जो नियम बनकर गये हैं उनमें देखने से पता लगा कि शायद कोई ऐसा प्राविजन उसके लिये नहीं रखा गया है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करूंगा कि आपके पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार जो अदालती पंच होंगे वह पब्लिक सर्वेन्ट होंगे और उसी प्रकार के जिस प्रकार के कि आई० पी० सी० की २१ वीं धारा के अनुसार होते हैं। पब्लिक सर्वेन्ट का काम पब्लिक की सेवा करने का होता है। संविधान के अनुच्छेद ३३५ के अनुसार हमारे दावों को सुरक्षित कर दिया गया है और साथ ही साथ जो १६ वां अनुच्छेद है उसके द्वारा इस सरकार को पूरा-पूरा अधिकार है कि जितनी संख्या में चाहे उतनी संख्या में पिछड़ी हुयी तथा अनुसूचित जातियों को रखा जा सकता है। तो सरकार का अवश्य इस तरफ ध्यान जाना चाहिये। एक अच्छी संख्या में अदालती पंचों का चुनाव अनुसूचित जातियों में से भी होना आवश्यक है। तीसरी चीज जो मैं लेना चाहता हूं वह पंचायत टैक्स के बारे में है। पिछली जो पंचायतें थीं उन्होंने, मैं तो यह कहूंगा, कि अधिक तर मामलों में उनको पार्टीबन्दी का अखाड़ा बना दिया था और उस पार्टीबन्दी की रंजिश को अधिक टैक्स लगाकर निकालने की बात सोची गई थी तो बहुतेरे टैक्स लगाये गये हैं नाजायज तरीके से और साथ ही में चार-चार, पांच-पांच साल का टैक्स देने को बाकी भी है। तो इसमें काफी तादाद में रेमीशन होना चाहिये और पिछला जो टैक्स हो उसमें छूट देकर के उसको वसूल करना चाहिये साथ ही साथ कम से कम अब जो अगली पंचायतें बनी हैं इनके लिये स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट आर्डर्स होने चाहिये कि वह सोच समझ कर कर लगावें और वह उसको समय पर ही वसूल कर लें। अधिक समय तक पड़े रहने से एकदम जब देना पड़ता है तो हमारी निर्धन जनता जो गांवों में रहने वाली है, उसको बड़ी कठिनाई होती है, वह किसी प्रकार से सारे कर को एकदम नहीं चुका सकती।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि जो आज हमारे प्रदेश में पंचायतों के चुनाव का प्रजातांत्रिक प्रयोगात्मक काम हो रहा है उसके प्रति हमारे देश के और हिस्सों की निगाह भी काफी लगी हुयी है। हमें इस बात को कहते हुये गर्व होता है कि पिछले चुनाव के बाद से अब तक के अनुभव के आधार पर हमारे प्रदेश में जो चुनाव इस बार हुये उनमें बहुत बड़ी संख्या निर्विरोध चुनावों की रही। दूसरे जहां पर चुनाव भी हुये उनमें भी अधिकांश जगहों से ऐसे प्रोग्रेसिव एलीमेंट्स चुन करके आये जिनसे कि इस बात का भी विश्वास बंधा कि यहां की जनता-प्रजातांत्रिक प्रणाली में कांग्रेस ने जो अपनी नीति बनायी है उसके प्रति दृढ़ आस्था और विश्वास रखती है। इससे हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो प्रयोग हम अपने प्रदेश के लाखों गांवों में बसे हुये निवासियों की नव रचना के लिये करने जा रहे हैं उनमें पंचायतों का बहुत बड़ा स्थान है। ऐसे समय पर जब कि हम अपने प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सफल होने का दृढ़ संकल्प कर रहे हैं हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम अपने इन पंचायतों और ग्राम सभाओं को हर प्रकार से विकसित होने का पूरा-पूरा मौका दें और जिन स्थानों पर समाज विरोधी तत्व अभी तक उस तरह के स्वप्न देख रहे हैं जिनसे हमारे विरोधियों और विरोधी दल के मित्रों को कुछ ऐसे उदाहरण देने का मौका मिलता है कि जिन हमारे पंचायत राज्य के नवसंगठन और आगामी विकास के कार्यों को धक्का पहुंचे, इसमें क नहीं है कि उन समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की

भी योजना होनी चाहिये । पिछले दिनों जो चुनाव हमारे प्रदेश में हुये उसके लिये हमें किसी तरह की शर्म, निन्दा और अफसोस की बात नहीं मालूम होती बल्कि हमें इस बात पर गर्व होना चाहिये कि इतना बड़ा चुनाव, इतने कम खर्च में, इतने शांतिमय ढंग से और इतने प्रोग्रेसिव विचार के लोगों का चुनाव सफलतापूर्वक कराने वाला हुआ जिससे हम सब को प्रजातांत्रिक कार्यों में अपना दृढ़विश्वास प्रकट करने का मौका मिला है लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ स्थानों में शिकायतें चुनाव अधिकारियों के विरुद्ध की गयी हैं और हम आशा करते हैं कि प्रान्त का पंचायत राज विभाग उच्चाधिकारियों को उन शिकायतों पर बहुत गम्भीरतापूर्वक छानबीन कराने और दोषी पाये हुये लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का तुरन्त अविलम्ब प्रयास करेंगे। ताकि आगे के लिये कभी भी इस तरह के समाजविरोधी तत्वों को गैरकानूनी, अवांछनीय और बेईमानी का काम करने का किसी तरह से मौका न मिल सके। हम इस बात के लिये अपने मित्रों को आश्वासन देते हैं कि हमारे जिले में ही नहीं प्रदेश के कई जिलों में ऐसे वाकयात होने की शिकायतें पंचायत राज विभाग के पास भी आयी हैं और उन पर विभाग की ओर से छानबीन भी हो रही है। इसलिये हमें विभाग के अधिकारियों पर कोई इस बात की शंका या शिकायत होने की बात नहीं है लेकिन जैसा कि लालफीताशाही का दुष्परिणाम हम सबको अनुभव होता है, उससे इस बात की शंका हो सकती है कि हमारे गांव के उन निवासियों को जिनकी प्रजातंत्र में पूरे तौर से आस्था है उनके विश्वास में किसी तरह का व्याघात न पहुंचने पावे और जो अब भी ग्राम समाज के निर्माण के काम में समाजविरोधी तत्व अड़ंगा डालने की स्पष्ट या अस्पष्ट कार्यवाही कर रहे हैं उनका सख्ती के साथ दमन भी किया जा सके । अभी हमारे मित्र राजनारायण जी ने एक धमकी दी जिसे सुनकर हम लोगों को ताज्जुब हुआ कि वे प्रजातंत्र के हामी हैं और वे एक कानून बना चुके हैं कि हर पंचायतों को अपने समाज के अन्दर रहने वाले निवासियों पर टैक्स लगाने का अधिकार होगा और कोई पंचायत यह फैसला कर ले कि वह अपने गांव में टैक्स नहीं लगाती वहां अगर सरकार टैक्स लगाने की कार्यवाही करेगी तो वहां शांति भंग हो जायगी। वे ऐसा कहते हैं तो मैं समझता हूं कि वे अपने को और गांव सभाओं के सदस्यों को धोके में रखना चाहते हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिये कि जनता के हित में जहां-जहां भी और जब-जब भी टैक्स लगाने की जरूरत हुयी है तब-तब किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार को इस कष्टमय कार्य को जनहित में करना ही पड़ा है। और इस तरह आगे भी जरूरत पड़े तो करना ही चाहिये यह हमारा सब का स्पष्ट मत होना है तभी हमें प्रजातंत्र प्रणाली के अनुसार कार्य करना सम्भव हो सकता है ।

एक और बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मंत्रीगण जो पंचायत राज की तरफ से नियुक्त हुये हैं उनके वेतन की अदायगी की व्यवस्था अब भी समुचित ढंग से नहीं हो पायी है । जितने भी पंचायत राज के कर्मचारी, खासतौर से सेक्रेटरी जो आपके विभाग के अधीन नियुक्त हुये हैं उन सब का वेतन ठीक समय पर हर माह मिलता रहे इस बात की व्यवस्था रखना निहायत जरूरी है ।

अदालती पंचायतों के सम्बन्ध में भी मेरा यह सुझाव है कि जो पिछले दिनों शिकायतें आयी हैं उनके सम्बन्ध में अगर पूरी छानबीन कर ली गयी होती और गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की गयी होती तो इस तरह की शिकायतें नहीं होतीं । मुझे विश्वास है कि अब अदालती पंचायतों के कार्यों पर भी पूरी निगहबानी रखी जायगी और जिस वक्त ऐसी शिकायतें उनके सम्बन्ध में आयेंगी तो पंचायत राज के अधिकारीगण सब से पहले ध्यान दे कर उनको जन्मते ही दमन करने की व्यवस्था करेंगे ताकि दूसरे लोगों की न्याय पंचायतों पर और गांव सभाओं पर आस्था बनी रह सके। मुझे विश्वास है कि सरकार इन सब चीजों की रचनात्मक ढंग से व्यवस्था करेगी ।

श्री शारदाबख्श सिंह (जिला हरदोई)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख प्रस्तुत अनुदान के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका बल पूर्वक समर्थन करता हूं। पंचायत व्यवस्था भारत देश की एक अमूल्य निधि है । यह हम सब जानते हैं कि इस पंचायत व्यवस्था की कल्पना जो आज इस देश के जन-जन के हृदय में है वह संसार

[श्री शारदा बख्श सिंह]

के अन्य किसी देश में जो अर्थ प्रधान हैं पाना सम्भव नहीं है। पंच परमेश्वर, यह जो हमारी पुरानी कल्पना है और जिसके आधार पर आज हम उस पंचायत व्यवस्था को श्रद्धा के साथ इस देश में उपस्थित करना चाहते हैं, वह यह सरकार उपस्थित कर सकेगी इसमें मुझे बहुत सन्देह है। हम समझते हैं कि पंचायत व्यवस्था इस देश में उत्पन्न होनी चाहिये और उसके अनुसार गांवों में दलगत स्वार्थों को छोड़ कर, दलबन्दी के ऊपर उठ कर निःस्वार्थ भाव से शुद्ध वातावरण में बैठ कर गांव की समस्याओं पर विचार करना चाहिये और उनका हल निकाल लेना चाहिये, यह सब की इच्छा है। परन्तु जब यह व्यवस्था इस सरकार द्वारा इस प्रान्त में प्रस्थापन करने की बात कही गयी उसी समय से विशेषकर भारतीय जन संघ दल को यह संदेह था कि कहीं वह व्यवस्था जो इस देश को एक अमूल्य निधि है इस सरकार के हाथों में पड़ कर अश्रद्धा का पात्र न बन जाय। हम जिस उद्देश्य से इस व्यवस्था को लाना चाहते हैं उस उद्देश्य से हट कर कहीं दूसरी बात न बना बैठें। यह सरकार इस व्यवस्था के शरीर को तो समझी लेकिन आत्मा को भूल गयी। हम मनुष्य बनाने चले लेकिन बना गये बन्दर। ऐसी एक कल्पना आज अपने सामने आती है। मुझे ऐसा याद आता है कि एक बार एक प्रोफेसर थे। वे कीटाणु पर अन्वेषण कर रहे थे।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—मैं आपके जरिये यह पूछना चाहता हूं कि इस हाउस में बन्दर बनाया जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो एक मुहाविरा है।

श्री शारदा बख्श सिंह—मैं समझता हूं कि बन्दर को समझने के लिये अगर एक आइना मोल ले लिया जाय तो जल्दी समझ में आ सकता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य को आपकी तरफ मुंह करके बोलना चाहिये न कि पीठ करके।

श्री शारदा बख्श सिंह—तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहा था कि एक प्रोफेसर साहब कीटाणु का अन्वेषण कर रहे थे। एक दिन जब वे खाना खाने गये तो विद्यार्थियों को एक मजाक सूझा। वहां बगकीड़ा देखा जा रहा था उन लोगों ने दूसरे कीटाणु के पैर गोंद से चिपका कर रख दिया और प्रोफेसर साहब से पूछा कि आप बतलाइये कि यह कौन सा कीड़ा है। उसने उस पर काफी विचार किया और कहा कि यह कोई कीड़ा नहीं है बल्कि यह तो हनबग है। इसी तरह से ऐसा लगता है कि पंचायतराज को क्या बनाने चले थे और क्या बना गये।

आज जो पंचायतों का निर्वाचन हुआ है उससे मैं यह कह सकता हूं कि गांवों में जनतंत्रीय पद्धति पर लोगों को निराशा सी उत्पन्न हुयी है। हमारे गांवों में मुझे मालूम है कि एक गाना बना है जिसका पहला शीर्षक है 'वोटों से जीते नोटों से हारे'। जहां चुनाव हुये हैं वहां बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और यह प्रत्येक सदस्य जानता है कि गांवों मे लोगों ने वोट किसी और को दिया और दूसरा आदमी जीत गया। हाथ उठाकर चुनाव होने से कोई ऐसी बात तो होती नहीं है जिसको बाद को देखा जा सके। इसलिये रिटर्निंग आफिसर ने जिसे चाहा उसको जिता दिया। गांव के लोग जो चुनाव के फल से दूर रहा करते थे जब उन्होंने अपने गांव में बेईमानी देखी तो उनको जनतंत्र पर अश्रद्धा ही नहीं हुयी बल्कि वह यह सोचने लगे कि चुनाव के जीतने के लिये सेवा नहीं बल्कि तिकड़म चाहिये और वह भी सोच रहे हैं कि अगले चुनाव को किस प्रकार से जीता जाय ? यह जनतंत्र के लिये अपमानजनक बात है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है कि मेरे जिले में ही २००-३०० भ्रष्टाचार के केसेज हैं जो परगना अधिकारी को दिये गये हैं कि यह देखें कि किस ने बेईमानी की और उसको क्या सजा दी जाय ?

इन बातों को देखते हुये मैं कहूंगा कि इस चुनाव पद्धति को परिवर्तित किया जाय। इस सम्बन्ध में भारतीय जनसंघ ने घोषणा की है और उस पर विचार करना होगा। यदि प्राचीन

पंचायत व्यवस्था को लाना चाहते हों तो इस बात को तय करना है कि इसके चुनाव सर्व सम्मत्ति से होने चाहिये। लोग कहेंगे कि यह कैसे सम्भव होगा। अगर सर्वदल मिलकर ऐसा वातावरण उत्पन्न करें तो कोई कठिन बात नहीं है। हमें अनुभव है कि १५-२० गांवों में मेरे द्वारा ऐसा वातावरण उत्पन्न किया गया है कि चुनाव कटुता से न लड़े जायं और सब एक साथ बैठ कर निश्चय करें और पंचायत बनायें और इसके फलस्वरूप वहां पर सर्वसम्मत्ति से पंचायत बनायी गयी और कोई कटुता या द्वेष वहां नहीं है और लोग मिल कर अपने गांवों की प्रगति के लिये कार्य कर रहे हैं।

इसलिये पंचायतराज की सफलता की कसौटी यह है कि सर्व सम्मति से चुने जाने की व्यवस्था देकर प्रयत्न किया जाय कि लोगों में ईमानदार आदमी को चुनने की प्रवृत्ति पैदा हो। अगर सरकार यह क्रांतिकारी कदम उठाने के लिये तैयार हो जाय तो पंचायतराज में जरूर आये दिन परिवर्तन दिखायी पड़ेगा।

श्री सुरुजूराम (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम श्रीमान् को धन्यवाद देता हूं कि आपने सबसे पहले मुझे हाउस में बोलने का अवसर दिया। यह जो अनुदान पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। गांव पंचायत में जो आजकल चुनाव हो रहें और खास तौर से जो हमारे जिले में हो रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अक्सर हम देख रहे हैं कि जो हमारे जिले के अन्दर पहले के जमींदार रहे हैं या पुलिस के कुछ दलाल रहे हैं, इस किस्म के आदमी सरकारी कर्मचारियों से मिल कर गांव की पंचायतों के चुनाव में अड़चन पैदाकर रहे हैं। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि पंचायत के सेक्रटरी और इंस्पेक्टर वहां की पार्टीबाजी में काफी हिस्सा ले रहे हैं। कहीं ऐसा भी हुआ है कि चुनाव का एक समय निश्चित किया गया लेकिन जो आदमी चुनाव में खड़े होना चाहते थे उनको पर्चा नहीं दिया गया। कहीं-कहीं उनको गलत इत्तला दी गयी। यह कह दिया गया कि अभी पर्चा नहीं दिया जायगा और बाद में पर्चा नहीं दिया गया। कहीं घड़ी का तरीका रखा गया और कहा गया कि ३ बजे तक फलां तारीख को पर्चा लिया जायगा लेकिन जब वे पर्चा जमा करने आये तो उनको कह दिया गया कि अब तो तीन बज गया है, समय खत्म हो गया, पर्चा नहीं लिया जायगा। देहात में घड़ी तो है नहीं। तो इस तरह की शिकायतें देखने में आयी हैं। एक आध गांव सभा में एक ही आदमी को पर्चा दिया गया और बाकी लोगों को चुनाव की इत्तला भी नहीं दी गयी कि यहां पर्चा बिक रहा है या दाखिल किया जा रहा है। इस तरह की हमारे जिले में गड़बड़ी हुयी है और चुनाव ठीक से नहीं हो पाये हैं। बहुत जगह जहां काफी पर्चे दाखिल हुये वहां चुनाव के वक्त नाजायज दबाव डाला गया है और जो लोग खुशी से एक आदमी को वोट देना चाहते थे और यह चाहते थे कि यह ईमानदार आदमी है इसको ही वोट मिलना चाहिये, वहां पर लाठी से या दूसरे तरीकों को इस्तेमाल करके, मारपीट से या डरा धमका कर उनको दूसरी तरफ वोट देने पर मजबूर किया गया। कई जगह मारपीट की नौबत आयी और वहां फौजदारी और बलवा आदि भी हुआ, जैसा कि आप लोगों को समाचारचार पत्रों के पढ़ने से मालूम हुआ होगा।

महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि देश की ८० फीसदी जनता गांवों में रहती है और इसलिये उनका पहले सुधार होना चाहिये। जो हमारी पुरानी पंचायतें हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिये, लेकिन आज हमें अपने देहात का नकशा उलटा दिखाई देता है। हम जो स्वप्न देखते थे उसकी जगह आज देहात में पार्टीबन्दी का एक बड़ा गंदा दलदल पैदा हो गया है और हर जगह मारपीट और दुश्मनी की नौबत आ गयी है। तो वह नकशा जो हम अपने स्वप्न में खींचते थे बिल्कुल गलत हो गया है और यह गड़बड़ी पड़ गयी है उनसे कि जो सरकार की तरफ से प्रबंध वहां हुआ है, या जो कार्य वहां हुये हैं। पहला चुनाव जो हुआ था गांवों में उसमें मैंने देखा था कि सरकारी आदमियों ने निष्पक्षता से काम लिया था। उनका गांव में किसी से सम्बन्ध नहीं था लेकिन यह जो दूसरा चुनाव हुआ है उसमें अधिकारियों ने अपने किसी न किसी साथी का दल का या उसका जिसका वह पक्ष करते थे साथ दिया है, उनकी सहायता की है और जितनी सरकारी मदद उनको

[श्री सुरुज राम]

संभव हो सकती थी देने की कोशिश की है। अक्सर मैंने देखा है कि जहां पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं और उनमें जो उम्मीदवार होते हैं उनको धोखा देने की कोशिश की गयी है। उनकी मदद ठीक से नहीं की गयी है, उनको यह बताया गया कि फलां दिन चुनाव का पर्चा दाखिल होगा और वह दिन एक दिन बाद का बता दिया गया और जब वह पहुंचें तो उसको पता चला कि एक दिन पहले ही पर्चा दाखिल हो गया है। यह इसलिये किया गया ताकि वह पर्चा दाखिल न कर सकें। कई जगह पर्चा प्रधान ने ले लिया और बाकी लोगों को बताया नहीं। जहां सुरक्षित सीटें हरिजनों की थीं वहां उनकी जितनी आबादी थी उसको घटा कर लिखाया गया और जो अल्पसंख्यक थे उनकी आबादी ज्यादा लिखा दी गयी। नतीजा यह हुआ कि जो अल्पसंख्यक थे वह बहुमत में हो गये। मैं प्लानिंग अफसर से वहां मिला, मैं आजमगढ़ की बात कह रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि अब तो पिटीशन से ही काम हो सकता है। उन लोगों से आप पिटीशन दाखिल करा दीजिये और उसका जो फैसला होगा उसके मुताबिक हम काम करेंगे। हमारी यह हिदायत है कि ठीक तरह से और ईमानदारी से काम किया जाय चुनाव में। लेकिन आप सोचिये कि एक गरीब आदमी जो ईमानदार है वह अगर खड़ा होता है और चाहता है कि हम गांव को ठीक तरह से रखें, बना दें और वह एक उसूल ले कर आता है तो उसको आप मौका न दे कर उसको पिटीशन लड़ायें तो चुनाव में आना एक मुश्किल सा काम उसके लिये मालूम होता है। तो ऐसे आदमी मुमकिन है कि सेवा करने से वंचित हो जायं। तो मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इसके लिये कोई उपाय अवश्य करें।

दूसरी चीज यह है कि अदालती पंचायतों के लिये जैसे नामिनेशन होने वाला है उसके लिये एक कमेटी बनेगी। तो उसमें भी सरकार की तरफ विशेष खयाल होना चाहिये। क्योंकि नामिनेशन जो होगा उसमें भी शिकायत अक्सर होती रहती है। जो पहुंचने वाले आदमी हैं वह हर जगह पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे और पहुंच कर कुछ नाम पैदा करके, कुछ नाजायज तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं, वह इस तरह से जरूर उठायेंगे और कोशिश करके अपना नाम अदालत पंचायती में करा लेंगे।

श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे इस उपस्थित अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जिस स्वराज्य को राष्ट्र पिता ने हमें दिया और जिसके कई पहलू हमारे सामने हैं वह सबके लिये हैं। उसमें यदि हमारे कुछ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंच कर स्वतंत्रता का सुख अनुभव करते हैं, तो कुछ भाई प्रान्तीय सरकार के अन्दर आकर सुख का अनुभव करते हैं, चाहे उसे हम सुख कहें अथवा कर्तव्य परायणता कहें। और इसी किस्म से जो स्वराज्य की स्थापना में भावना देश के लिये और ग्रामीण जनता के लिये रखी गयी है वह एकमात्र पंचायत राज की स्थापना में ही सफल होती है। थोड़ी ही सही स्वराज्य की झलक अगर जन साधारण और ग्रामीण जनता देखती है तो पंचायत की स्थापना में ही वह है। गांव के लोगों ने देखा कि अब कुछ थोड़ी सत्ता हमको मिली है जिसके आधार पर हम अपने गांवों में कुछ सुधार कर सकते हैं। इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं। कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनको ही जब आलोचना करने का अवसर मिलता है तो फिर विरोधियों का तो कहना ही क्या है। जो भाई विरोध की भावना से ही विरोध करते हैं वह अच्छी से अच्छी वस्तु क्यों न हो उसमें भी उनको कुछ न कुछ त्रुटि मिलती है। लेकिन यदि कोई गिरी हुयी भी वस्तु है और अगर उसको अच्छी भावना से देखा जाय तो उसमें भी अच्छी बात ही दीखती है। ऐसी अवस्था में हमारे पंचायत राज को जो शकल है उसमें गो बहुत ही त्रुटियां हैं, फिर भी जिस प्रकार की परिस्थिति में यह पंचायत राज चल रहा है उसमें जो कुछ भी उसने तरक्की की है वह एक प्रकार से सराहनीय ही है। हम देखते हैं कि उसमें २, ४ त्रुटियां ऐसी हमारे सामने हैं जिनको मैं सुझाव देने के खातिर सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। एक यह है कि गांवों के अन्दर स्वराज्य की सत्ता अब जनता के हाथ में आ रही है, देख कर जनता यह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अधिकार हमारे हाथ में आजायं और हम उसके

ऊपर यानी गांव वालों के ऊपर इस प्रकार से शासन करें। इसमें सेवाभाव की भावना जो है वह कम है। शासन करने की भावना अधिक है और उसके लिये उनकी तड़प है। अभी यहां पर भ्रष्टाचार की बात कही गयी। मैं ऐसा सोचता हूं कि यदि गांधी जी की सेवा भावना उनमें आ जाती तो शायद यह भावना पैदा नहीं होती, लेकिन आज वृक्षों के बेचने में, तालाबों की मछली बेचने में, खर और पतवार बेचने में और जमीन के उठा देने में पंचायत के लोगों में निजी लाभ का कुछ लोभ आ जाता है। इसलिये हर एक चालाक आदमी और खासकर वह तबका जिसने अपनी जमींदारी को खो दिया है यह चाहता है कि हम फिर आयें और येन केन प्रकारेण इस स्वराज्य के अन्दर, पंचायतों के अन्दर गांव में अपना वही प्रभाव कायम करें जो सन् १९५२ के पहले था। इस वर्ष के पंचायत के चुनावों में ऐसे लोगों ने गुन्डागर्दी से काम लिया, बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुयी। यह बड़ी भारी त्रुटि हुई है। इसकी तरफ हमारे जनसेवकों का, संसद् के सदस्यों और असेम्बली के सदस्यों का, सब का ध्यान जाना चाहिये और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये कि इस चीज का निराकरण भविष्य में किसी प्रकार से किया जाय।

दूसरी बात यह है कि पहले जब हमने ग्राम सुधार की योजना रक्खी थी तो हमने गांवों में सफाई के लिये विशेष ध्यान रक्खा था। अब जब पंचायत राज्य आया तो उसके अन्तर्गत तमाम बातें तो हो रही हैं लेकिन हर गांव की गलियां, रास्ते गंदे पड़े हुये हैं, उनमें घूरे जमा रहते हैं, उनकी सफाई होनी चाहिये, लेकिन इस तरफ बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। यदि सरकार, असेम्बली और ग्राम सभा के सदस्य अपने गांवों में इस बात का असर डाल सकें और इसका प्रबंध करा सकें कि हर गांव की गलियां, नालियां और घूरे साफ कर दिये जायं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कोई विदेश का वहां जाय या देश का जाय वह साफ तौर से अनुभव करेगा कि अवश्य ही यहां स्वराज्य की झलक दिखायी पड़ती है। आजकल गांवों की हालत ऐसी है कि ४-४ आने पैसे के लिये मुकदमे चलते हैं और बात बात पर लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। पंच परमेश्वर कहे जाते हैं और वैसा ही होना भी चाहिये यानी सच्चाई का शासन हो, दोषी को सजा मिले और निरपराध व्यक्ति के साथ न्याय और प्रेम हो। लेकिन यह बहुत कम देखने को मिलता है। अतः मैं यही एक सुझाव आपके सामने देना चाहता हूं कि जहां तक हो सके गांवों की स्थिति सुधारने की ओर सरकार विशेष ध्यान दे, भले ही उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या हाकिम परगने को थोड़ी सी कड़ाई करनी पड़े। अन्त में यही कहना है कि ऐसा कार्य किया जाना चाहिये जिससे गांवों में भाई चारे की भावना की स्थापना हो और आपस का व्यवहार अच्छा हो जाय तब बहुत बड़ा भला इस देश का होगा और पंचायत राज सफल कहा जा सकेगा।

श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपके द्वारा यह कह देना चाहता हूं कि दूसरी तरफ से हमारे जो भी माननीय सदस्य बोले उन्होंने पंचायत राज ऐक्ट के लिये माननीय मंत्री जी को बधाई दी। मैं भी कहता हूं कि जरूर बधाई देनी चाहिये। लेकिन एक तरफ तो जिन्होंने ऐसा पंचायत राज ऐक्ट आपके लिये बनाया, दूसरी तरफ दो घंटे के अन्दर आपने उनको निकाल कर बाहर कर दिया इतना होने के बाद भी उनको आप बधाई भी देते हैं। मेरी यह समझ में नहीं आता कि एक ओर तो आप राजनीतिक हत्या करते हैं और दूसरी तरफ आप उनकी तारीफ करते हैं। यदि उन्होंने ऐसा अच्छा काम किया था तो क्यों नहीं आप लोगों ने नेता सदन से कहा कि उनकी इस प्रकार राजनीतिक हत्या करना उचित नहीं है। या यह कहिये कि यह कोई बढ़िया चीज नहीं है, इसमें बहुत सी खामियां रह गयी हैं। उनमें से कुछ थोड़ी सी मैं भी आपके सामने रख देना चाहता हूं।

गांव सभाओं के जब चुनाव हुये तो बहुत से रिटर्निंग आफिसर्स रक्खे गये जिनमें से बहुतों ने गांवों में जा जाकर एक पार्टी से मेल कर लिया और दूसरी पार्टी के लोगों के पर्चे भी नहीं लिये। उनमें से मैं एक साहब का नाम भी पेश कर देना चाहता हूं। पीलीभीत में बहुत

[श्री हरिप्रसाद]

सी जगहों पर धांधलियां हुयीं बहुत सी शिकायतें यहां टंडन जी से मिलकर भी कीं। हमारे यहां एक मलेरिया इंस्पेक्टर साहब थे, वह साहब जहां-जहां रिटर्निंग आफिसर रहे उन्होंने दूसरी तरफ के लोगों के पर्चे ही नहीं लिये। इस बारे में कई आदमी टंडन जी से मिले और उन्होंने उनको बताया। इसके बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हुयी। जिनकी शिकायत उनके प्रति थी वह गांव में बता रहा हूं, वह है मैसेपूर जयसिंह और बिठौरा चौसर, हरदूपट्टी, एक गांव और था जिस का नाम याद नहीं आ रहा है वहां उन्होंने बहुत कोशिश की और लखनऊ में भी आकर मिले और नतीजा कुछ नहीं निकला और उनके पर्चे दाखिल नहीं किये।

श्री शिवनारायण---प्वाइंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है उसका नाम लेकर यहां कहा जाय यह कहां तक ठीक है ?

श्री उपाध्यक्ष---जो यहां मौजूद नहीं हैं और जिनको सदन में सफाई देने का मौका नहीं है उनके विषय में माननीय सदस्य यहां न कहें।

श्री हरिप्रसाद---सफाई तो कोई भी देने को नहीं आता, सफाई तो हम ही यहां क्या दे सकते हैं ? तो मैं यह कह रहा था कि जहां भी वह गये उन्होंने कहा कि तुम्हारे पर्चे दाखिल कर लिये जायेंगे लेकिन ढाई बजे मालूम हुआ कि वह तो साइकिल पर चढ़ कर चलते हुये और कोई पर्चे नहीं लिये गये। प्लानिंग आफिसर साहब के करीब में ही वह रहते हैं करीब में होने ही की वजह से उन्होंने इसी तरह के ५-६ काम कर डाले।

दूसरे जब पंचायतों के चुनाव हुये तो जहां-जहां भी सभापति डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर खड़े हुये वहां पर एक-एक हाथ के दो-दो गिने गये और गिनती में सौ के सवा सौ दिखा दिये गये। जहां पर कुल ४०० वोटर थे वहां जब गिनती होती है तो ५०० हो जाते हैं, वहां पर औरतें बिठा दी गयीं, पता नहीं वह कहां की थीं उसकी कोई जांच नहीं हुई शायद दूसरे गांव की हों।

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

पोलिंग आफिसर साहब से कहा गया कि न मालूम कहां-कहां की औरतें लाकर बिठा दी गयी हैं, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और कह दिया कि हम उनमें किस-किस को देखें? तो जो ४०० से ५०० वोटर हो गये तो यह क्या चुनाव हुआ, और कौन सा न्याय हुआ जब मुंह ढांक ढांक कर औरतें बिठा दी गयीं तो उसकी कुछ तो जांच होना चाहिये। पेटीशन करने पर कुछ तो लिफ्ट मिलना चाहिये।

दूसरे श्रमदान कराये जाते हैं तो कच्ची मिट्टी ढुलवाई जाती है जो बरसात में बह जाती है और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। हमारे यहां प्लानिंग में जो एकाउन्टेन्ट हैं उनके बाप ठेकेदार हैं और प्लानिंग के, प्लानिंग आफिसर ही मालिक हैं, सर्वोसर्वा हैं, तब जो चाहे वह किया करते हैं। हजारों बोरा ले जायं सीमेंट का तब भी कौन पूछने वाला है, चाहे उसको ब्लैक में बेच लें। एक बोरा ५ रुपया ७ आना का मिलता है, वह दस रुपये में ब्लैक मे बेचा जाता है। जो सड़कें श्रमदान में बनती हैं और लोगों को जबरदस्ती अपना काम छुड़ा कर उस में लगाया जाता है और बाद में जो काम होता है, और मिट्टी डाली जाती है वह बरसात में पानी में बह जाती है और सारी मेहनत और सारा समय बरबाद होता है, इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। सरकार को चाहिये कि थोड़ा पैसा और लगा कर कुछ उसके ऊपर ईंट पत्थर लगा दे जिससे वह मिट्टी बरसात में बह न जाय। और सरकार गांव के लोगों से मालगुजारी वसूल करती ही है तो उनको कुछ भाग तो उसका कम से कम एक चौथाई तो वह अवश्य हो और जैसा कि मैंने कल बताया था कि डंडा लेकर पुलिस वाले गांव वालों से कलसियां लेते हैं और शरबत घोल-घोल कर लोगों को श्रमदान के काम को करते समय पिलाते हैं और नतीजा यह होता है कि उनका काम भी हर्ज होता है

और मेहनत भी पड़ती है लेकिन वह मिट्टी हमेशा बर्षा में बह जाती है इसलिये अगर मिट्टी रुक जाय तो गांव वाले बैठें उठें और उसका आराम उठावें। सरकार वहां उन्हें पक्का कराने के लिये ध्यान दें। कुछ न कुछ फिर अनुदान दे जिससे वह मिट्टी अपनी जगह पर कायम रह सके।

फिर जो ग्राम के सभापति हैं अव्वल तो कोई ढंग का आदमी बन नहीं पाता क्योंकि गरीब आदमी ही ढंग का होता है जो १२ रुपया का टिकट खरीद नहीं सकता और कहीं से लेकर खरीद भी लिया तो फिर कोई पचड़ा लगा दिया। जो ग्राम सभा के टैक्स पंचायत को नहीं देता वह खड़ा नहीं हो सकता तो दसियों बेचारे तो इसी में रह गये और दे दिया तो जो पहले के सभापति थे उन्होंने मार डंडा उन्हें बैठाल दिया या कत्ल कर दिया या डकैती चोरी में फंसवा दिया और इस तरह से वह जेल में सड़ रहे हैं। और मजबूर हो कर उनको इस्तीफा देना पड़ता है। जो गरीब आदमी हैं उनको रोज श्रमदान में घसीटा जाता है। चार दफे खोदना है तो जिनके पास ताकत है वह तो एक ही दफा खोदेंगे और जो घर का अकेला है वह चार दफे खोदेगा। वह बेचारा फिर क्या खायेगा? नहर से उसे पानी मिलता नहीं तो तालाब से पानी ले कर सींचता है और डंडों के जोर से श्रमदान कराया जाता है, इस तरह से सारी जमीन सूख जाती है। गन्ने का यह हाल है कि किसी को तो तीन चार हजार मन गन्ने के लिये पर्चियां मिल जाती हैं और किसी को ५० मन गन्ने के लिये भी पर्ची नहीं मिलतीं। तो सरकार जो कहती है उसे कुछ करे तो, लेकिन वह भी नहीं करती। मैं सरकार से कहूंगा कि गांव वालों से इस तरह जबरदस्ती क्यों श्रमदान कराया जा रहा है? उससे क्या फायदा होगा? उनकी खेती सूख जाती है और श्री गेंदासिंह की तरह हमें भी कहना पड़ेगा कि हमारा जिला भूखों मरा जा रहा है, हमें मदद दो तो जवाब मिलेगा कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। उसको पानी दिया जाय ताकि समय से वे अपनी ईख बो सकें, लेकिन डंडा लेकर आप उनको श्रमदान पर जुटा देते हैं। इस तरह से जो ईख खड़ी है वह भी सूख जायगी और जो बोई जा रही है वह भी सूख जायगी।

*श्री गणेशप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पहला अवसर बोलने का आज मुझे मिला है। मुझे गांव सभाओं के सम्बन्ध में अधिक न कह कर केवल इतना ही कहना है कि यह जो बैलेट बाक्स के जरिये से चुनाव नहीं होता है तो कम से कम गांव सभाओं के जितने सदस्य हैं उनका न हो तो न सही लेकिन भविष्य में चुनाव सभापतियों का अवश्य ही बैलेट पेपर द्वारा या बैलेट बाक्स द्वारा होना चाहिये। इसी पद के लिये बहुत बड़ा झगड़ा गांव सभाओं में हो रहा है और बाकी सदस्यों के सम्बन्ध में उतना झगड़ा नहीं है बल्कि सभापति के चुने जाने पर वे स्वयं चुनाव करा सकते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस पर अवश्य ध्यान दिया जाय और खर्चे के डर से यह काम रोक दिया गया तो इसके बुरे नतीजे गांव में हो रहे हैं।

दूसरा सुझाव मुझे यह देना है कि सेक्रेटरी लोग गांव सभाओं की बैठक न करा कर केवल कागजों में फर्जी भर दिया करते हैं और सीधे सादे गांव सभाओं के सभापतियों से चुपचाप दस्तखत करा लेते हैं और रिपोर्ट बराबर गलत सही दे देते हैं कि बठकें बराबर हो रही हैं और इंस्पेक्टर लोग मुआयने में लिख दिया करते हैं कि उस गांव सभा की बैठकें बराबर हुआ करती हैं लेकिन वास्तव में गांव सभाओं की बैठकें हुआ नहीं करतीं और केवल कागज पर बैठकें होती हैं। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि गांव सभा के सेक्रेटरियों और और इंस्पेक्टरों को मौके पर जा कर देखने के लिये, नाइट हाल्ट के लिये उनको महकमे की तरफ से हिदायत जानी चाहिये। इसी तरह से मुझे यह निवेदन करना है कि पटवारी लोग जो गांव समाज के सेक्रेटरी बने हुये हैं उनका तो काम सेक्रेटरियों से भी गया गुजरा है। फर्जी रजिस्टर चाहे बना हो लेकिन वास्तव में गांव समाज की बैठक कभी हुयी नहीं। इसलिये यह अधिकार तो सेक्रेटरी लोगों को ही देना चाहिये और पटवारी को मौके पर जाकर बंजर और पेड़ों के कागज बना करके सेक्रेटरी और सभापति को सौंप देना चाहिये। आज तक सेक्रेटरी और सभापति नियत नहीं कर सके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गणेशप्रसाद पांडेय]

कि वास्तव में गांव समाज के कौन से बंजर और बंजर के पेड़ हैं और कौन से पेड़ दूसरे लोगों के कब्जे में हैं। आजकल गांव में जो जबरदस्त है वह गांव समाज की जमीन पर कब्जा किये हुये हैं। सभापति बेचारा सीधा-सादा है वह लड़ने की इतनी सामर्थ्य भी नहीं रखता है। सरकारी वकील या मुख्तार जो तैनात किये गये हैं वह भी गांव के जबरदस्त लोगों से पैसा लेकर सरकारी पक्ष की अवहेलना करके उन्हीं लोगों के पक्ष का समर्थन करते हैं। लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं और गांव समाज की सम्पत्ति मिटती चली जा रही है। गांव समाज के रुपये का दुरुपयोग कहीं-कहीं, मुहकमा भी कर रहा है और कहीं कहीं सभापति भी कर रहे हैं। इसलिये मुहकमें की तरफ से आडिटर मुकर्रर होना चाहिये जो गांव समाज की सम्पत्ति का ठीक-ठीक आडिट करके ठीक ठीक उपयोग करा सके। ऊपर के अधिकारी गांव समाज के धन को नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट्स या दूसरी और मदों में जमा करवा देते हैं जिससे गांव समाज को वास्तविक लाभ नहीं हो पाता है और गांव का कोई फायदा नहीं हो पाता है। इसलिये इस विषय पर मुहकमे को या माननीय मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये।

गांव समाज या गांव सभाओं में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां लोगों ने रास्ता तक जोत डाला है। वहां आने जाने और मवेशियों के निकलने का कोई जरिया नहीं है। ऐसी गांव सभाओं को यह अधिकार दिया जाय कि वह प्रस्ताव पास कर दें और प्रस्ताव पास करके जितना भी मुआविजा पड़े गांव समाज उस मुआविजे को दे कर रास्ते के लिये जमीन हस्तगत कर सके यह अधिकार दे दिया जाय। जल्द-जल्द गांव के चारों तरफ रास्ता निकालने के लिये या बैलगाड़ी के निकलने के लिये, या चुनाव में अफसर लोग दौरा किया करते हैं या चुनाव के उम्मीदवार लोग दौरा करते हैं, ये लोग भी उन गांवों में पहुंचे सकें और उनकी मोटरें जा सकें, इसका जल्द से जल्द प्रबंध किया जाय। मेरा उद्देश्य केवल मोटर दौड़ाने से नहीं है। जब गांव की नयी बहू बैलगाड़ी पर आती है, तो वह सड़क पर उतारी जाती है और वहां से वह पैदल घर में पहुंचती है। यह बड़ी दिक्कत की चीज होती है। जिन गांवों की मुआविजे देने की सामर्थ्य न हो तो गवर्नमेंट भी फंड रखे जिससे ऐसे गांवों में जहां रास्ता नहीं है वहां सरकार अपनी तरफ से गांव सभाओं को पैसा दे कर उनमें रास्ता निकलवाये।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, जहांतक गांव पंचायतों के चुनाव का सम्बन्ध है कि यह बात निर्विवाद है कि उसमें कुछ इस तरह की बातें हुयी हैं जो नहीं होनी चाहिये थीं। हमारे प्रदेश तथा सरकार के लिये भविष्य के लिये भी एक तजुर्बा हुआ कि जिससे हम इस चुनाव में होने वाली अनियमितताओं को भविष्य में न होने दें जिसके सम्बन्ध में मेरे अनेक साथी सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं। मैं आवश्यक नहीं समझता कि उन सुझावों को दोहराऊं। लेकिन साथ ही इतना कहना जरूरी समझता हूं कि इन चुनावों ने यह प्रमाणित किया है कि इस पंचायत राज की स्थापना से समाज में एक क्रांति अवश्य आयी है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हमारे गांवों में भी, मैं अपने यहां के अनुभव पर कहता हूं कि बहुत सी महिलायें गांव पंचायतों की सभापति चुनी गयी हैं। और यही नहीं बल्कि मेरा अनुभव तो यह भी है कि गांवों में ऐसे लोगों की बहुत कुछ सत्ता अथवा शक्ति समाप्त हो चली है जो गांवों पर छाये हुए थे। यह भी हमारे लिये एक प्रसन्नता का अवसर है।

अब दूसरी बात मैं गांव पंचायतों के भविष्य के बारे में कहना चाहता हूं। यह हमारा दूसरा मौका है कि हमारी सरकार ने प्रदेश में पंचायतों की दूसरी बार स्थापना की है। और हमको पिछले ५ सालों के अनुभव ने यह बताया है कि हमारा यह प्रयोग किसी हद तक सफल हुआ है। अब हमें यह मौका है और हमारी सरकार के सामने एक अवसर है कि सरकार गांव

पंचायतों की शक्ति को बढ़ाये और उसके सामने जो बहुत सी कठिनाइयां हैं उनको दूर करे। उदाहरण के और पर मैं यह जानता हूं जिससे मंत्री जी भी अनभिज्ञ नहीं होंगे कि यदि सेक्रेटरी किसी काम को चाहे तो वह दो दिन में करा सकता है या कर सकता है और सभापति चाहे तो वह अपने हल्के के एम०एल०ए० की इमदाद से भी एक साल में नहीं कर सकता। गांव सभाओं का वह रुपया जो टैक्स इकट्ठा हो कर खजाने में जमा होता है ग्राम सभा उसका सभापति अपने रुपया को वापस चाहता है और वह साल भर तक नहीं मिल पाता है। हमारे पिछले अनुभव ने हमें यह बता दिया है कि वह कर्मचारी जो गांव पंचायतों के लिये सहयोगी बना कर रखे गये थे वह अब सभापति के अफसर बन कर रह गये हैं। जो राज्य अधिकारी कर्मचारियों का निरीक्षण करने के लिये रखे गये थे वे हमारे गांवों के आका और मालिक बन कर रह गये। इसका एक मात्र इलाज यह है कि हमारी सरकार अपने कर्मचारियों को और अधिकारियों को हिदायत करे कि वह गांव के बीच में जायं और यह भूलकर जायं कि वह ब्रिटिश सरकार के अफसर हैं या गांव के मालिक हैं। जो सुझाव गणेश प्रसाद जी ने दिया मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं कि अधिकारियों को हिदायत होनी चाहिये कि गांव में जायं और रात को वहां रहें। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारा कोई अफसर ऐसा नहीं है जिसके पास मोटर नहीं है। मोटर में तशरीफ ले जाते हैं, तफरीह करते हैं और जिले के हेडक्वार्टर पर आ जाते हैं। यह जनता के धन का दुरुपयोग है और यही नहीं बल्कि समय का भी दुरुपयोग है जो समय गांवों की सेवा के लिये दे रखा है।

तीसरी बात मैं गांव पंचायतों को सफल बनाने के लिये यह जरूरी समझता हूं कि आप उसके चुने हुये प्रतिनिधियों को मान दें। यह ठीक है कि कुछ हमें कड़ुये अनुभव हुये हैं पैसे के सम्बन्ध में। हमारे सभापतियों ने कुछ गबन किया है। लेकिन यह भी इसके साथ-साथ ठीक है कि जो गबन सभापतियों ने किये हैं उसमें सरकारी कर्मचारियों का भी हाथ रहा है। बिना उनके कोई सभापति किसी प्रकार का गबन नहीं कर पाया है। इसलिये कि अधिकार यह था कि सभापति धन न रखे लेकिन सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर के मदद से सभापतियों ने जनता के धन का दुरुपयोग किया है। तो इसके माने यह नहीं है कि अगर कुछ गबन हुआ है तो हम सभापतियों को विश्वासपात्र न समझें या उनको अधिकार न दें या पंचायतों की शक्ति को न बढ़ायें जबकि इनके जरिये से सही माने में गांवों की सेवा करनी है, तथा विकास करना है। हमारी सरकार के लिये जरूरी होता है कि सभापतियों के अधिकारों को बढ़ाये और आर्थिक क्षेत्र में उनके हाथों को मुक्ति दें। उनके आज जो बंधन हैं, सभापति चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं लेकिन दफ्तर की अड़चनों की वजह से आज विकास के कार्य हमारे गांवों में नहीं हो पाते हैं।

दूसरी बात मैं न्याय पंचायतों के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे पिछले न्याय पंचायतों के अनुभवों ने यह हमें बताया था कि हम न्याय पंचायतों को चुना हुआ न रखें और उसी के आधार पर सदन में पंचायत राज विधेयक में संशोधन किया गया था और उसका एक सिद्धांत नियुक्तियों का हमने बनाया था। मैं यह उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार इस विषय में ऐसा कदम उठायेगी जिससे हमारा वह अनुभव जो अब तक का था और जिसके आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि अदालती पंचायत चुनी हुयी नहीं होनी चाहिये, वह अनुभव दुहराया न जा सके। इस तरह के लोग जो अधिकारियों के पिट्ठू रहे हैं जो अधिकारियों को दावत खिला देना, चाय पिला देना ही एक ईमानदारी और एक बड़प्पन का काम समझते हैं, इस तरह के लोगों को मौका न मिले। साथ ही इसके श्री पुत्तू लाल जी ने हमारे भूतपूर्व स्वशासन मंत्री और मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन का जिक्र किया जो कि हरिजनों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्ध रखता है। मुझे ऐसी आशा है कि हमारी सरकार भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा और उस समय के स्वशासन मंत्री द्वारा दिये हुये आश्वासन का ध्यान रखेगी और साथ ही उसमें सबसे बड़ी कठिनाई जो उस समय हरिजनों की नियुक्ति में आयेगी वह हमारे वह रूल्स हैं जो हमारी सरकार ने न्याय पंचायतों के चुनाव के लिये निर्धारित किये हैं। उदाहरण के तौर पर हिन्दी

[श्री महीलाल]

पढ़ा लिखा होना चाहिये साथ ही अवस्था तीस वर्ष की होनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह जानते हैं कि यों हमारे पूरे ही ग्रामीण क्षेत्र में हरिजनों को छोड़िये बहुत से गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर हैं जहां कोई भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और यही नहीं कुछ गांव ऐसे भी हैं कि जहां के लोग उर्दू पढ़े लिखे हैं, हिन्दी पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे मौके के लिये मैं अब तक रूल्स में देख नहीं पाया, मेरी गलती हो सकती है, मैं नहीं ठीक पहुंच पाया, मैंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं पायी कि उन गांवों के लिये क्या होगा। आखिर उन गांव पंचायतों की नुमाइन्दगी न्याय अदालत में जाकर कौन करेगा, किस तरह होगी और जहां तीस साल की अवस्था की बात हमारे सामने आती है तो यों तो मैं सभी ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूं जैसा मैंने कहा कि शिक्षा बहुत कम है लेकिन खास तौर से हमारा यह वर्ग जिसको हम पिछड़ा हुआ मान चुके हैं और उसी के आधार पर हमने उसको विशेष अधिकार दिये हैं, उसके सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से विचारणीय है कि उसमें ३० वर्ष के लोग पढ़े लिखे मिल सकेंगे या नहीं। एक बन्धन जो सबसे बड़ा न्याय पंचायतों में है वह यह है कि और उसका प्रबंध होना बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं मेरा ही नहीं, मेरे दूसरे साथियों को भी इसका अनुभव होगा कि गांव के बहुत से ईमानदार लोग जिनसे यह आशा की जाती है कि वह न्याय पंचायत में बैठकर सही बात करेंगे वह इन पंचायतों में न मेम्बर बन पाये हैं, न सभापति बन पाये हैं या अगर कहीं कुछ लोगों ने भले आदमी को गांव में खड़ा भी कर दिया सभापति पद के लिये तो यह बात भी ठीक है कि बाज-बाज जगह वह डंडे के बल पर डंडे की शक्ति से या छल कपट की शक्ति से या कर्मचारियों की लापरवाही और मैं अगर बेईमानी कह दूं तो आप अध्यक्ष महोदय, क्षमा करेंगे, उससे वह नेक और भले आदमी नहीं आ सके हैं। तो माननीय मंत्री जी को यह प्रश्न भी न्याय पंचायतों की नियुक्ति के समय अपने सामने रखना चाहिये और मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि मेरे यहां भी कई घटनायें ऐसी हुयी हैं कि जहां जिस आदमी के ३५ वोट आये उसको ४३५ कर दिया गया, जिस आदमी के १८ आये उसको १८० कर दिया और १२२ जिसके आये थे उसके मुकाबिले में उसको जिता दिया और इस प्रकार चुनाव परिणाम घोषित कर दिया। तो इस तरह की चीजें मैं इसलिये कह रहा हूं कि अनेक अच्छे आदमी गांव में हैं जो सही मानों में समाज की सेवा के योग्य हैं और जिनको हम गांवों में उच्चादर्श का मनुष्य कह सकते हैं उन्होंने चुनाव के झंझटों से बचने की कोशिश की। तो न्याय पंचायतों में ऐसे लोगों को भी अवसर देने का प्रयत्न करना चाहिये।

†श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम सभाओं का तजुर्बा बहुत महत्व का है। प्रदेश में स्वराज्य मिलने के बाद सबसे पहले यह कदम उठाया गया था और सारे देश ने इसको स्वीकार किया। इसलिये हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम उनको सफल बनावें। ग्राम सभायें सफल उसी वक्त मानी जायंगी जब वे एक लोकल सेल्फ गवर्निंग यूनिट की तरह से काम करें। यह एक बहुत महत्व का प्रश्न है और इस ओर मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट पूरी तरह से ध्यान दे। लोकल सेल्फ गवर्निंग यूनिट को काफी अधिकार मिलने चाहिये जिससे वे महत्वपूर्ण काम वहां करें और कुछ गलती करने का भी उनको अधिकार होना चाहिये और बराबर गवर्नमेंट दखल न दे यह बहुत जरूरी है। जो तसवीर अब बनती जा रही है उसमें मुझको डर है कि कहीं यह एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही बन कर न रह जाय क्योंकि ऊपर से नीचे तक इतना ज्यादा सुपरविजन है और जितने काम होते हों वह सब हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट उनसे कराता है तो देखने की बात यह है कि उनको काफी अधिकार हों और वह यह महसूस करें कि हम अपनी जरूरतों के काम करें। उनकी बाकायदा मीटिंग हुआ करे। और कुछ काम हो यह बड़ा सवाल है जिसकी ओर मैं गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है कि इसको वह लोकल सेल्फ गवर्निंग बाडी की तरह पर बिल्ड करे। इसके लिये जरूरी है कि उनके पास काफी फंड हो।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नये टैक्स लगाने के सजेशन देने की हिम्मत तो मेरे में नहीं है क्योंकि गांवों में वह पहले से ही बहुत काफी है और नये टैक्स लगाना मुश्किल होगा उनके लिये क्योंकि वे वहीं रहते हैं और उस डिस्कंटेंटमेंट को वे बरदाश्त नहीं कर सकेंगे जो नये टैक्स लगाने से होगा। इसलिये यह जरूरी है कि लैन्ड रेवेन्यू का एक हिस्सा उनको दिया जाय। जैसाकि कुछ सदस्यों ने कहा कि कुछ प्रदेशों में लैन्ड रेवेन्यू का एक हिस्सा दिया जाता है कहीं कहीं वन् थर्ड तक जो लैन्ड रेवेन्यू वसूल होता है उनको दे दिया जाता है। इसलिये लैन्ड रेवेन्यू का एक हिस्सा उनको मिले और वे अपने कामों को जो वे करना चाहते हैं कर सकें। उनकी बाकायदा मीटिंग हों और उनको अच्छी तरह से एक सेल्फ गवर्निंग यूनिटके तौर पर बिल्ड करने का मौका मिले यह मेरी ख्वाहिश है। जहां तक इलेक्शंस का सम्बन्ध है उसमें काफी गड़बड़ी हुयी है। उसके जरिये से बहुत गलत लोग आ गये हैं। उसका इस वक्त क्या किया जा सकता है मेरी समझ में नहीं आता लेकिन यह चीज ध्यान देने लायक है कि इस तरह से जो लोग हो गये हैं उनका क्या किया जाय यह एक सवाल है जिसपर मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट गौर करे। मैं इसमें कोई सुझाव इस वक्त देना नहीं चाहता मुझे इसमें दिक्कत है क्योंकि यह कह देना कि इलेक्शन रद कर दिये जायं मुश्किल है और सब मान लिये जायं यह भी मुश्किल है लेकिन यह प्रश्न है जिसको मैं गवर्नमेंट के सामने रखना चाहता हूं कि वह गौर करें और देखें।

जहां तक एक्जीबिशन्स की बात है मैं यह समझता हूं कि जिलों में एक बड़ा एक्जीबिशन हुआ करे। बजट लिट्रेचर पढ़ने से मालूम होता है कि हर डिपार्टमेंट एक्जीबीशन करना चाहता है। पशुपालन विभाग चाहता है कि हो और सही चीज है। हर मुहकमा चाहता है कि एक्जीबीशन हो और हर जगह छोटे-छोटे एक्जीबीशंस होंगे तो रुपया ज्यादा खर्च होगा। और इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। जिस तरह से कि वैस्टर्न डिस्ट्रिक्टस में बहुत दिनों से बड़े एक्जीबीशन होते आये हैं जो सात सात, आठ आठ और १५, १५ दिन रहे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े एक्जीबीशंस हों और हर डिपार्टमेंट उसी में हिस्सा ले और सब मिल कर उसी में हिस्सा लें। उससे गांववालों पर ज्यादा असर भी होगा लोग फायदा भी उठा सकेंगे। और खर्च भी कम होगा। मैं चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट छोटे-छोटे एक्जीबीशन न किया करें और वह सब मिलकर एक जगह पूल करके एक बड़ा एक्जीबीशन किया करें। जहां तक न्याय पंचायतों का सम्बन्ध है उनसे जो रेवेन्यू के केसेज वापस ले लिये गये हैं उस पर गवर्नमेंट फिर गौर कर ले और जो अधिकार उनको पहले दिया गया था वही रहे तो अच्छा है। उनके अधिकार धीर-धीरे कम न किये जायं।

दुसरा बहुत बड़ा प्रश्न इस गवर्नमेंट के सामने न्याय पंचों को चुनने का है। मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि असेम्बली के मेम्बरों को उससे थोड़ा सा अलग रखें। अगर मीटिंग में बैठ कर यह तय करना हो कि कौन न्याय पंचायत में हो तो बहुत ज्यादा ईमानदारी से भी काम करें तब भी सबकांशस माइंड पर एक असर रहता ही है और चाहे एक गलत किस्म का आदमी हो, हम जानते हैं कि वह गलत आदमी है, लेकिन फिर भी १०, ५ गांवों के वोट को कमांड करता है और उस का नाम आया तो मेम्बरों के सामने एक साल बाद चुनाव है। इसलिये इस तरह के गलत आदमियों को हम मेम्बर लोग पेश न करें लेकिन उनकी मुखालिफत करके होने न दें इसकी सम्भावना नहीं रहती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी हम मेम्बरों पर न डालें। दूसरा सवाल यह होता है कि क्या फिर सिर्फ पटवारी की सिफारिश पर ही हो जायगा कि पटवारी ने सिफारिश कर दी और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसको नामजद कर दिया। पहले तो मुझे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी मालूम ही नहीं था कि कौन होगा, लेकिन मैंने पूछा था तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मुझे खुशी है कि उन्होंने एलान कर दिया कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है और कोई उसमें शरीफ नहीं होगा। लेकिन मैं यह चहाता हूं कि हमारी अगर सलाह लेनी है तो खामोशी के साथ ले लें,

[श्री मोहनलाल गौतम]

वह सलाह ज्यादा पब्लिसाइज न की जाय और अगर वह की गयी तो लोग उसका बुरा उपयोग करेंगे और हमको डर है कि हम लोग अपनी कमजोरी में कहीं गलत आदमियों को न सजेस्ट कर दें। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सलेक्शन से मेम्बरों को अलग रखा जाय, पोलिटिकल पार्टीज को अलग रखा जाय और न्याय पंचायतों को न्याय के आधार पर तमाम चीजों को देख कर किया जाय। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गलत आदमियों को नामजद करे तो हमें यह अधिकार होगा कि हम यह कहें कि यह गलत आदमी क्यों है। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इन सुझावों पर ध्यान देगी।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि आध घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव यह है कि आध घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—माननीय जोरावर वर्मा, आप ही ने समय बढ़वाया है तो आप ही बोलिये।

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप को इसके लिये धन्यवाद देता हूं लेकिन मेरे टाइम बढ़ाने का मतलब यह नहीं था कि आप मेरे ऊपर ही पहले कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, इस समय जो ग्राम पंचायतों की बात चल रही है, मुझे बड़ा खेद है और मैं आप के द्वारा तमाम देहात की और प्रान्त की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वह इस सरकार और इस मंत्रिमण्डल को देखे कि उसकी कितनी अवहेलना कर रहे हैं कि इस सदन में इस समय एक भी मंत्री उपस्थित नहीं हैं। यह प्रमाण है इस बात का कि हमारी सरकार और हमारा मन्त्रिमण्डल कितना सजग है ग्राम पंचायतों के बारे में इस सम्बन्ध में एक तो मुझे यह निवेदन करना है कि जो फीस मेम्बरों की ६ रुपये और प्रधानों की १२ रुपये रखी गयी है यह ग्राम पंचायतों के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं किया गया है क्योंकि पिछले चुनावों में फ़ीसें कम थीं। इसका नतीजा यह हुआ है कि बहुत सी गांव पंचायतों में मेम्बर और प्रधान ऐसे रह गये हैं जिन्होंने पर्चे नहीं खरीदे। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि इस समय महत्वपूर्ण विषय पिछड़ा हुआ है कि न्याय पंचायतों का चुनाव कैसे हो? जिस समय इस ऐक्ट पर बहस हो रही थी उस समय बहुत लोगों ने कहा था प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जिलाधीश को नहीं होना चाहिये और जो पुरानी व्यवस्था थी वही कायम रखी जाय कि गांव पंचायत ही पंच चुनें लेकिन इस पर यह एतराज उठाया गया कि वह न्याय नहीं कर सकेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, माननीय मोहनलाल जी गौतम की बात का जिनका मैं बहुत आदर करता हूं क्योंकि उन्होंने एक बात ऐसी कह दी कि एम० एल० एज० को चुनावों में नहीं पड़ना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में उधर के बैठने वाले यह समझते हैं कि कहीं यह ऐसे लोग वहां न पहुंच जायं जो उनके चुनाव में विरोध न करें। आज गांव की जनता में कितना भय पैदा हो रहा है और उनकी क्या दुर्दशा हो रही है इन लोगों की बातों से ही अनुमान लगाया जा सकता है। मेरा निश्चित मत है कि गांव सभा को अधिकार दिया जाय कि वही न्याय पंचायतों को चुने और एम० एल० एज० तथा अन्य आदमी जो सलाह देना चाहते हैं उनको भी आमंत्रित होना चाहिये मैं विश्वास नहीं करता हूं कि सरकारी अधिकारी न्याय पंचायतों का चुनाव ठीक करेंगे। अगर सरकारीकरण हुआ या ब्यूरोक्रेटिक ढंग से चुनाव हुआ तो मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि न्याय का गला घुंट जायगा और न्याय पैसों पैसों के लिये बिक जायगा। गवर्नमेंट का जो सर्कूलर पंचायतों के चुनाव के लिये निकला

था उसको स्टे आर्डर कर दिया है। मेरा कहना यह है गवर्नमेंट को चाहिये था कि जो लोग सम्मिलित नहीं होना चाहते थे वे न होते लेकिन स्टे आर्डर करना ठीक नहीं था। तीन महीने हो गये और गवर्नमेंट कुछ तय नहीं कर सकी। उससे गवर्नमेंट की अकर्मण्यता का पता चलता है। तीन महीने हो गये हैं और प्रधानों को चार्ज अभी तक नहीं मिला। पता नहीं सरकार क्या करना चाहती है?

मुझे खुशी हुई है कि सरकारी पक्ष के लोगों ने भी महसूस किया है कि जो हाथ उठा कर वोट दिये गये हैं उसका बुरा तजुर्बा हुआ है। अभी हमारे भाई गनेशीप्रशाद जी, रामभजन जी इत्यादि ने अपील की कि कम से कम प्रधान का चुनाव सीक्रेट बैलट से होना चाहिये। इसलिये आप के द्वारा मेरा निवेदन है कि यदि पंचायत प्रणाली को सफल बनाना चाहते हैं तो वह यह दावा छोड़ दें कि जिसके हाथ में शक्ति है उसी को वोट्स मिलेंगे। देहात में जो समाज है वहां जो ईमानदार हैं वे उन्हीं को चुनेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के दिमाग में ऐसी चीज बसी हुई है कि हमारी गवर्नमेंट है इसलिये हमें वोट्स मिलेंगे। यह कहना गलत है कि गांव पंचायतों के चुनाव पार्टी बेसिस पर नहीं हुए हैं। मेरे जिले में गांव-गांव में ऐसा हुआ है। कई जगह झगड़े की आशंका के कारण मैं गया वहां मैंने देखा कि डी० एम०, एस० पी० और १२, १४ थानेदार आये हैं और पार्टी के आधार पर ही चुनाव हुये हैं और ४, ६ जगहों का मुझे अनुभव है जैसे गहरोली, पनवाडी और बेलाताल इत्यादि। वहां जिले के सब आफिसर्स गये हैं और एलान किया गया है और वहां कांग्रेस के टिकट पर लोग खड़े हुये हैं। वहां पर यह सब शक्ति इकट्ठी हुई है फिर भी, अपने को कांग्रेसी कहने वालों ने हार खाई है।

दूसरी बात यह है जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि सेक्रेटरी बहुत सी फर्जी कार्यवाही कर रहे हैं। मेरे यहां भी सेक्रेटरी गांव में कभी भी नहीं रहता है और इतने दिनों के अनुभव से भी मुझे मालूम नहीं होता है कि वह कब आता है। वह पंचायत के सम्बन्ध में फर्जी कार्यवाही करके काम चला रहा है। तीसरी बात यह है जैसा कि कहा गया है कि लैंड रेवेन्यू लगान में से कुछ न कुछ हिस्सा इनको जरूर मिलना चाहिये। आज देहातों में यह भावना हो रही है कि स्वाराज्य हो गया है और अंग्रेज चले गये हैं तो हमें भी कुछ अधिकार मिलना चाहिये। अगर स्वराज्य हो गया है तो कैसे हो गया है। इतना रुपया कहां चला जा रहा है, जमींदारियां टूट गईं और यह रुपया न जानें कहां चला जा रहा है तो हर एक गांव का आदमी इस बात को महसूस कर सके कि स्वराज्य हो गया है। गांव से जो जो रुपया जाता है उसमें गांव वालों का भी कुछ अधिकार है और वह उसे अपने ढंग से खर्च कर सकते हैं। तो लैंड रेवेन्यू का कुछ न कुछ हिस्सा गांव वालों को अवश्य देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हमारी गवर्नमेंट अभी यह भी निर्णय नहीं कर पायी है, कि मालगुजारी गांव पंचायतों से वसूल करायी जाय या नहीं। पहले तो इस प्रकार के सुझाव आते रहे कि पंचायतों के जरिये वसूली करायी जाय, लेकिन इस एक्सपेरीमेंट में कितने साल बीत गये और अभी तक हमारी सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाई कि वास्तव में हम गांव पंचायतों को यह अधिकार दें या न दें। अध्यक्ष महोदय, बात इसमें यह है कि एक कानून वैसे गांव समाज में बना हुआ है। इसके लिये ११५ (सी) एक धारा भी है जिसके अनुसार ऐसे लोगों को जो अनुचित ढंग से जमीन पर काबिज हैं बेदख किया जायगा। मुझे इस बात का पूरा अनुभव है कि जहां पर प्रधान पुराने जमींदार या बड़े-बड़े लोग हो गये हैं उन्होंने खुद पट्टे कर लिये हैं और अपने रिश्तेदारों के नाम पट्टे कर दिये हैं। मुझे यह दुःख नहीं है कि उन्होंने अपने नाम या अपने रिश्तेदारों के नाम पट्टे क्यों कर लिये हैं लेकिन वह पट्टे उस हालत में किये गये हैं कि जब उनके पास हजारों बीघा जमीन है, उनके कारिन्दों और नौकर चाकरों के पास जमीन है, लेकिन फिर भी उनके नाम पट्टे किये गये हैं। कुलपहाड़ एक जगह है जहां पर २० पट्टे इसी प्रकार के किये गये हैं। जिनके नाम पट्टे किये गये हैं उनके पास, खास कर उस प्रधान के पास

[श्री जोरावर वर्मा]

कई सौ एकड़ जमीन है, लेकिन उस के बाद भी यह पट्टे हुये। इस के लिये सरकार के पास भी कहा गया लेकिन वह सब मामला विचाराधीन है। जब उनके पास जमीन है तो यह नये पट्टे होना और उस के बाद भी मामले का विचाराधीन होना, कुछ समझ मे नहीं आता। पता नहीं सरकारी अधिकारी क्यों टालते जाते हैं।

इसके अलावा हमारे यहां पवा नाम का गांव इस प्रकार का है कि जहां परती जमीन पड़ी हुई थी। गांव वालों ने तालाब से नहर निकाल कर उस को ठीक किया। तो वहां के जो प्रधान थे उन्होंने उस सारी जमीन को अपने नाम कर लिया और अपने कई लोगों के नाम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि लेखपाल ११५ (सी) के केस नहीं करता है और इसका परिणाम यह होता है कि उसको उस जमीन पर किसी के शिकमी या काबिज लिखना पड़ता है या वह लिखता रहता है और माल विभाग का यह नियम है कि तीन साल तक जो काबिज रहे उसको सरकार निकालती नहीं। तो जब दो, तीन साल तक पट्टा उनके नाम का हो गया तो अधिकारियों ने उन्हें तस्दीक कर दिया। तो इस प्रकार की तमाम गड़बड़ियां वहां फैल रही हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि यो पंच परमेश्वर की बात है उस को वह समझें और उस को साफ कर दें। गांव वालों को सरकार के अधीन नहीं होना चाहिये। गांव वालों को वह अधिकार दें और वह लोग ही निश्चय करें अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कम से कम न्याय पंचायतों के पंचों के चुनने का अधिकार उनको, उनके प्रतिनिधियों को दिया जाना चाहिये। सरकार को नहीं।

* श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस उपस्थित अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि इतना बड़ा प्रयोग अपने ही देश में नहीं बल्कि सारे संसार में कहीं हुआ हो ऐसा मालूम नहीं होता। जहां पर एक करोड़ मददाता हों और १ लाख ४० हजार निर्वाचन क्षेत्र हों, ८ हजार ५ सौ ३८ न्याय पंचायतें हों और ७२ हजार से अधिक ग्राम सभाएं हों और उन जगहों पर काम करने के लिये एक लाख से भी अधिक सरकारी कर्मचारी नियुक्त किये गये हों और उन्होंने जिस सफलता से इस कार्य का संचालन किया, उसके लिये वे बधाई के पात्र अवश्य हैं। संभव है कि कहीं पर थोड़ी-बहुत गलतियां हुई हों और अगर यह नहीं होता तो मेरा खयाल है कि ताज्जुब करने की बात होती। इतने बड़े काम में गलती होना स्वाभाविक है। उन पर सरकार विचार कर रही होगी। माननीय मुख्य मंत्री का एक सन्देश मुझे सितम्बर, के महीने में देखने को मिला था जिसमें उन्होंने यह दरख्वास्त की थी कि इस काम में लगे हुये जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको बहुत ही निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिये। उस सन्देश से सरकारी कर्मचारियों को बल मिला और उन्होंने निष्पक्षता से कार्य का सम्पादन किया। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि वह बधाई के पात्र हैं। मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी मित्रों को यह बात कुछ खटक रही होगी मगर मैं उनके विषय पर भी आऊंगा और उस पर भी अपने विचार प्रकट करूंगा।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा एक बात की ओर माननीय मंत्री महोदय का और माननीय सदस्यों का ध्यान ले जाना चाहता हूं। जिन छोटी-मोटी शिकायतों का जिक्र किया गया है वह हैं और मिलेंगी मगर मैं अपने विरोधी दोस्तों से यह कहना चाहता हूं कि जिस नारे को वह कभी-कभी लगाते हैं और यह कहते हैं कि यह हुकूमत यह कांग्रेस सरकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं कर रही है, क्या उनको यह दिखायी नहीं पड़ता है कि इन गांव पंचायतों की स्थापना करके कितना जबरदस्त सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है और इतना जो यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है उसके सम्भालने में समर्थता हममें और आपमें होनी चाहिये। हमको और आपको मिलकर राज्य की सत्ता के विकेन्द्रीकरण को दुरुस्त करना चाहिये और उसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। मैं आप का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इसी तरह से विकेन्द्रीकरण करके जैसा राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है उसी प्रकार से समाजवाद की सत्ता का भी विकेन्द्रीकरण किया गया है और एक प्रकार से मैं तो यह कहूंगा कि सामाजिक क्रान्ति पैदा कर दी गयी है इन गांव सभाओं को कायम करके। श्रीमन्, आप के द्वारा मैं इस माननीय सदन का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि जब पहले जमींदारी प्रथा यहां पर कायम थी तो उस समय जमींदार साहब के यहां से छोटा से छोटा सिपाही गांव के बहुत बड़े आदमी को चाहे वह कितना ही बड़ा काश्तकार रहा हो उसको जिस हालत में बुलाया जाता था और उस की जो दशा होती थी उसमें आज कितना परिवर्तन आगया है यह सब इस पंचायत राज के कायम करने से हुआ है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह नहीं देखा जाता है कि एक वक्त में जिन सिपाहियों के द्वारा बुलाये हुये गांव के आदमियों को मुर्गा बनाया जाता था आज वहीं आदमी कहीं पर सरपंच बन गये हैं और कहीं पर गांव सभा के प्रधान हो गये हैं। यह इस जिन्दा सामाजिक क्रान्ति की मिसाल है जिसको कोई इमानदार आदमी इन्कार नहीं कर सकता है जिस प्रकार से यह सरकार विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ रही है उसी प्रकार से सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये उसी प्रकार बढ़ रही है। तो हमारे बहुत से भाई इन छोटी-मोटी बातों में उलझ जाना चाहते हैं और मामूली गलती को इस कदर बढ़ा चढ़ा कर इस सदन के भीतर प्रस्तुत करते हैं कि मालूम होता है कि यह कोई बड़ी भारी गलती हो गयी है; मैं यह कहता हूं कि मुझे जो तजुर्बा है उसके आधार पर कि पंचायतों में पचासों किस्म के लोग आ गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सदन के भीतर जो लोग बैठे हुये हैं उनको उनके मुकाबले में आना चाहिये। मैं विरोधी दल के मित्रों से कहूंगा कि उनकी टोपी के अन्दर क्या इस तरह के आदमी छिपे हुये नहीं हैं। मुझे अपने तीन इलेक्शन लड़ने का तजुर्बा है। आपकी टोपी.....

श्री अध्यक्ष––आप असंगत हो रहे हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी––मुझे इस बात का तजुर्बा है कि गलत किस्म के आदमी भी गांव सभाओं में आये हैं। ठीक है, आपने एक नियम बनाया है और उस नियम के मातहत सबको अख्तियार है कि चुनाव लड़ें और चुनाव में वोट हासिल करें तो आ जायं। इसी आधार पर गलत किस्म के आदमी गांव सभा में आ गये हैं। मगर इसका इलाज हमको और आपको मिल कर करना चाहिये। हम और आप अगर सामूहिक रूप से मिल कर गांव में जायं और उनकी हिम्मत बढ़ाएं और गरीब जनता को दिलासा दिलाएं तो मेरा खयाल है कि गरीब जनता इस तरह के व्यक्तियों को पसन्द नहीं करेगी। और धीरे-धीरे वह उसको निकाल बाहर अवश्य करें। आज ५–६ साल पहले जब पहला चुनाव हुआ था उसमें ५० प्रतिशत फर्क आ गया है। इस चुनाव में ५० प्रतिशत गलत आदमी नहीं आ सकते हैं। अगर आप इस तरह की हिम्मत बांध लें कि वहां पर कोई गलत आदमी न जा सकेगा तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि अगले १० वर्षों में अवश्य ही बहुत सुधार हो सकेगा। इसलिये हमें पार्टी का लिहाज छोड़ कर खुलेदिल से गांव सभाओं का कार्य करना चाहिये। गांव सभा के कर्तव्यों को लोगों को बताना चाहिये।

मैं एक बात की तरफ आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नामिनेशन पेपर दाखिल करने और मतदान के समय में थोड़ा अन्तर होना चाहिये। क्योंकि समय इतना कम है कि लोगों को अगर कोई शिकायत हो तो वह दूर नहीं हो सकती है। इससे एक बड़ी गलती फहमी लोगों में पैदा हो जाती है। जिस प्रकार से पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में पार्लियामेंट द्वारा सुधार किया गया है उसी तरह से आप भी नामिनेशन पेपर देने और मतदान के समय में इतना वक्त अवश्य देने की कृपा करें कि अगर किसी का नामिनेशन पेपर ग़लत हो तो किसी आथोरिटी के

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी

पास जाकर उसमें सुधार करा सकें। इससे बहुत बड़ी समस्या जो पैदा हो जाती है वह मिट सकेगी। इसी तरह से मैं एक बात की तरफ और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब गांव सभाओं के चुनाव हुए तब उम्र की कोई कैद नहीं थी लेकिन उसके एक नियम या आर्डर के द्वारा यह कर दिया गया कि ३० वर्ष से नीचे का आदमी पंच नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो गांव पंचायतों में वे नये वकील लोग नहीं जा पाएंगे। जिनकी उम्र ३० साल से कम है और जिनके मश्विरे से उनको बहुत लाभ हो सकता है। यदि पहले ही यह आर्डर भेज दिया जाता तो अच्छा होता। जो नये लोग वकालत पास करते हैं वे २५ से २८ तक के लड़के ही करते हैं लेकिन इस कैद के लग जाने से उन लोगों के मश्विरे से ग्राम पचायतों को लाभ न मिल सकेगा। इसलिये खास तौर पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज का जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, मैंने बहुत गौर से विचार के साथ उसको देखा। वास्तव में इतना बाढ़ वाला अनुदान मुझे और कोई देखने को नहीं मिला। किसी अनुदान में ५ फीसदी और किसी अनुदान में १० फीसदी बढ़ोत्तरी हुई। लेकिन इसमें ३६ हजार से पूरे ७२ हजार तो प्रधान हो गये और ७ लाख से १५ लाख सदस्य गांव सभा के हो गये। और अभी तो कुछ जिलों में चुनाव बाक़ी हैं जिनका परिणाम भी अभी निकलने वाला है। उससे भी ज्यादा हर्ष की बात अध्यक्ष महोदय, यह है कि चुनाव हो गये हैं और आज यहां पर बहस हो रही है कि गांव पंचायतों का चुनाव किस तरीके से हो मालूम नहीं यह उस ऐक्ट में था या नहीं था, यह मैं नहीं समझ सका। मैं इस सदन में बहुत नया सदस्य आया हूं लेकिन आप के सामने यह उपस्थित करते हुये मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि जो यहां बहस की जा रही है उस पर जो चीज तय होगी वह लागू होगी या पुराने ऐक्ट के अनुसार जो कायदा है उसके मुताबिक़ कार्यवाही की जायगी। गांव को बरबाद करने की यह पंचायतें वहां मूल कारण बन गयी हैं जिससे वहां बरबादी और तबाही हो रही है। मैं बता दूं कि सितम्बर मास से ही सारे प्रधानों के कागजात रखा लिये गये हैं और वह उनको नहीं दिए गये हैं। अब ६ मास बीत चुके हैं और मैं कहता हूं कि यही ६ मास वहां अमन के बीते और कोई शिकायत लेकर नहीं आया कि प्रधान ज्यादती कर रहा है या सेक्रेटरी लूट रहा है वर्ना विरला ही कोई दिन जाता होगा, किसी-किसी दिन तो मेरे दरवाजे पर समूह के समूह पचास-पचास आदमी आते थे और कहते थे कि कुर्की हो रही है, गांव लुट रहा है हमसे टैक्स मांगा जा रहा है यह वह जवाब पूछने पर देते थे। हमने कहा कि टैक्स लगाने वाले तो तुम ही लोग हो। तो वह कहते थे कि हमने कभी नहीं बांधा, सेक्रेटरी ने बांध दिया सेक्रेटरी भी मजबूर है, अगर वह टैक्स लगा कर न दिखाये तो निकाल दिया जाय। अभी हमारे माननीय सदस्य उमाशंकर जी ने कहा अगर गांव की आमदनी उनको मिलती तो ठीक था। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले जो एक आना, आध आना और एक पैसा टैक्स का होता था वह सब प्रधान के पास आता था वह सब भी अब छीन लिया गया और वह भी बगैर प्लानिंग आफिसर की मर्जी के सब खर्च नहीं हो सकता और जिसकी खूबी की यहां बड़े जोर से वर्णन किया जा रहा है, मैं नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है।

चुनाव के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा जाय वह तो थोड़ी बात है लेकिन क्या बताऊं यह सेक्रेट्री जो गांव में हैं और जो प्रधान हैं और जो पंचायत इंस्पेक्टर हैं और जो कोई भी हैं वह गांव में न तो कोई नीति की सलाह देते हैं और न कोई बात बताते हैं। मंत्री जी ने बताया कि ५ वर्ष में ८ लाख एकड़ में पेड़ लगवा दिये गये। मैं गोंडा जिले का रहने वाला हूं और देहात का और बल्कि जंगल का रहने वाला हूं, मैंने कभी पेड़ लगते तो देखे नहीं कटते तो रात-दिन देखता हूं, बड़े-बड़े बाग और पेड़ कटते चले जाते हैं, अगर प्रधान बोले तो ऐसे

लोग हैं कि उस को भी मार कर गिरा दें । आज तक पंचायत इंस्पेक्टर या प्लानिंग विभाग या एस० डी० ओ० ने कोई लिस्ट प्रधानों को नहीं दी कि कौन सा हिस्सा बन्जर है और कौन से पेड़ उनको मिले हैं । यह बजट आज वृद्धि का पेश है, इस पंचवर्षीय योजना में बहुत प्रगति हुई और आगे मुमकिन है और अधिक हो मैं नहीं कह सकता लेकिन एक बात की ओर वास्तव में आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो चुनाव होने हैं उनमें माननीय सदस्यों को अवश्य ही सहयोग देना चाहिये, अगर कलेक्टर लोग नियुक्त करेंगे गांव के पंचों को तो आप समझ लें कि अगर कलेक्टरों ने नियुक्ति की तो वह काम पटवारी के द्वारा ही असलियत में होगा, कोई कलेक्टर जा कर यह नहीं देख सकता, मान लीजिये गोंडा की आबादी १९ लाख की है और वहां कुल २,२०० पंचायतें हैं। हर कलेक्टर के पास न तो इतने आदमी हैं कि वह एक-एक पंचायत के लिये दस-दस बारह-बारह आदमी चुन सके, वह आखिर में पटवारी के पास ही अधिकार पहुंच जाता है। इस सदन के जो सदस्य हैं उन्हीं को वहां की ठीक जानकारी हो सकती है कि पूरे क्षेत्र में या तहसील में किस तरह के आदमी हैं इसलिये वही यह जिम्मेदारी लें तो न्याय संगत होगा और वही आधार मान लिया जाय कि वह उन्हीं गांवों के लोगों में से जो सदस्य चुने गए हैं, चुनकर उनको भेजें, वही आदमी सही प्रतिनिधि हो सकते हैं और तभी कल्याण हो सकता है। मैं आप का ध्यान इस दिशा की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो गड़बड़ियां और जो पेचीदगियां पैदा हो गई हैं उनकी तो लम्बी प्रशंसा की जाय । सब लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं इसको बुरा नहीं मानता । भ्रष्टाचार तो है ही इसके लिये मंत्री जी क्या करें । एक कम्प्लेंट आफिसर मुकर्रर कर दिया है फिर भी अगर भ्रष्टाचार है तो मंत्री जी क्या कर डालें ? अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करता हूं और मंत्री महोदय की तवज्जह उस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस ऐक्ट का खिल-वाड़ न करना चाहिये और एक निश्चित नीति होनी चाहिये कि हम क्या करें। इतना बड़ा चुनाव हो गया जिसमें कि करोड़ों रुपया तो टैक्स वसूल हुआ जिन पर कि बकिया था और करोड़ों रुपया नामिनेशन पेपर का आ गया और आज तक निश्चित नहीं हो पाया कि हम अनर्थ की तरफ जा रहे हैं या किस तरफ जा रहे हैं। इसलिये इसको उचित ढंग से करके उसका ठीक निराकरण किया जाय।

*श्री नाजिम अली (जिला सुल्तानपुर)––अध्यक्ष महोदय, सदन में जो अनुदान प्रस्तुत है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस अनुदान पर ज्यादातर वादविवाद चुनाव पर हुआ और उसी पर मैं भी अपने को महदूद रखूंगा। और मन्त्री जी को अपने तजुर्बे की बिना पर कुछ राय दूंगा। जब इलेक्शन हुआ तो जनता बड़ी उमंग के साथ आई लेकिन जिस प्रकार के चुनाव हुए और ८ वर्ष में जनता ने जो कुछ सीखा था वह सब फीका पड़ गया । अफसोस यह है कि हुकूमत की तरफ से अच्छा इंतजाम इलेक्शन का नहीं था। लिस्टें बिल्कुल गलत थीं, कहीं पेंसिल से कहीं कलम से काम हो रहा था और सेक्रेटरी के रजिस्टर के पन्ने भी गायब थे। अच्छा यह था कि दो लिस्टें छपी होतीं और लिस्ट के हर पन्ने पर किसी ऊंचे अधिकारी के हस्ताक्षर होते और चुनाव कराने के लिये जो लोग गये वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बहुत नीचे दर्जे के टीचर थे जो कि बहुत जल्दी मुतास्सिर हो गये लोगों से इसलिये वहां ठीक से इंतजाम नहीं हो सका। जनता जो लौटी वह यह कहती हुई लौटी कि एक घरौंदा था एक खेल था बच्चों का। यह अफसोस है कि जो जनता असेम्बली का चुनाव करती है पार्लियामेंट का चुनाव करती है वह अपने दिल में ऐसे विचार लेकर वापस हो। वाकई हमने अपने चार वर्ष की मेहनत को पीछे ढकेल दिया। डेमोक्रेसी ने जो कुछ सिखाया इन चार वर्षों में उसे पीछे कर दिया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें हमारे माननीय मंत्री जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नाजिम अली]

को नोट कर लेना चाहिये। एक तो सेक्रेटरी जो हैं वे गांव में रहते हैं और वे दिलचस्पी रखते हैं इस बात से कि सभापति, मेम्बर या सरपंच हमारे कोई न कोई रिश्तेदार हों और चुनाव में उन्होंने बहुत बुरे काम किये हैं। अगर सेक्रेटरी अलग रक्खे जाते तो चुनाव में इतनी गड़बड़ियां न होतीं। मैं अच्छी तरह से इस बात को जानता हूं कि उन्होंने अपने किसी न किसी रिश्तेदार को, यहां तक कि बीबी को, बेटी को उसका मेम्बर बना डाला है ताकि सरपंच का चुनाव होते वक्त भी ऊधम मचा सकें और यह कोशिश कर सकें कि उनका सम्बन्धी सरपंच हो जाय। जब हमारा बीस रुपये का कांस्टेबिल अपने जिले में नहीं रह पाता है तो यह सेक्रेटरी अपने जिले और अपने गांव में क्यों रहे? उनको दूसरे जिले में रहना चाहिये और अपने जिले में हर्गिज नहीं रहना चाहिये। मैं कहता हूं और आप इकबाल करते हैं इस बात को कि पंचायतें जो हैं हमारी हुकूमत की बुनियाद हैं। तो बुनियाद मजबूत होनी चाहिये और अगर सेक्रेटरी इसी तरह के काम करते रहे, तो मैं आप से कहता हूं कि इस हाउस में उन्हीं मेम्बरों को सोचना पड़ेगा कि ये पंचायतें रहें या न रहें, क्योंकि सेक्रेटरी अपने जिले में रहे तो अपने खानदान, अपने कुम्बे, और अपने गांव के ही लोगों को मेम्बर या सभापति बना डालेंगे। इसलिये सेक्रेटरीज को दूसरे जिलों में मुंतकिल कर दिया जाय तब अदालती पंचायतों का चुनाव कराया जाय। गौतम जी ने कहा कि मेम्बर लोग इसमें हिस्सा न लें तो मैं नहीं समझता कि हम लोग कोई छुई मुई हैं और डरते हैं किसी बात से? हम हां को हां और नहीं को नहीं कहना जानते हैं। और हम ठीक को ठीक और गलत को गलत कहना जानते हैं।

हम छुईमुई के फूल नहीं हैं कि छूने से कुम्हला जायं। हम वोट के लिये नहीं आये हैं। वोट को जिनको ख्वाहिश होगी वही डरते होंगे। जो कुछ गलतियां होती हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार पर और आप पर पड़ती है। तो अगर आप गलत आदमियों के सुपुर्द इस चीज को कर देंगे तो जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर पड़ेगी, तो उस जिम्मेदारी को हम क्यों न ओढ़ लें? हम डरते नहीं हैं इस बात से कि हमको वोट नहीं मिलेगा। और इस बात को मैं अपने पूरे क्षेत्र में देख चुका हूं। पूरे क्षेत्र की लिस्ट मौजूद है कि किस को पंच और सरपंच होना चाहिए। एक भाई ने कहा कि कोई आदमी जान ही नहीं सकता अपने क्षेत्र में। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं एक-एक आदमी से मिल चुका हूं कि कौन पंच और कौन सरपंच होना चाहिए और गांव वाले मेरे मुखालिफ भी नहीं हैं। इसलिए नहीं हैं कि गांव के आदमी जानते हैं कि फलां आदमी सरपंच नहीं होना चाहिए क्योंकि वह खराब आदमी है। जब मैं उसकी मुखालिफत करता हूं तो गांव का गांव मेरे साथ हो जाता है। इसलिए डरने की बात नहीं है कि एलेक्शन में हमारा कोई विरोध होगा। इसलिये मेम्बरों को चाहिए कि मंत्री जी से कहें कि हमको हम मिलना चाहिए इसलिये कि हमारे क्षेत्र में जो गड़बड़ होगी उसके जिम्मेदार हम होंगे। तो हम उस जिम्मेदारी को ओढ़ने के लिये तैयार हों। अब जो चुनाव आने वाला है उसमें मेम्बरों को जरूर रखिए, उनकी सलाह मशाविरा से काम कीजिये। जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा, हमारे गांव में जो मेम्बर बने हैं वह सेक्रेटरीयों की मदद से बने हैं, वह अपनी ताकत से नहीं बने हैं। चुनाव ऐसे होने चाहिए और ऐसे आदमी मुकर्रर हों, उसमें ऐसे लोग आयें जो गांव की भलाई और गांव के साथ न्याय कर सकें।

श्री उमाशंकर---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव पेश करने के बाद मैं सबकी, हर माननीय सदस्य की, बात सुनता रहा। कुछ लोगों ने तो कहा कि पंचायतें रहें या न रहें, इस पर विचार करना है। अभी जो माननीय सदस्य भाषण दे चुके हैं उन्होंने भी ऐसा कहा। माननीय सुल्तान आलम खां ने कहा कि गांव पंचायतें

चुनाव द्वारा न बनायी जायं । इस तरह से अनेक बातें सुनने को मिलीं । इस सम्बन्ध में मैं संविधान की एक आदेशात्मक धारा है उसको पढ़ना चाहता हूं। "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा।"

श्री अध्यक्ष––वह अनुच्छेद बता दीजिये ।

श्री उमाशंकर––४०वां अनुच्छेद है :

"जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों ।"

इस अनुच्छेद के बाद इस बात का कोई सवाल ही नहीं है कि गांव पंचायतें रहें या न रहें । सवाल इस बात का है कि संविधान ने जो आदेश दिया है, जनता को अधिकार देने का, उसको हम पूरा कर रहे हैं या नहीं । हम कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। इसी बात का विचार करना है । मैं गांव पंचायतों के समर्थन में अपनी सारी बातें कह गया । कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में यह भ्रम हो गया है कि विरोधी दल गांव पंचायतों का विरोध कर रहा है । नहीं, संविधान के अनुसार गांव पंचायतों को अधिकार जो मिलने चाहिए उन अधिकारों को सरकार संकोचती जा रही है, अपने हाथों में लेती जा रही है। इसलिये विरोधी दल को घबराहट होती है कि उन पंचायतों को सरकार किस तरफ लिये जा रही है जिसके लिए संविधान ने हमको आश्वासन दिया है। इसलिये मैंने अपने इस कटौती के प्रस्ताव में कुछ सुझावों को रखा है । माननीय पं० गणेशप्रसाद जी ने जो सुझाव रखे हैं, जब तक उनके सुझाव नहीं आये, तब तक मुझे बड़ी घबराहट थी, क्योंकि अपनी बात शुरू ही की थी कि लाल बत्ती हो गयी और मुझे बैठ जाना पड़ा । उन्होंने मेरा काम हल्का कर दिया। इसलिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बाबू परिपूर्णानन्द ने अनुदान का समर्थन किया और कहा कि गांव पंचायतों में सद्भावना पैदा करनी चाहिये । मैं नहीं जानता कि वह कितने गांवों में गये हैं, उनका कितने गांवों से सम्पर्क है, मुझे मालूम नहीं । शहर के रहने वाले लोग उपदेश देते हैं गांव वालों को कि अपने में सद्भावना पैदा करो । मैंने मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और मंत्री जी से जो शिकायत की थी उसको उन्होंने माना और कहा कि हम जो सलाह देते हैं वह ठीक है । मेरी सलाह सद्भावना के लिये थी कि हाथ उठाकर के वोट नहीं कराना चाहिये इसमें लोगों में बैरभाव बढ़ेगा, गरीब आदमी जबरदस्त आदमी के मुकाबले में वोट नहीं दे सकेगा । उन्होंने माना, अगर इन्कार करेंगे तो चिटठी पढ़ दूंगा, मगर मजबूरी यह दिखाई कि अब नियम बन चुके हैं, हमारे हाथ बंध गये, क्या करें। मैं भी मानता हूं । मगर जो सुझाव दिये जाते हैं वह आइन्दा के लिये हैं, उनको ख्याल में रखें । मैं यह नहीं कहता हूं कि पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिये, उनको अधिकार दीजिये, उनको तो मैं कहता हूं कि पूरा अधिकार मिलना चाहिये, आपको हर बात उन्हीं से पूंछ कर करनी चाहिये । मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप अपनी ओर से जो उन पर पंजा मारते हैं कि यह करो, वह करो, यह आप हटाइये । अगर आप उनको स्वतन्त्र छोड़ दें तो वह जहां जरूरत समझेंगे टैक्स लगायेंगे, जहां जरूरत न समझेंगे वहां टैक्स न लगायेंगे। मगर आपकी ओर से जो दो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, एक तरफ तो आप खर्चे की कमी के लिये कहते हैं, टैक्स लगाओ, और दूसरी ओर बिना जरूरत दो सेक्रेटरी बैठा रखे हैं। एक पंचायत सेक्रेटरी और दूसरा लेखपाल । लेखपाल के हाथ में बड़ा

[श्री उमाशंकर]

पंजा है । लेकिन पंचायत सेक्रेटरी के नाखून छोटे हैं, वे दिन रात अपने घर में सोते हैं और आप से तनख्वाह वसूल करते हैं। लेखपाल साहब काम करते हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि एक आदमी आप रखिये। गांव पंचायतों में आपको बराबर इस किस्म का साहित्य पहुंचाना चाहिये कि पटवारी सभापति का और गांव पंचायत का नौकर है ।

श्री अध्यक्ष—आजकल पटवारी मौजूद नहीं हैं, बल्कि उनकी जगह लेखपाल हो गये हैं ।

श्री उमाशंकर—ठीक है अध्यक्ष महोदय, लेखपाल । इसका नाम बदल गया, मगर बात वही है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से गांव वालों को जो अधिकार मिलने वाले हैं उनकी बढ़ोत्तरी देने की ओर कदम बढ़ाइये । मैं कभी भी पंचायतों के लिये बाधक नहीं हो सकता हूं, जहां पायेंगे हम मदद करेंगे । हमने बताया कि हाथ उठा कर वोट देने में परेशानी होती है । आपको इस प्रथा को दुरुस्त करना चाहिये, मगर एक बात मैं बता दूं कि रूलिंग पार्टी जो है, उसने जगह-जगह हमारे जिले में डंडा चलवाया है। उसकी देख-रेख में पुलिस के लोगों ने जो सभापति के लिये उम्मीदवार रहा है उसको लेकर बैठ गये हैं एक तरफ। आपको एक बात और बता दूं, हमारे पूर्वी जिलों में, खासतौर से आजमगढ़ दलों में बंट गया है । जो मजलूम हैं वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर, और जिनके हाथ में डंडा है, भूतपूर्व जमींदार हैं वह कांग्रेस की ओर हो गये । यह आप माननीय मुजफ्फर हसन साहब से पूंछ लीजिये, उनको मालूम है । इसलिये आप समझ जाइये कि आपकी रूलिंग पार्टी के जो मेम्बर हैं वह किनकी ओर से डंडा चलवाते हैं । हर जगह हम पहुंच नहीं सकते । मैंने आपको बता दिया कि मैं लड़ने वाला आदमी हूं, मेरे मुकाबिले में कोई डंडा नहीं चला सकता । मैं खुद डंडा खा जाऊंगा और मुझको मारते वक्त परेशानी भी होगी लोगों को। इसलिये जहां मैं था वहां तो डंडे का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन जहां मैं नहीं था वहां डंडा चला, और इसका सबूत आप जानना चाहें तो कस्टोडिअन आफिसर जो ६ तारीख को प्रिसाईडिंग आफिसर थे, उनका बयान आप लीजिए । मैं जानता हूं, मैं उनकी ईमानदारी पर विश्वास करता हूं, वह आपको सही बयान देंगे, तो आपको मालूम होगा कि पंचायतों के बारे में यह रूलिंग पार्टी किस तरह से गड़बड़ कर रही है । इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब तक इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं तब तक मंत्री जी को यह भावना रखनी चाहिये खास तौर से, आप तो न्याय मंत्री भी हैं, आप किसी पार्टी के नहीं हैं, आपको तराजू ठीक से रखना चाहिये, किसी ओर आपका झुकाव नहीं होना चाहिये ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि आधा घंटा समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं अब इजाजत नहीं देता हूं। अब तो जवाब हो चुका ।

*स्वशासन उपमन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों का बहुत अनुगृहीत हूं कि जिस रूप में इस अनुदान के ऊपर उन्होंने अपने विचार प्रगट किये । वास्तव में यह जो पंचायतों के चुनाव हुए यह एक बहुत बड़ा काम था । १ लाख ४२ हजार जहां चुनाव क्षेत्र हों,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लगभग १४,१५ लाख के बीच सदस्यों का जहां चुनाव होना हो, वह काम बहुत बड़ा होता है। केवल चुनाव कराना ही नहीं, ऐसे समय में अमनोअमान की व्यवस्था रखना भी एक बड़ा काम है। और जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, हाथ उठाकर यह चुनाव कराये गए हैं। चुनाव के दौरान में श्रीमन्, बहुत गरमी वैसे ही आ जाती है और यह तो गांव के चुनाव थे। बड़े-बड़े चुनावों में हमने यह देखा है कि उनमें बड़ी सख्त गर्मी आती है, प्रतिस्पर्धा और विरोध की भावना बढ़ जाती है और तरीके-तरीके की बातें बहुत कही जाती हैं। इन सब चीजों को देखते हुए जिस रूप में यह चुनाव सम्पन्न हो चुका है, वास्तव में वह हमारे सब के लिए एक गर्व की बात है। वह यह दिखाता है कि हमारा यह प्रदेश प्रजातंत्र की ओर जा रहा है, प्रजातंत्र की नींव को मजबूत कर रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस प्रजातन्त्र को अच्छे तरीके से चला सकेंगे। श्रीमन्, जो समाचार प्राप्त हुए हैं, उन समाचारों से यह एक बहुत अच्छी बात मालूम होती है कि जो लोग चुने गए हैं अब की जनसाधारण ने अपने पिछले छः वर्ष के अनुभव के आधार पर उन लोगों को वोट नही दिया है, जिन लोगों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने उन लोगों को वोट दिया है, वह उन लोगों को चुन कर लाये हैं, जो अच्छे तरीके से गांव की सेवा कर सकें।

श्रीमन्, इन चुनावों के दौरान में एक अपील की गई ग्रामीण जनता से कि जहां तक सम्भव हो वह अपने गांवों में चुनाव सर्वसम्मति से करावें, यदि वह सर्वसम्मति से चुनाव करायेंगें तो गांव का भी हित होगा और जिन लोगों को वह उत्तरदायित्व देंगे वह भी अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि जो अभी तक आंकड़े प्राप्त हुए हैं उन आंकड़ों के आधार पर ५० प्रतिशत सदस्य और ५० प्रतिशत प्रधान ऐसे हैं कि जो सर्वसम्मति से चुने गए हैं। श्रीमन्, कई-कई जिलों में तो इससे भी अधिक प्रतिशत हुए हैं और मैं आभारी हूं उन माननीय सदस्यों का, जो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में निष्पक्ष रूप से बिल्कुल गए हैं और उन्होंने इस बात का प्रचार किया है कि इन आने वाले चुनावों में, क्योंकि वह ग्राम राज्य की जड़ है, लोगों को उत्तर-दायित्व के साथ और साहस के साथ काम करना चाहिये। और जहां माननीय सदस्य इस तरीके से गए हैं और प्रचार किया है, वहां यह सर्वसम्मति से चुनाव होने के आंकड़ों का प्रतिशत और भी अधिक प्राप्त हुआ है। श्रीमन, इस बात का तो कोई दावा नहीं करता कि इन चुनावों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। निस्सन्देह कुछ शिकायतें आयी हैं कि चुनाव फल को बदल दिया और कुछ शिकायतें आयीं कि मतदाताओं की सूची में कुछ परिवर्तन किये, किन्तु वह कितनी हैं? श्री राजनारायण जी ने चार पत्र पढ़ कर इस माननीय सदन को यह दर्शाना चाहा कि चुनाव में धांधलीबाजी हुई और चुनाव बिलकुल गलत हुये हैं। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूं कि चार तो क्या यदि १४ हजार पत्र भी श्री राजनारायण जी इस सदन में पढ़ें, तब भी वह १४ हजार शिकायतें सौ में एक शिकायत आती है। एक प्रतिशत शिकायत यदि आती है तो वह भी १४ हजार हो जाती हैं इसलिये माननीय सदस्यों के समक्ष जब वे पंचायतों के कार्य पर दृष्टिपात करें तो मैं यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि वे इस बात को देखें कि उनकी संख्या नहीं उनका प्रतिशत क्या है। श्रीमन, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि यदि सरकार के पास एक भी शिकायत कभी किसी की आती है, सरकार के पास एक भी शिकायत किसी लड़ाई-झगड़े की आती है या सरकार के पास यदि एक भी शिकायत किसी कर्मचारी की बेईमानी की आती है, तो तकलीफ होती है और परेशानी होती है क्योंकि सही बात है कि एक भी शिकायत किसी किस्म की होनी नहीं चाहिये। किन्तु श्रीमन्, यह तो व्यावहारिक बात नहीं है। सृष्टि की कृतियों में भी जो प्राचीन काल से चलती आयी हैं वह भी निर्दोष नहीं हैं, उसकी हर कृति में कुछ न कुछ

[श्री कैलाश प्रकाश]

दोष पाया जा सकता है, इसलिये जो माननीय सदस्य केवल दोष की दृष्टि से चीजों को देखना चाहते हैं, उनको तो दोष दिखलाई दे सकता है किन्तु एक सुन्दर तस्वीर पर कहीं एक काला धब्बा पड़ा हो तो उस धब्बे से ही सारी तस्वीर को काली समझना उचित नहीं है । श्रीमन्, यह कहा गया कि चुनाव बैलट से होना चाहिये था। किसी माननीय सदस्य ने कहा भी और सही बात है कि अब तो चुनाव हो चुके हैं, क्यों यहां इस बात की चर्चा हुई, तो चुनाव हो चुके, किन्तु हम आभारी हैं माननीय सदस्यों के कि उनको जो अनुभव इस चुनाव में हुये वह सदन के समक्ष उपस्थित किये, सीक्रेट बैलट से चुनाव के विषय में बात यहां कही गयी । यह प्रश्न एक बार नहीं कई बार विचार में आया । जब पंचायत राज के विधेयक पर संशोधन हो रहा था उस समय भी एक कमेटी ने इस बात के ऊपर पूरा-पूरा विचार किया और उसकी रिपोर्ट को पढ कर देखा जा सकता है कि सदस्यों ने इस बात पर एक बार नहीं, कई बार विचार किया और इस बात पर अन्त तक मतभेद बना रहा । लेकिन माननीय सदस्य सम्भवत: परिचित हैं कि बैलट द्वारा चुनाव कराने में न केवल आर्थिक कठिनाइयां हैं, न केवल व्यवस्था की कठिनाइयां हैं बल्कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां भी हैं । एक-एक गांव सभा में १५, १५ और १७, १७ लोग चुने जाने वाले हैं। यदि मतदान बैलट द्वारा ही कराये जायं तो रंगीन बक्से रखे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कहां से इतनी ज्यादा तादाद में रंगीन बक्से लाये जायं कि एक-एक गांव में सत्रह-सत्रह लोगों का चुनाव कराया जा सकता हो। खैर, यह जो सीक्रेट बैलट द्वारा चुनाव कराने की प्रणाली का सुझाव माननीय सदस्यों का है .....

श्री उमाशंकर--सभापति का चुनाव बैलट से होना चाहिये ।

श्री कैलाशप्रकाश--जहां तक इस बार का मामला है वह तो हो चुका, यह अगले चुनाव के लिये है । अब यह चुनाव तो करीब-करीब समाप्त हो चुक है परन्तु इन चुनावों को करते समय कितना ख्याल रखा गया है यह बात मैं आप के समक्ष उपस्थित कर देना चाहता हूं। चुनाव होने के लिये नियम में यह रखा हुआ है कि हर उम्मीदवार अपना एक एजेन्ट बना सकता है। उस एजेन्ट को यह अधिकार है कि जो चुनाव फल बनाया जाय उस पर वह दस्तखत करे और जो चुनाव स्थल पर चुनाव फल हो, अर्थात उम्मीदवारों को जितने वोट मिले हों वहां उसकी घोषणा कर दी जायगी। इनसब चीजों को नियमों में रखा गया और इसलिये रखा गया कि बाद में ज्यादा गड़बड़ न होने पाये । कुछ जगह गड़बड़ हुई और जहां हुई वहां इस बात की जांच पड़ताल भी हो रही है । जब कुछ शिकायतें आयीं तो जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि चुनाव की जो शिकायत होती है वे चुनाव पेटीशन के द्वारा अदालत में जा सकती है। हर एक को उसका अधिकार है। जो प्रारम्भ में चुनाव नियम बनाये गये उसमें पेटीशन की फीस २५ रुपये रखी गयी थी इसलिये कि बेकार की पेटीशन उसमें जा न सके । किन्तु जब यह देखा गया कि कुछ शिकायतें हैं और वैसे भी लोगों को शिकायत हो सकती है तो पेटीशन की फीस को २५ रुपये से घटा कर ५ रुपये कर दिया गया जिससे कि हर एक को सुविधा हो सके । यदि किसी को कोई शिकायत हो तो वह पेटीशन में जाये और अपना फैसला करा ले ।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि जहां कर्मचारियों का सम्बन्ध है, चुनाव कराने में उनका कोई विशेष हाथ पेसाइडिंग आफिसर ने पोलिंग आफिसर, रिटर्निंग आफिसर, असिस्टेंट

रिटर्निंग आफिसर, इन में किसी में जानबूझ कर पंचायत के कर्मचारी नहीं रखे गये । दूसरे विभागों से लोगों को बुलाया गया और उनसे काम लिया गया। किन्तु अगर कहीं इस तरह की बातें हुई हैं, उनकी भी जांच पड़ताल हो रही है। जिलों में इस प्रकार के सरकारी आदेश चले गये हैं कि वे उनकी जांच पड़ताल करें और कुछ जिलों से सूचना प्राप्त हुई है कि बहुत कड़ाई के साथ जिन लोगों ने चुनाव में अनियमितता बरती है उनकी जांच हो रही है और उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है । मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कहीं भी जहां पक्षपात की या गलत व्यवहार की चुनाव में शिकायतें होंगी, उनकी जांच की जायगी और उचित तरीके से उसकी कार्यवाही होगी।

श्रीमन्, बात कही गयी कि कुछ पंचायत सेक्रेटरियों ने पक्षपात किया। मैं बता चुका किस हद तक हाथ पंचायत के मंत्रियों का इस चुनाव में था और मैं माननीय सदस्यों की सूचनार्थ यह भी बता देना चाहता हूं कि जहां तक इस तमाम चुनाव के संचालन का सम्बन्ध है उसके लिये पृथक से एक चुनाव का संचालक नियुक्त किया गया है। संचालक पंचायतराज चुनाव के संचालक नहीं हैं। संचालक चुनाव अलाहिदा से मुकर्रर किये गये थे और एक उपसंचालक उस कार्य में उनकी सहायता करते थे। इतने बड़े काम को संचालक चुनाव ने और उप-संचालक चुनाव ने जितनी लग्न और निष्पक्षता के साथ कार्य किया है वह वास्तव में सराहनीय है और आपके द्वारा मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इतने बड़े कार्य को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सम्पन्न किया है।

श्रीमन्, न्याय पंचायतों के विषय में यहां कुछ बात कही गयी । किस तरीके से न्याय पंचायतों के पंचों की नामजदगी हो, इसके बारे में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। जैसा प्रत्यक्ष है, यही जो आज सुनने को मिला कि उसमें दो भावनायें हैं--एक विचार यह है कि जो नान-आफिशियल वर्कर्स हैं उनकी भी इस चुनाव में कोई न कोई सलाह या परामर्श होना चाहिये। दूसरा एक पक्ष है जो यह चाहता है कि नान-आफिशियल की कोई परामर्श या कोई सलाह नहीं होनी चाहिये । यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और यह भी अच्छे तरीके से मालूम है कि इस प्रश्न पर बहुत दिन से तमाम चर्चा चली आयी है। जब इसी सदन में पिछला संशोधित विधेयक प्रस्तुत हुआ था उस में पंचायतों की नामजदगी करने के लिये जिलाधीश को रखा हुआ था, किन्तु माननीय सदन ने उचित समझा कि जिलाधीश को न रख कर प्रेस्काइब्ड अथारिटी को रखा जाय। इसलिये आज जो विचार हमें मिले हैं उनको समक्ष रखते हुये, सरकार विचार करेगी और आशा है कि शीघ्र ही इस किस्म के आदेश भेज दिये जायंगे।

एक बात यह कही गई कि प्रधानों को अभी तक चार्ज नहीं दिया गया है। प्रधानों का जहां तक संबंध है उनको चार्ज देने के आदेश चले गये और बहुत से जिलों में, जहां चुनाव हो गये हैं, वहां प्रधानों को चार्ज दे दिया गया है। संभव है, कुछ जिलों में न दिया गया हो, वहां दिया जाता होगा। जहां तक गांव सभाओं के सदस्य चुने गये हैं उनको चार्ज अभी दिया नहीं गया है। जब तक इन चुने हुये सदस्यों में से न्याय पंचायतों की नामजदगी न हो जाय, उससे पहले उनको चार्ज दिया जा सकता है या नहीं, यह वैधानिक प्रश्न है, जिसकी जांच हो रही है। यदि विधान के अनुसार पहले चार्ज नहीं दिया जा सकता है तो नहीं दिया जायगा, अन्यथा दिया जा सकता है, तो दिया जायगा।

श्रीमन्, टैक्स के विषय में बहुत सी बातें कही गयीं। बिल्कुल सही है कि पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के उन टैक्सों में कोई पृथक्करण नहीं था और दोनों लगा सकते थे। किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इसके ऊपर सरकार ने विचार किया है और यह इरादा है कि जिन टैक्सों को पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स लगा सकें, उनको पृथक

[श्री कैलाशप्रकाश]

सूची बना दी जाय। जिस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का संशोधित विधेयक भवन के सामने होगा, तो उस समय यह चीज सम्भव है, न रहे।

एक बात यह कही गयी कि यह जो पंचायतों का टैक्स है यह सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है और उस पर उनका कोई अधिकार नहीं रहता है। सही बात यह है कि आज कल वह रुपया सरकारी खजाने में जमा होता है और इसका हिसाब एक पर्सनल लैजर एकाउन्ट डी० पी० ओ० के यहां या पंचायतराज आफिसर के यहां रहता है। यह गांव पंचायतों का रुपया है और किसी का इस पर अधिकार नहीं कि गांव का फण्ड बिना गांव की स्वीकृति लिये हुये कोई खर्च कर सके। वह जमा रहता है और उनके प्रस्ताव के अनुसार वह खर्च किया जाता है। आखिर किसी फण्ड को सुरक्षित रखने का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण होता है। डाकखाने में सब जगह नहीं है और बैंकों में सब जगह नहीं है और इसी तरह की सुविधा सब जगह नहीं है। सरकार चाहती है कि लोगों में विश्वास पैदा हो कि धन हमारा है, हमने वसूल किया है और हमें खर्च करने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें मैं कह नहीं पाया। सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं वह ध्यानपूर्वक सुने हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन सुझावों पर ठीक रूप से विचार किया जायगा और जो भी व्यावहारिक रूप में संभव होंगे, उनको कार्य में परिणित करने की कोशिश की जायगी।

श्री जोरावर वर्मा---अगर वह टाइम लेना चाहते हैं, तो समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अगर आप प्रस्ताव लायें, तो मैं पेश कर दूं।

श्री जोरावर वर्मा---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष---लोग कहते हैं कि समाप्त ही करिये।

श्री कैलाशप्रकाश---माननीय सदस्य ने कहा कि आज तक भी पंचायत के मंत्रियों का वेतन ठीक रूप में नहीं दिया जाता है। श्रीमन्, एक समय था जब इन पंचायत मन्त्रियों का वेतन गांव सभाओं की ओर से दिया जाता था। इसमें कोई शक नहीं कि उस समय का वेतन अभी भी कुछ पंचायत मन्त्रियों का शेष है। किन्तु जब से सरकार ने इस वेतन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है, तब से यह वेतन ठीक तरीके से भुगतान किया जा रहा है और यदि किसी माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी हो कि उनको कहीं पर वेतन ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है, तो वह इसकी सूचना दें, हम उनके आभारी होंगे।

श्री उमाशंकर---श्रीमन्, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४---गांव सभायें और पंचायतें लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत १,०१,५३,८०० रुपये की मांग की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा वाराणसे संस्कृत विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकों को संयुक्त प्रवर सम्मिति को निर्दिष्ट करने के हेतु सदन का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक सूचना मैं देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह सूचना आई है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय और वाराणसे संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक को जनहित की दृष्टि से जल्दी पारित करना आवश्यक है। इसके लिये वह एक संयुक्त प्रवर समिति कायम करना चाहते हैं। तो आज कल तो बजट अनुदान चल रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि जो विरोधी दल की मुख्य पार्टी है उससे भी वह बात कर लें। तो उन्होंने इस सम्बन्ध में बात कर ली है और उन्होंने मुझे इस बात की सूचना दी है कि १६ तारीख को इस सम्बन्ध में प्रस्ताव आयेगा और २१ तारीख को दूसरा आयेगा, दूसरे विधेयक के सम्बन्ध में। समय निर्धारण का प्रस्ताव तो कल आयेगा, लेकिन उन विधेयकों पर जो कार्य होगा वह १६ और २१ तारीख को होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१४ मार्च, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७७ पर)

सूची

एलोपैथिक साधारण

१—इलाहाबाद	..	मऊ आयेमा
२—अलीगढ़	..	बुसावन
३—आजमगढ़	..	बरहलगंज बाजार
४—अल्मोड़ा	..	१—बाड़ेछीना
५— ,,	..	२—कौसानी
६—बनारस	..	रामपुर कलां
७—बिजनौर	..	कादिराबाद
८—बुलन्दशहर	..	डन्कौर
९—बस्ती	..	उस्काबाजार
१०—बहराइच	..	खेरीघाट
११—फैजाबाद	..	गोसाईंगंज
१२—इटावा	..	चक्करनगर
१३—गोरखपुर	..	नेवाकपुर
१४—हमीरपुर	..	श्रीनगर
१५—जौनपुर	..	समोधपुर
१६—कानपुर	..	कृष्णपुर कलौनी
१७—खीरी	..	तिकोनिया
१८—लखनऊ	..	सरोजनीनगर
१९—मुरादाबाद	..	मतलबपुर
२०—नैनीताल	..	पहाड़पानी
२१—नैनीताल	..	भोवाली
२२—प्रतापगढ़	..	मानिकपुर
२३—कानपुर	..	रूरा
२४—रायबरेली	..	खिरौब
२५— ,,	..	अहियर
२६—टिहरी गढ़वाल		कीर्तिनगर
२७— ,, ,,	..	भटवारी तिब्बत बार्डर पर
२८— ,, ,,	..	दुन्दा
२९— ,, ,,	..	हरसिलनिलाग
३०—गढ़वाल	..	गमसाली
३१— ,,	..	बलारी
३२— ,,	..	जेलम, तिब्बत बोर्डर पर।
३३—अल्मोड़ा	..	धारचुला
३४— ,,	..	तेजम
३५—देवरिया	..	पडरौना (एम०एंड० डी० अस्पताल)।
३६—मेरठ	..	गाजियाबाद
३७—मुजफ्फरनगर	..	सामली

स्त्री चिकित्सालय

३८—आजमगढ़	..	मऊ।
३९—बनारस	..	भदोही
४०—बस्ती	..	बांसी
४१—खीरी	..	निघासन
४२—मेरठ	..	पिलखुआ
४३—बरेली	..	बहेड़ी
४४—हमीरपुर	..	चरखारी

जिन अस्पतालों का प्रान्तीयकरण हुआ

४५—लखनऊ	..	सिसेन्दी
४६—अलीगढ़	..	अतरौली (स्त्री अस्पताल)।
४७—बिजनौर	..	चान्दपुर (स्त्री अस्पताल)।
४८—मेरठ	..	हापुड़
४९—नैनीताल	..	काशीपुर
५०—बुलन्दशहर	..	खुरजा (स्त्री चिकित्सालय)।
५१—बिजनौर	..	नगीना
५२—इलाहाबाद	..	आनापुर (स्त्री अस्पताल)।
५३—नैनीताल	..	रामनगर
५४—अलीगढ़	..	सिकन्दराराऊ (स्त्री अस्पताल)।
५५— ,,	..	हाथरस (बागला)।
५६—गढ़वाल	..	बिरोंखाल
५७—सहारनपुर	..	रुड़की
५८—उन्नाव	..	बान्गरमऊ
५९—झांसी	..	ललितपुर (जनाना)।
६०— ,,	..	ललितपुर (मरदाना)।
६१—गढ़वाल	..	बानघाट
६२—प्रतापगढ़	..	धरुपुर
६३—अलमोड़ा	..	पिथौरागढ़

आयुर्वेदिक

१—आगरा	..	नंदगांव
२—आजमगढ़	..	रेन्दा
३—अल्मोड़ा	..	नगरखाँ
४—बिजनौर	..	दारानगर गंज
५—बुलन्दशहर	..	दुजाना
६—बलिया	..	विद्याभवन नारायनपुर ।
७—देवरिया	..	कुशीनगर
८—गाजीपुर	..	सोहावल
९—गोरखपुर	..	मुरदेवा बाजार
१०—गोंडा	..	श्रीनगर
११—गढ़वाल	..	बुन्धीधर
१२—हमीरपुर	..	जितकिरी
१३—जौनपुर	..	पैसा बाजार
१४—मिर्जापुर	..	बरौरदा
१५—नैनीताल	..	रानीबाग
१६—प्रतापगढ़	..	पुरेधनऊ
१७—सुल्तानपुर	..	चेतवनपुर
१८—देहरादून	..	ठकरानी

यूनानी

१९—सहारनपुर	..	अम्बेठा
२०—हरदोई	..	आशाही आजमपुर ।

विद्यालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१ एल० ए०—१९५६—७९६ ।